Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का चौथा दिवस [संख्या 3

शुक्रवार,

31 दिसम्बर, 1993

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.18 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम् वन्दे।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् बलदाम मातरम् वन्दे।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वन्दे मातरम् का रिकार्ड जो अभी लगाया गया वह बहुत डिस्टर्ब और बहुत ही अस्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : ठीक करवा लेंगे।

श्रीमती कमला : इसलिए इसका बहुत साफ-सुथरा अलग से रिकार्ड तैयार करके रखा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

सचिव, विधान सभा (श्री नन्दलाल छांगाणी) : मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा संविधान (77वां संशोधन) विधेयक, 1992 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश को पढ़ेंगे व सदन की मेज पर रखेंगे।

राज्य सभा से प्राप्त संदेश

सचिव, विधान सभा : मान्यवर, मैं प्रक्रिया के नियम 118 के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (77वां संशोधन) विधेयक, 1992 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्न प्रकार है :-

"PARLIAMENT OF INDIA
RAJYA SABHA SECRETARIAT

Parliament House,
New Delhi-110001

No. RS. 1/42/92-B Dated : September 8, 1993

From : V.S. Rama Devi,
Secretary-General
Rajya Sabha

To

The Secretary,
Rajasthan Legislative Assembly,
Jaipur.

Subject :- The Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992-ratification of.

Sir,

I am directed to state that the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992 was passed by the House of the People on the 25th August, 1993 and by the Council of States on the 26th August,-1993. A copy of the Bill, as passed by the Houses of Parliament is sent herewith.

2. Clause 2 of the Bill seeks to amend Article 323B of the Constitution and therefore in terms of clause (b) of the proviso to clause (2) of Article 368 of the Constitution, the amendment is required to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for his assent.

3. I am, accordingly, to request that a resolution ratifying the amendment may be placed before the State Legislative Assembly as early as practicable and the decision thereon may be communicated to this Secretariat.

4. The Parliamentary proceedings on the Bill are being printed and as soon as these are available, the required number of copies thereof alongwith the copies of the Bill, as introduced in the House of the People and as passed by the Houses of Parliament, will be forwarded to you for use of Members of the State Legislature.

5. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully
Sd/-
(V.S. RAMA DEVI)"

(सचिव, विधान सभा)

मैं राज्य सभा से प्राप्त सन्देश भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री-अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा, नवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं नवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हू, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

(1) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त-विधेयक :

1. मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1992
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991
3. राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991
4. भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991
5. राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991

(2) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान सिचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991
2. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992
3. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1992
4. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 1991
5. राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992
6. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992
7. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक 1992
8. राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992
9. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992
10. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992
11. राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992
12. राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992
13. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992
14. राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992
15. राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं
16. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992

Page No.4

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मन्त्री, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

अधिसूचनाएं

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 257 के अन्तर्गत राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की निम्नांकित 2 अधिसूचनाएं जिनके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं –

(1) अधिसूचना क्रमांक प. 6 (13) रेवे/6/92/10 दिनांक 19 मई, 1993, एवं

(2) अधिसूचना क्रमांक प. 6 (13) रेवे/6/92/19 दिनांक 3 दिसम्बर, 1993

घोषणा

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :–

(1) श्री रघुवीर सिंह कौशल
(2) श्री रमाकान्त शर्मा
(3) श्री किशन मोटवानी
(4) श्रीमती तारा भण्डारी

शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे देश और प्रदेश के कुछ महान् व्यक्तियों का स्वर्गवास हुआ है। उनके प्रति मैं शोक अभिव्यक्त करता हूं।

महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिले तथा पड़ोस के क्षेत्रों में माह अक्टूबर, 1993 में आये भीषण भूकम्प में दिवंगत हुए व्यक्तियों के प्रति भी शोक अभिव्यक्त करता हूं।

फील्ड मार्शल श्री करिअप्पा, श्री जे. आर. डी. टाटा, प्रो. नुरूल हसन, पूर्व राज्यपाल, पश्चिम बंगाल; श्री हितेन्द्र देसाई, पूर्व मुख्य मन्त्री, गुजरात; श्री आर. गुन्डुराव, पूर्व मुख्य मन्त्री, कर्नाटक; श्री बिन्देश्वरी दुबे, पूर्व मुख्य मन्त्री, बिहार; श्री ब्रह्म प्रकाश चौधरी, पूर्व मुख्य मंत्री, दिल्ली; श्री भगवत दयाल शर्मा, पूर्व मुख्य मन्त्री, हरियाणा; श्री कल्याण दत्त शर्मा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश व कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान; श्री एन.जी. गोरे, विख्यात समाजवादी नेता; श्री लादूराम जोशी, स्वतंत्रता सेनानी; श्री देवीशंकर तिवाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री; श्री भंवरलाल भदादा, भूतपूर्व सदस्य; श्री केदारनाथ, भूतपूर्व सदस्य; श्री भगवान सिंह तरंगी, भूतपूर्व सदस्य; श्री मथुरा दास माथुर, भूतपूर्व सदस्य; श्री विजय सिंह झाला, भूतपूर्व सदस्य; श्री भीम सिंह मण्डावा, भूतपूर्व सदस्य; प्रो. प्रेमनारायण माथुर, पूर्व मंत्री, संयुक्त राजस्थान संघ; श्री किशनलाल वर्मा, भूतपूर्व सदस्य।

Page No.5

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) । एक जस्टिस डी. पी. गुप्ता का भी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां । जस्टिस डी. पी. गुप्ता । अध्यक्ष महोदय, इन सारे महान व्यक्तियों के प्रति मैं मेरी ओर से और सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । जिन-जिन को भी यह सदन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वे अपने-अपने क्षेत्र में महान् व्यक्तित्व रखते थे । समाज और देश के प्रति इनकी सेवायें हमेशा याद रहेंगी । जिस क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया है उस क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की है ।

मैं इन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, इनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति सवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता ने जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रखा, जिसमें इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले, स्वतंत्रता सेनानी, फौज के बड़े जनरल, प्रथम जनरल, पूर्व न्यायाधीश, हमारी विधान सभा के माननीय सदस्य और पहली अन्तरिम सरकार के मन्त्री और उसके साथ ही प्राकृतिक आपदा की वजह से जो महाराष्ट्र में भूकम्प से 45 हजार लोग मारे गये, यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है । क्योंकि ये सभी व्यक्ति, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के हों, स्वतन्त्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विधान सभा के माननीय सदस्य भी, उनका सार्वजनिक जीवन में और समाज की विभिन्न गतिविधियों में बहुत बड़ा योगदान रहा था । उन सब का स्वर्गवास इस अवधि में हुआ है जिससे देश और देश के विभिन्न क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है ।

मैं अपनी ओर से, मेरे दल की ओर से इन सभी महान् व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

श्री फतेह सिंह (नेता, जनता दल) : अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस में पिछले समय 21 व्यक्तियों के इस दुनिया से जाने पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है । मैं नम्बर 1 से 21 तक के जितने भी माननीय सदस्य हैं, कई संस्थाओं के बड़े सेवक हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन सब को मेरी ओर से और दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शान्ति दें और उनके परिजनों को दुःख सहने की शक्ति दें ।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा जो शोक प्रस्ताव रखा गया है, उन तमाम विभूतियों के लिये, जिन्होंने इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में, समृद्ध करने में जो अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है । मैं मेरी ओर से और दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को प्रकृति से कामना करता हूं कि इस दुःख को झेलने के लिये साहस दे । पुनः मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन

(श्री अध्यक्ष)

में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में आये भीषण भूकम्प में दिवंगत व्यक्तियों को, फील्ड मार्शल करिअप्पा, श्री जे. आर. डी. टाटा, प्रो. नुरुल हसन, पूर्व राज्यपाल, पश्चिम बंगाल; श्री हितेन्द्र देसाई, पूर्व मुख्य मन्त्री, गुजरात; श्री आर. गुण्डुराव, पूर्व मुख्यमन्त्री, कर्नाटक; श्री बिन्देश्वरी दुबे, पूर्व मुख्य मन्त्री, बिहार; श्री ब्रह्म प्रकाश चौधरी, पूर्व मुख्य मन्त्री, दिल्ली; श्री भगवतदयाल शर्मा, पूर्व मुख्य मन्त्री, हरियाणा; श्री कल्याण दत्त शर्मा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश व कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान; श्री एन. जी. गोरे, विख्यात समाजवादी नेता; श्री लादूराम जोशी, स्वतन्त्रता सेनानी; श्री देवीशंकर तिवाड़ी, स्वतन्त्रता सेनानी एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री; श्री भंवरलाल भदादा, भूतपूर्व सदस्य; प्रो. केदार नाथ, भूतपूर्व सदस्य; श्री भगवान सिंह तरंगी, भूतपूर्व सदस्य; श्री मथुरा दास माथुर, भूतपूर्व सदस्य; श्री विजय सिंह झाला, भूतपूर्व सदस्य, श्री भीमसिंह मण्डावा, भूतपूर्व सदस्य, प्रो. प्रेमनारायण माथुर, पूर्व मन्त्री, संयुक्त राजस्थान संघ; श्री किशनलाल वर्मा, भूतपूर्व सदस्य के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको शामिल करता हूं।

प्रकृति के विनाशकारी कारकों में प्रमुख है भूकम्प। सितम्बर-अक्टूबर, 1993 में महाराष्ट्र में आया भूकम्प पिछले पांच दशक में देश का भीषणतम भूकम्प था। इस प्राकृतिक प्रकोप से महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ इलाकों में जान माल की भीषण तबाही हुई। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद, लातूर और मराठवाड़ा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ। भूगर्भविदों के अनुसार इस विनाशकारी भूकम्प से जो ऊर्जा निकली वह एक हाइड्रोजन बम के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा के समान थी। भूकम्प की इस प्रलयंकारी विनाशलीला में हजारों की संख्या में लोग मारे गये।

स्वतन्त्र भारत के पहले कमांडर-इन चीफ फील्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा का जन्म पुरानी मैसूर रियासत में मेरकरा के शनिवारासन में 28 जनवरी, 1900 को हुआ।

शेर-ए-कुर्ग के नाम से मशहूर फील्ड मार्शल करिअप्पा को कई पदों पर सर्व प्रथम कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्ष 1923 में स्टाफ कॉलेज, क्वेटा (पाकिस्तान) में प्रवेश करने वाले आप पहले भारतीय अधिकारी थे। आप ही पहले भारतीय थे जो वर्ष 1942 में लेफ्टीनेन्ट कर्नल और दिसम्बर 1947 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर आसीन हुए। 15 जनवरी, 1949 को भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले भारतीय होने का गौरव भी आपको ही हासिल हुआ।

वर्ष 1953 में अवकाश ग्रहण करने के बाद जनरल करिअप्पा को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में उच्चायुक्त बनाया गया। 25 अप्रैल, 1986 को आपको फील्ड मार्शल की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपको सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान "द आर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर" तथा अमेरिका के "द

(श्री अध्यक्ष)

लिजन ऑफ मेरिट" से भी विभूषित किया गया। जनरल करिअप्पा ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग की स्थापना की थी।

फील्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा का निधन 15 मई, 1993 को हो गया।

भारतीय उद्योग जगत के पितामह, भारत रत्न तथा भारत को विश्व के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने वाले प्रमुख उद्योगपति श्री जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा का जन्म 21 जुलाई, 1904 को पेरिस में हुआ। आपकी शिक्षा-दीक्षा बम्बई के कैथेड्रिल स्कूल में हुई।

श्री टाटा एक विशिष्ट उद्योगपति होने साथ-साथ भारत में नागरिक उड्डयन के जन्मदाता भी थे। वर्ष 1932 में आपने कराची से बम्बई तक की पहली उड़ान का स्वयं संचालन किया था। श्री टाटा 20 वर्ष की आयु में भारत आये और टाटा सन्स में एक सहायक के रूप में अपना औद्योगिक जीवन शुरू किया। वर्ष 1926 में आपको कम्पनी का निदेशक बनाया गया। आपकी कार्यकुशलता और दक्षता को देखते हुए 1936 में टाटा सन्स निदेशक मण्डल ने आपको अपना प्रमुख स्वीकार करते हुए चैयरमैन बनाया।

श्री टाटा ने कुशल मार्गदर्शन में टाटा उद्योग समूह के कार्यकलापों का व्यापक विस्तार एवं विविधीकरण से टाटा उद्योग देश का अग्रणी उद्योग समूह बन गया। आपकी प्रेरणा से ही टाटा समूह उत्पादन से सलाह सेवा, विदेशी कम्पनियों के सहयोग से संयुक्त उपक्रमों की स्थापना तथा निर्यात की नयी दिशा में अग्रेषित हुआ।

श्री टाटा ने देश की आर्थिक विकास योजना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यह योजना 1944 में बनायी गयी जिसमें श्री टाटा के अतिरिक्त सर्वश्री घनश्याम दास बिड़ला, सर श्री राम, कस्तूरबा भाई, लालभाई, सर पुरूषोत्तम ठाकुर, डा. जान मथाई, ए. डी. श्राप, अर्देशीर दलाल आदि प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। बाद में इसी योजना के आधार पर देश में 1952 में पंचवर्षीय योजना की शुरूआत हुई। वर्ष 1992 में आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको भारत रत्न से विभूषित किया गया।

श्री जे. आर. डी. टाटा का जेनेवा में 29 नवम्बर, 1993, को निधन हो गया।

अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहास-वेत्ता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री प्रो. एस. नुरुल हसन का जन्म 26 दिसम्बर, 1921 को लखनऊ में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम. ए. करने के बाद आपने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्दन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

प्रो. हसन को अप्रैल, 1968 में राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया गया। आप सितम्बर, 1971 तक राज्य सभा के मनोनीत सदस्य रहे। दिसम्बर, 1971 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए और अक्टूबर, 1971 से 1977 तक केन्द्र में शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री रहे। वर्ष 1983 से 86 तक आप सोवियत संघ के राजदूत भी रहे। 12 अगस्त, 1986

(श्री अध्यक्ष)

को आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाये गये।

राजनीति में आने से पूर्व श्री हसन वर्ष 1942 से 49 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता रहे। इसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय में वर्ष 1949 से 51 तक इतिहास विभाग में रीडर तथा 1954 से 71 तक विभागाध्यक्ष रहे। आप ऑक्सफोर्ड के आल साउल्स कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे।

प्रो. हसन कई भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों और आयोगों के सदस्य तथा अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक इतिहास संघ परिषद के सदस्य भी थे। आप अखिल भारतीय इतिहास सम्मेलन के महासचिव और अध्यक्ष भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए बी. सी. राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रो. नुरुल हसन का निधन दिनांक 12 जुलाई, 1993 को हो गया।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्य मन्त्री श्री हितेन्द्र देसाई का जन्म सूरत में 9 अगस्त 1915 को हुआ। आपने बी. ए., एल. एल. बी. की उपाधि बम्बई विश्वविद्यालय और एम. टी. बी. कॉलेज, सूरत से प्राप्त की। वर्ष 1937 में बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर आपको 'कॉडवेन क्लब मेडल' से पुरस्कृत किया गया।

श्री देसाई वर्ष 1977 में छठी लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद केन्द्र सरकार के निर्माण और आवास मंत्री बनाये गये। इससे पूर्व आप अक्टूबर, 1965 से मई, 1971 तक गुजरात के मुख्य मन्त्री रहे। वर्ष 1957 से 60 तक आप बम्बई विधान सभा के सदस्य तथा इस अवधि में बम्बई राज्य के शिक्षा मन्त्री रहे। बम्बई राज्य के विभाजन के बाद 1960 से 65 तक गुजरात राज्य के अनेक विभागों के मंत्री रहे।

राजनीति में आने से पूर्व आपने पूरे परिवार सहित स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गये। 15 वर्ष की अल्प आयु में ही आपने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेकर आप एक वर्ष जेल में रहे।

वर्ष 1946 से 1949 तक आप सूरत नगर पालिका की विधि समिति के सभापति तथा बाद में स्थायी समिति के सभापति रहे। आप गुजरात विश्वविद्यालय सिण्डीकेट के सदस्य भी रहे। छात्र तथा युवा आन्दोलनों में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा 'ज्योति मण्डल' नामक अध्ययन दल की स्थापना की। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर गुजराती में आपकी अनेक पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई हैं।

श्री हितेन्द्र देसाई का 12 सितम्बर, 1993 को निधन हो गया।

कर्नाटक के पूर्व मुख्य मन्त्री श्री आर. गुण्डुराव का जन्म 8 अप्रेल, 1937 को कोडागू जिले के कुशलनगर में हुआ। आपने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री गुंडुराव को कर्नाटक का सबसे कम उम्र का मुख्य मन्त्री बनने का गौरव

(श्री अध्यक्ष)

प्राप्त हुआ। अपने तीन वर्ष के शासनकाल में आपने राज्य के आर्थिक पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इससे पूर्व आप 1972 में पांचवीं कर्नाटक विधान सभा के लिए समवरपेट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए तथा कांग्रेस विधायी दल के सचिव बनाये गये। वर्ष 1974 में आपको सूचना और युवा सेवाओं का राज्य मन्त्री बनाया गया। वर्ष 1978 में छठी विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर 8 मार्च, 1978 को आपको परिवहन एवं पर्यटन मंत्री बनाया गया। वर्ष 80 से 83 तक आप कर्नाटक के मुख्य मंत्री रहे।

आप वर्ष 1965 में कांग्रेस में शामिल हुए और युवक कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे। श्री गुण्डुराव लगभग 5 वर्ष कर्नाटक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में आप कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सक्रिय सदस्य रहे।

राजनीतिक जीवन की शुरूआत में लगभग 10 वर्ष श्री गुण्डुराव कुशलनगर की नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं तथा राज्य के हितों की रक्षा के लिए आपने सदा ही संघर्ष किया। कर्नाटक के सार्वजनिक जीवन में श्री गुण्डुराव साहसी नेता के रूप में जाने जाते थे।

श्री गुण्डुराव का 22 अगस्त, 1993 को लन्दन में निधन हो गया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दुबे का जन्म 14 फरवरी, 1921 को हुआ। इन्जीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के दौरान ही आप अध्ययन छोड़कर स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल हो गये। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही।

श्री दुबे वर्ष 1952 से 57, 62 से 77 तथा 85 से 88 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। आप बिहार सरकार में शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य मन्त्री रहे तथा 1985 से 88 तक आप बिहार राज्य के मुख्य मंत्री रहे। आप सातवीं लोकसभा (1980-84) के भी सदस्य रहे तथा अप्रेल, 1988 में आप राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। केन्द्र सरकार में आप फरवरी से जून, 1988 तक विधि एवं न्याय मंत्री तथा वर्ष 88-89 में श्रम मन्त्री बनाये गये।

राजनीति में आने से पूर्व आप विभिन्न मजदूर आंदोलनों से भी जुड़े रहे। आप हजारी बाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बाद में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। आप इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आपने अन्तरराष्ट्रीय मजदूर संघ के 1982 में टोक्यो में हुए सम्मेलन में भाग लिया तथा खानों एवं फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आपने पश्चिम जर्मनी, इग्लैण्ड, बेल्जियम, हॉलैण्ड, फ्रांस और युगोस्लाविया की यात्राएं कीं।

वरिष्ठ मजदूर नेता श्री बिन्देश्वरी दुबे का दिनांक 20 जनवरी, 1993 को मद्रास में निधन हो गया।

Page No.10

(श्री अध्यक्ष)

दिल्ली के प्रथम मुख्य मंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश का जन्म 16 जून, 1918 को कीनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ। आपने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई दिल्ली में ही पूर्ण की।

श्री ब्रह्मप्रकाश को 17 मार्च, 1952 को दिल्ली की पहली निर्वाचित विधान सभा में मुख्य मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आप 11 फरवरी, 1955 तक इस पद पर आसीन रहे। इसके बाद 12 फरवरी, 1955 से 31 अक्टूबर, 1956 तक विधि एवं विकास विभाग के मन्त्री रहे।

आप दूसरी एवं तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे तथा तीसरी लोक सभा के लिए आप वर्ष 1967 में निर्वाचित हुए लेकिन 1969 में आपने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। आप वर्ष 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1979 में चौधरी चरणसिंह के मन्त्रिमण्डल में कृषि, खाद्य सिंचाई और सहकारिता मन्त्री बनाया गया।

चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने 15 वर्ष की उम्र से ही सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया था। वर्ष 1936 में आप कांग्रेस में शामिल हुए। आपने स्वतन्त्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप में भाग लिया और इसके अन्तर्गत 5 बार जेल गये। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वर्ष 1946 से 51 तक महासचिव, 1951-52, 1959-60 एवं 1966-67 में अध्यक्ष और 58-59 में उपाध्यक्ष रहे।

आपने भूमि सुधार, पंचायती राज और सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। आप सहकारिता से जुड़ी अनेक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। आप आजीवन पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान एवं अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे।

चौधरी श्री ब्रह्मप्रकाश का लम्बी बीमारी के बाद 11 अगस्त, 1993 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद और हरियाणा के पूर्व मुख्य मन्त्री श्री भगवतदयाल शर्मा का जन्म रोहतक जिले के बेरी गांव में 26 जनवरी, 1918 को हुआ। आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम. ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री शर्मा वर्ष 1966-67 में हरियाणा राज्य के मुख्य मन्त्री रहे। आप वर्ष 1968 से 74 तक राज्य सभा तथा वर्ष 1977 से 79 तक छठी लोकसभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व आप वर्ष 1962 से 66 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। इस अवधि में आप पंजाब सरकार के श्रम एवं सहकारिता राज्य मंत्री रहे।

स्वतन्त्रता आंदोलन में आपने सक्रिय भागीदारी निभायी और वर्ष 1941 से 46 के दौरान कई बार जेल यात्राएं भी कीं। आप अनेक मजदूर संघों और कांग्रेस से सम्बद्ध रहे। आप भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस की पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय इकाई के मंत्री तथा वर्ष 1959 से 61 तक इसके अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वर्ष 1959 में सदस्य और 1960-61 में

(श्री अध्यक्ष)

संगठन मन्त्री रहे। आप वर्ष 1964 से 66 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा 1966 में हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे।

आपने अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के स्विट्जरलैण्ड में वर्ष 1957 और 58 में हुए सम्मेलनों में भारतीय कर्मकारों का प्रतिनिधित्व किया। आप वर्ष 1963-64 में मजदूर संघों के शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में ब्रिटेन भी गये।

श्री भगवत दयाल शर्मा का निधन 22 फरवरी, 1993 को हो गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कल्याण दत्त शर्मा का जन्म 23 अक्टूबर, 1921 को अलवर में हुआ। आपने वर्ष 1947 में वकालत प्रारम्भ की और 1949 में आप राजस्थान उच्च न्यायालय में एडवोकेट बने। मई, 1965 में आपका उच्च न्यायिक सेवा में चयन हुआ तथा जुलाई, 1967 में आपकी पदोन्नति जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर हुई। आप राज्य के विधि सचिव एवं परामर्शी के पदों पर भी रहे।

श्री शर्मा 20 जुलाई, 1973 को राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधिपति बने तथा 10 जुलाई, 1980 से 6 जनवरी, 1981 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति रहने के बाद 7 जनवरी, 1981 को मुख्य न्यायाधिपति बने। आपने इस पद से 22 अक्टूबर, 1983 को अवकाश ग्रहण किया।

मुख्य न्यायाधिपति के पद पर रहते हुए आप 8 से 29 अक्टूबर, 1980 तथा 8 अगस्त, 1981 से 6 मार्च, 1982 तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे।

श्री शर्मा पूर्णतः सादगी पसन्द और धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। कानून के ज्ञाता होने के साथ-साथ आपकी ज्योतिष में भी विशेष रूचि थी। न्यायिक क्षेत्र में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपको सदैव याद किया जायेगा।

श्री कल्याण दत्त शर्मा का निधन दिनांक 20 अप्रेल, 1993 की रात्रि डेढ़ बजे हो गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधिपति तथा पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल श्री डी. पी. गुप्ता का जन्म 21 जुलाई, 1926 को नसीराबाद में हुआ। आपने बी.एससी, एलएल.बी. की उपाधियां ग्रहण करने के बाद वकालत प्रारम्भ की।

श्री गुप्ता 1954 में राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट तथा 1962 में राजस्थान बार कौंसिल के सदस्य चुने गये। 24 दिसम्बर, 1973 को आप उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति नियुक्त किये गये। वर्ष 78-79 में आप राजस्थान के लोकायुक्त बनाये गये। 1 अक्टूबर. 1985 से 31 जुलाई, 1986 तक आप राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति रहे। मुख्य न्यायाधिपति के पद पर रहते हुए आप 9 से 16 नवम्बर, 1985 तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे।

श्री डी. पी. गुप्ता का गत दिनों में निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रसिद्ध समाजसेवी नेता और स्वतंत्रता सेनानी नारायण गणेश उर्फ एन.जी. नाना साहब गोरे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के हिंडाले गांव में 15 जून, 1907 को हुआ। आपने पुणे के न्यू इंगलिश स्कूल और फर्गुसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद आप स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल हो गये। वर्ष 1927 में आप युद्ध लीग से जुड़ गये। वर्ष 1930 और 1932 के सत्याग्रह आन्दोलनों के दौरान आपने जेल यात्रा भी की। वर्ष 1934 में आपने नासिक जेल में जयप्रकाश नारायण, एम. एम. जोशी और अन्य नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया।

श्री गोरे ने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान भूमिगत रहकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। "महाराष्ट्र षड्यन्त्र" मामले में आपको प्रमुख अभियुक्त माना गया। श्री गोरे देहदान मंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे।

श्री एन. जी. गोरे का दिनांक 1 मई, 1993 को निधन हो गया।

राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री लादूराम जोशी का जन्म सीकर जिले के मूंडवाड़ा गांव में हुआ।

श्री जोशी ने गांधीजी के व्यक्तित्व एवं विचारों से प्रभावित होकर सन् 1920 में एक शिक्षित बाल विधवा अध्यापिका से विवाह किया। इसी वर्ष से आपने खादी पहनना भी शुरू कर दिया तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ बिजोलिया सत्याग्रह में शामिल होने चले गये। श्री जोशी गांधीजी और जमनालाल बजाज के प्रमुख सहयोगियों में से थे। आजादी के आन्दोलन के दौरान आप अनेक वर्षों तक देश की विभिन्न जेलों में रहे।

वर्ष 1930, 1932 एवं 1939 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में आप अपनी पत्नी के साथ अजमेर व जयपुर की जेलों में बन्द रहे।

श्री जोशी ने कुछ समय अध्यापन का कार्य भी किया। आप जयपुर राज्य प्रजा मंडल के वर्षों तक अध्यक्ष रहे। 1949 में किशनगढ़-रेनवाल में हुए प्रजा मंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपने ही की थी। प्रजा मण्डल का नेतृत्व करते हुए आपने राज्य में आजादी के दौर को एक राजनैतिक दिशा प्रदान की। आप राजस्थान खादी संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे।

स्वतंत्रता सेनानी श्री लादूराम जोशी का एक सौ दो वर्ष की आयु में 3 मई, 1993 को निधन हो गया।

प्रसिद्ध समाजसेवी, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और जयपुर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे पं. देवीशंकर तिवाड़ी का जन्म 28 अक्टूबर, 1903 को हुआ। आपने एम. ए., एलएल. बी. की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री तिवाड़ी ने वर्ष 1939 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और 1945 में आप जयपुर राज्य प्रजा मण्डल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी वर्ष जयपुर में पहली बार निर्वाचित नगरपालिका के गठन में आप अध्यक्ष चुने गये। वर्ष 1946 से 49

Page No.13

(श्री अध्यक्ष)

तक आप जयपुर रियासत के प्रथम शिक्षा मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री भी रहे।

श्री तिवाड़ी वर्ष 1947 से 62 तक राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट के सदस्य, वर्ष 1951 से 58 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा वर्ष 1958 से 62 तक जयपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष रहे। नगर विकास न्यास के अध्यक्ष के रूप में आपने नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा राज्य एवं नगर की विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत सेवक समाज के अध्यक्ष के रूप में आपने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी कार्य किया। जयपुर के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के संस्थापक होने के साथ-साथ आपने आयुर्विज्ञान में अधिस्नातक स्तर का मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, विधि महाविद्यालय और विद्याश्रम आदि संस्थाओं की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभायी।

पंडित श्री देवीशंकर तिवाड़ी का निधन 27 जनवरी, 1993 को हो गया।

भीलवाड़ा जिले के जाने माने लोक सेवक श्री भंवरलाल भदादा का जन्म 14 अक्टूबर, 1918 को भीलवाड़ा में हुआ। आपको हिन्दी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था।

श्री भदादा पांचवी विधान सभा (1972–77) के लिए भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। वर्ष 1943 से निरन्तर जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर रहे। समय-समय पर समाचार-पत्रों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं पर आपके अनेक लेख भी प्रकाशित हुए हैं।

श्री भदादा सामाजिक उत्थान के लिए भी संघर्षशील रहे। वर्ष 1938 से 40 तक आप नगर प्रजा मण्डल, भीलवाड़ा के प्रथम अध्यक्ष, वर्ष 1935 से 42 तक किसान सहकारी समिति, बीगोद के अध्यक्ष, वर्ष 1958 से 62 तक सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा के अध्यक्ष तथा वर्ष 1965 से 70 तक क्रय–विक्रय सहकारी समिति, भीलवाड़ा के अध्यक्ष रहे।

श्री भंवरलाल भदादा का दिनांक 9 जनवरी, 1993 को निधन हो गया।

राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे प्रो. केदार का जन्म 23 अक्टूबर, 1918 को श्रीगंगानगर में हुआ। आपने एम. ए., एल एल.बी की परीक्षा आगरा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की।

आप तीसरी विधान सभा (1962-67) से छठीं विधान सभा (1977–80) तक लगातार तथा बाद में आठवीं एवं नवीं विधान सभा (1990–92) में भी सदस्य रहे। छठीं तथा नवीं विधान सभा के कार्यकाल में आपने मंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन किया। आठवीं विधान सभा में आप 30 दिसम्बर, 1989 से 2 मार्च, 1990 तक विरोधी दल के नेता रहे।

आजादी से पूर्व आपने तत्कालीन बीकानेर रियासत की प्रजा परिषद् की आन्दोलनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप

(श्री अध्यक्ष)

से भाग लिया। वर्ष 1946 में आप कांगड़ काण्ड में 6 माह भूमिगत रहे। आपने किसान आन्दोलन के दौरान दो बार कारावास तथा आपातकाल में वर्ष 1975–77 में 19 माह की जेल यात्रा की।

प्रो. केदार बालीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। शुद्ध राजनीतिक जीवन और समर्पित कार्यकर्त्ता के रूप में प्रो. केदार को सदा याद किया जायेगा।

प्रो. केदार का निधन 27 मार्च, 1993 को हो गया।

श्री भगवान सिंह तरंगी का जन्म 16 अक्टूबर, 1912 को झालावाड़ जिले की तहसील डग में हुआ। आपने मैट्रिक तथा साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने श्री राजेन्द्र स्कूल, डग, श्री महाराजा हाई स्कूल, झालावाड़, श्री प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन में अध्ययन किया।

आप प्रथम विधान सभा में झालरापाटन निर्वाचन, क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। सामाजिक कार्यों में आपका विशेष रुझान रहा। आपने स्थानीय स्तर पर विनोद मंडल क्लब की स्थापना की तथा नगर रक्षक दल का भी गठन किया। आप नगर पालिका समिति तथा पंचायत बोर्ड के सदस्य भी रहे। कविता, चित्रकला, फोटोग्राफी, पर्यटन, स्वाध्याय व लेखन आपके प्रिय शौक रहे। लेखन कार्य में आपकी विशेष रुचि रही। आपने साप्ताहिक "नवयुग" दिल्ली तथा दैनिक "विश्वमित्र" बम्बई के सहायक सम्पादक के पद पर भी कार्य किया।

श्री तरंगी ने 1944 में साइकिल द्वारा उत्तरी भारत का भ्रमण भी किया।

श्री भगवान सिंह तरंगी का निधन 29 मई, 1992 को हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री, श्री मथुरादास माथुर का जन्म 6 सितम्बर, 1918 को जोधपुर में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से बी.एससी. और एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री माथुर ने पहली (1952–57), चौथी (1967-72) और छठीं विधान सभा (1977–80) में डीडवाना तथा तीसरी विधान सभा (1962-67) में लाडनूं विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आप मार्च, 1962 से जुलाई, 1971 तक श्री मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में अनेक विभागों के मंत्री रहे। राजस्थान की अन्तरिम सरकार में भी आप श्री जयनारायण व्यास मंत्रिमंडल में मंत्री रहें। छठीं विधान सभा के कार्यकाल में आप प्राक्कलन समिति के सभापति रहे।

स्वतंत्रता आन्दोलन में आपकी सक्रिय भागीदारी रही। विभिन्न आन्दोलनों में आप कई बार बन्दी बनाये गये तथा वर्ष 1940 में 8 माह परबतसर के किले में तथा वर्ष 1942 से 1945 के मध्य 3 वर्ष जालौर के किले में आपको नजरबन्द रखा गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री माथुर 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गये थे। आप तीन वर्ष प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भी रहे।

श्री मथुरा दास माथुर का दिनांक 14 अप्रेल, 1993 को निधन हो गया।

राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री विजय सिंह झाला का जन्म 29 मई, 1931 को उदयपुर में हुआ। आपने एम. बी. कॉलेज, उदयपुर से, एम.ए., एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

श्री झाला वर्ष 1962 में तीसरी विधान सभा तथा वर्ष 1990 में नवीं विधान सभा के लिए क्रमश. नाथद्वारा एवं चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। नवीं विधान सभा के कार्यकाल में आप सिचाई विभाग में मंत्री रहे। फरवरी, 1991 में आप सिंचाई, विधि एवं न्याय विभागों की समदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी बनाये गये।

आप नाथद्वारा पंचायत समिति के सदस्य और भारतीय जनसंघ की उदयपुर जिला शाखा के अध्यक्ष भी रहे। इसके अतिरिक्त आप अपने क्षेत्र की अनेक सार्वजनिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। साहित्य अध्ययन में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री विजय सिंह झाला का लम्बी बीमारी के बाद दिनांक 25 मई, 1993 को निधन हो गया।

राजस्थान के पूर्व उप मंत्री और पूर्व सांसद श्री भीमसिंह का जन्म 6 अक्टूबर, 1924 को झुंझुनूं जिले के मंडावा गांव में हुआ। आपने मेयो कालेज, अजमेर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कृषि संस्थान से कृषि विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की।

प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिए 1952 में हुए आम चुनावों में आप राम राज्य परिषद के प्रत्याशी के रूप में नवलगढ़ क्षेत्र से विधायक चुने गये। तीसरी विधान सभा (1962-67) के लिए भी आप इसी क्षेत्र से निर्वाचित हुए तथा राजस्थान सरकार में वर्ष 1962 से 66 तक गृह, परिवहन, सहकारिता और कृषि विभाग के उप मंत्री रहे। वर्ष 1980 में आप सातवीं लोक सभा के लिए झुंझुनूं से सांसद चुने गये।

श्री भीमसिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया तथा इसके बाद आप सक्रिय राजनीति और समाज सेवा से जुड़ गये। आप राजस्थान में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे।

श्री भीमसिंह मंडावा का जयपुर में 11 जून, 1993 को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया।

प्रसिद्ध शिक्षाविद्, अर्थशास्त्री तथा संयुक्त राजस्थान संघ के मन्त्रिमंडल में शिक्षा एवं गृह मंत्री रहे श्री प्रेम नारायण माथुर का जन्म उदयपुर के कुरावड़ गांव में 15 अक्टूबर, 1912 को हुआ। आपने बी.कॉम. और एम.ए. की उपाधियां प्राप्त की।

राजनीति में आने से पूर्व आप सनातन धर्म कॉलेज, ब्यावर और अग्रवाल कॉलेज, इलाहाबाद में व्याख्याता रहे। आपने स्वा-

(श्री अध्यक्ष)

घोनता आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1938 में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना के साथ ही आप इससे जुड़ गये। प्रो. माथुर मेवाड़ प्रजा मण्डल की कार्य समिति के सदस्य तथा उनके द्वारा नियुक्त योजना समिति के अध्यक्ष रहे। आप देशी राज्य लोक परिषद् राजपूताना की कार्यसमिति के स्थायी सदस्य थे।

श्री माथुर संयुक्त राजस्थान में श्री माणिक्यलाल वर्मा के मंत्रिमंडल में 18 अप्रेल, 1948 को वित्त तथा शिक्षा मंत्री बनाये गये। वर्तमान राजस्थान का निर्माण होने पर श्री हीरालाल शास्त्री के मंत्रि-मंडल में 7 अप्रेल, 1949 को आप गृह एवं शिक्षा मंत्री बनाये गये तथा 5 जनवरी, 1951 तक आप इस पद पर रहे।

वर्ष 1951 में सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद आप वनस्थली विद्यापीठ में उपाध्यक्ष और अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। आप भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समितियों और शिक्षा संस्थाओं के सदस्य भी रहे। आपकी अर्थशास्त्र विषय पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

श्री प्रेम नारायण माथुर का 7 नवम्बर, 1993 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री किशनलाल वर्मा का जन्म 12 नवम्बर, 1927 को जयपुर में हुआ। आपने एम.ए., एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

चतुर्थ विधान सभा (1967–72) के लिए आप सिकराय सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ में आप वर्ष 1955 में राजस्थान मीणा सुधार सभा, जयपुर के महामंत्री तथा आदिवासी मीणा सेवक संघ, जयपुर के अध्यक्ष बने। वर्ष 1961 से 66 तक आप जयपुर पब्लिक कैरियर (ट्रक) यूनियन के महासचिव रहे।

वर्ष 1954 में आप कांग्रेस में शामिल हुए। वर्ष 1962 से 65 तक आप प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा जिला कांग्रेस कमेटी जयपुर की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। किसानों के उत्थान के लिए आप सदा ही प्रयत्नशील रहे। आपको मीणा समाज का प्रथम अधिवक्ता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आप वर्ष 1973-74 में जयपुर जिला एडवोकेट बार एसोसियेशन तथा प्रोग्रेसिव लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे।

श्री किशनलाल वर्मा का लम्बी बीमारी के बाद 7 दिसम्बर, 1993 को निधन हो गया।

मैं, सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवारजन को उनके बिछोह को सहन करने की क्षमता दें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट का मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

अनेक माननीय सदस्य : हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले बोला हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बार बिराजिये तो सही। जब तक कोई कार्य शुरू नहीं हो....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अभी ओबिचुअरी के बारे में मुझे कुछ कहना है। यह ग्रेव मैटर है और इसीलिये मैं कहना चाहता हूं। लिस्ट आफ बिजनेस, रूल नम्बर 28 के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरा यह कहना है, सर, ओबिचुअरी बहुत ग्रेव मैटर होता है और जो लिस्ट हमारे सामने आयी है, इन्टरनेशनल फिगर्स आये हैं और दूसरे भी आये हैं, पर मुझे दुःख इस बात का है कि हमारे साथ में जो कुलिग्स रहे हैं, उनके लिये हमारे सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने कुछ नहीं कहा। आपने तो उनकी विस्तृत जानकारी दी। मेरा कहना यह है कि दो पार्ट में होना चाहिये। एक तो इन्टरनेशनल फिगर्स जिनके बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं और एक हमारे साथ में जो बैठते हैं उनके लिये अगर नेता और प्रतिपक्ष के नेता कुछ नहीं कहें, मुझे बहुत दुःख है। जैसे प्रोफेसर केदार, जैसे माथुर साहब....

श्री अध्यक्ष : यह तय हो गया था समय बचाने के लिए कि विस्तार से मैं कहूंगा, इसलिए रिपीटिशन नहीं करेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं सर, तय हुआ या नहीं हुआ, पर मुझे तो इस बात का दुःख है कि इतने बड़े-बड़े फिगर्स, जिन से हमारा लगाव रहा है इतने सालों से, उनके लिए प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता कुछ नहीं कहें। मुझे उन लोगों के बारे में अलग से 10 मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुझे बहुत दुःख है।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति में दुःख होना ही चाहिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दुःख का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका दुःख सार्थक है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इस ग्रेव मैटर को आप मजाक में नहीं टालें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुझे व्यवस्था चाहिये।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था सुनिये। मैं समझता हूं....(व्यवधान) मैं खड़ा हूं आप ....(व्यवधान) इस सम्बन्ध में लोक सभा में तो केवल अध्यक्ष ही पढ़ता है। आज बी. ए सी. में समय की कमी को ध्यान में रखते हुए... (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य, बैठिये। .... (व्यवधान) देखिये, माननीय सदस्य, मैं जब खड़ा हूं, यह पहला ही दिन है, आपको उपदेश देना नहीं चाहता मगर यह सदन की मर्यादा है कि जब आसन पैरों पर हो तो माननीय सदस्य बीच में इन्ट्रप्शन नहीं करें। यह नियम विरुद्ध है। इसलिए आपका व्यवस्था का प्रश्न मैं रद्द करता हूं। आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, सदन की गत बैठक और इस बैठक के बीच में देश में एक राजनैतिक घटना हुई, जो 6 दिसम्बर, 1992 को हुई, सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत उस घटना में हो गई। जबरदस्त राजनैतिक उफान इस देश में आया। भाजपा की तीन सरकारें भस्म हो गयीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां सैकड़ों लोगों की मौत हो गयी, उस घटना पर भी यदि आप ओबिचुअरी रेफरेंस लेते तो वह ज्यादा सार्थक रहता।

श्री अध्यक्ष : भविष्य में ध्यान रखेंगे। बैठिये। बिराजिये, हो गया आपका। (व्यवधान) मोदीजी, बोलें।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बाद में ध्यान में रखने का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : भविष्य में ध्यान में रखेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप, मोदी जी बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : भविष्य में ऐसी स्थिति करेंगे कि 6 दिसम्बर की घटना नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैंने आपको मौका दे दिया। अब आप बोलिये, श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदन के नेता विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके पहले इस प्रदेश में 1967 में इस तरह का मौका आया था। मैं पिछले तीन दिन से लगातार, जो 3-4-5 मई, 1967 में माननीय सुखाड़िया जी ने इस सदन में विश्वास हासिल किया था, उस समय आज जो इधर बैठे हैं, वे उधर बैठे थे और उधर के लोग इधर थे और सदन में क्या प्रोसिडिंग्स हुई, क्या माननीय सदन के नेता ने उस समय कहा था, +++ तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहस शुरू हो, उस बीच वह किताब उपलब्ध करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मन्त्रीजी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन मन्त्री परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।

विश्वास प्रस्ताव

नियम 132 के तहत मन्त्री परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं,

"यह सदन मन्त्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है।"

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर विचार से पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, रूल 132 के अन्तर्गत यह मन्त्री परिषद् में विश्वास लिया जाता है उसमें अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट नहीं है। मैं दो बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय या विधि द्वारा जिस प्रकार से हमारे निर्णय हैं, या तो जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाय, वह सरकार बनाती है या जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल महोदय आमंत्रित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 95 सीटें प्राप्त करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आयी और राज्यपाल को उस रूप में सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करना चाहिये था + + + उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित नहीं किया। जैसे अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य मोदी जी कह रहे थे कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने सबसे बड़ी पार्टी मानकर कांग्रेस पार्टी को इनवाइट किया था और इस बार नहीं किया गया। लोक सभा में भी नरसिंह राव जी की सरकार ने चाहे आज प्रतिभूति घोटाले के बाई-प्रोडक्ट के रूप में मेजोरिटी प्राप्त कर ली होगी लेकिन जिस समय सरकार बनाने के लिए बुलाया था उस समय उनको सबसे बड़े दल के रूप में बुलाया गया और वी. पी. सिंह सरकार को भी बड़े दल के रूप में बुलाया गया था। अब इसमें जो सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है वह यह है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइण्ट आफ आर्डर पर पाइण्ट आफ आर्डर नहीं आता मैं अपनी बात कह लूं पहले। यह पूनमचन्द जी विश्नोई की व्यवस्था है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनके आचरण के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, सदन में यह चर्चा हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : आप इनको पूरा सुन तो लीजिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब वह बात कह देंगे नियम विरुद्ध, उससे क्या मतलब है ? रोका जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दूंगा, आप सुन तो लीजिए। (व्यवधान) ... वे अपनी बात समाप्त कर दें उसके बाद आपकी भी सुनूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : ये पाइण्ट आफ आर्डर क्या उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभी मुझे व्यवस्था देनी है।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : पाइण्ट आफ आर्डर क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था देने से पहले आपकी बात सुनूंगा।....(व्यवधान) एक बात सुनिये। कोई बात यदि हमारे नियमों के विरुद्ध कोई माननीय सदस्य बोलता भी है तो उसको एक्सपंज किया जा सकता है। आप बात सुन लीजिए। (व्यवधान) आप पहले सुन लीजिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री परसादी लाल मीणा : पाइण्ट ग्राफ ग्राफ ग्रार्डर भी है क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ये गलत बोल रहे हैं। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्राप पहले सुन लीजिए। Please hear him.

श्री जुबेर खान : ग्रध्यक्ष महोदय, इस सदन का काम नहीं है कि किसने सरकार बनायी या नहीं। यह सदन में कहां से ग्रा गया ?

श्री ग्रध्यक्ष : सुनने के बाद बोलिये ग्राप। ग्राप जल्दी समाप्त करिये।.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने भारतीय जनता पार्टी को ग्रौर निर्दलीय माननीय सदस्यों को वहां बुलाया (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह चर्चा यहां नहीं की जा सकती कि किस तरह से सरकार बनायी या नहीं बनायी। जब विश्वास मत की बात यहां ग्रा गयी है उस पर ग्राप चर्चा कराइये ग्रौर माननीय सदस्य जो कोई भी बात कहना चाहते हैं इस सम्बन्ध में उस चर्चा के दौरान कहा जाय। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप बिराजिये एक मिनट। ग्रब मेरी बात तो सुन लीजिये। बैठिये, ग्राप बैठिये। ग्राप एक मिनट बैठिये। इनकी बात पूरी हो जाने दीजिये फिर ग्राप बोलना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने माननीय निर्दलीय सदस्यों को बुला कर उनको ग्रपने सामने बैठाकर उनके दस्तखत कराये फार्म पर ग्रौर उसके बाद में जो पत्र दिया उसमें कहा कि 107 सदस्य हो गये हैं। हमने उसी दिन मेजोरिटी प्राप्त कर ली थी ... (व्यवधान).... मैं कहना चाहता हूं, जो पहला पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुग्रा उस पत्र में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राज्यपाल महोदय ने नहीं लिखा। उसके बाद में दूसरा पत्र किन परिस्थितियों में लिखा गया ? +++ (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसका पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++ (व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूं विश्वास का मत तो सरकार प्राप्त करे ग्रौर प्राप्त करने के लिए तैयार है।

एक माननीय सदस्य : ग्रध्यक्ष महोदय, कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह सरकार बनी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन सदन के ग्रधिकारों का ग्रतिक्रमण करने के ऊपर ग्राप ग्रपनी व्यवस्था दें, यह मेरा ग्रापसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी, ग्राप बोलिये। ग्राप बैठिये, ग्रब विश्नोई जी बोल रहे हैं।

+++ ग्रभिव्यक्ति ग्रध्यक्ष पीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा नम्र निवेदन यह है कि जो हाई परसोनेजेज होते हैं उनके कण्डक्ट को विधान सभाओं में अथवा लोक सभा में चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। आपने जो बात कही है उसको एक्सपंज किया जाना चाहिए। क्योंकि बाद में आप व्यवस्था देंगे तो इन्होंने बात तो जो नहीं कही जानी चाहिए थी वह कह दी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो कुछ आपने कहा है वह नियम विरुद्ध है अतः उसे कार्यवाही से हटाया जावे।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या बोलना है, बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें एक्सपंज करने लायक क्या है ? मैंने कहा, सिंगल पार्टी मेजोरिटी.... (व्यवधान).... संविधान के अनुसार मैंने बात कही है। राज्यपालों का कण्डक्ट यहां डिस्कस हुआ है और माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई की व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ बोलेंगे या एक-एक बोलेंगे। माननीय राधेश्याम जी बोल रहे हैं, आप एक साथ बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, जब पक्ष के नेता महोदय ने प्रस्ताव रख दिया तो इस बात की बाद में परमीशन देना उचित ही नहीं है। मेरी तो यह समझ में ही नहीं आया। नयी परम्परा शुरू हो गयी है। जब प्रस्ताव रख दिया गया, उसके पहले कोई बात आनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, एक मिनट। माननीय सदस्य किस समय क्या बोलते हैं, शोकाभिव्यक्ति होने के बाद दो माननीय सदस्य खड़े हुए जो परम्परा के विरुद्ध है। मगर उधर से भी खड़े हुए और इधर से भी खड़े हुए। मैं आपको रोक तो नहीं सकता, व्यवस्था मैं अपनी दे सकता हूं वह मैं दूंगा। लेकिन आप कोई बात पाइण्ट आफ आर्डर के नाम पर खड़े होकर कहें और व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा करें, इसके लिये तो आप लोगों को विचार करना चाहिए। आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो व्यवस्था से ही सम्बन्धित होना चाहिए, व्यवस्था पैदा करने के लिये होना चाहिए।

जहां तक यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, चूंकि यह सदन के बाहर की बात है इसलिये मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता और इसको रिजेक्ट करता हूं।

जहां तक राज्यपाल के सम्बन्ध में इस में आया है वह मैं देख लूंगा, जो एक्सपंज करने लायक नियमों में होगा वह एक्सपंज कर दूंगा, नियमों को देख कर कुछ करूंगा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा नम्र निवेदन है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय परसराम जी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने यहां ...

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर बहस के लिये 3 घण्टे का समय तय हुआ है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक घण्टा

Page No.22

(श्री अध्यक्ष)

30 मिनट, कांग्रेस पार्टी को एक घण्टा 10 मिनट और अन्य 20 मिनट।

श्री परसराम मदेरणा : जो प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी....(व्यवधान) शाम तक तो रहना है या नहीं रहना है यह सदन को निर्णय करना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही ध्यान रखिये आप वाक-आउट न कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : विधान सभा में नियम और प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो कार्यवाही जिम्मेदार प्रतिपक्ष को निभानी है उसका तो निर्वहन करेंगे लेकिन, मुख्य मन्त्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम भगोड़े नहीं हैं, पीठ नहीं दिखाते। समूची राजनीति को सत्ता-लोलुप और भ्रष्ट करने के कई करतबों के बावजूद राजस्थान के मतदाताओं, जिनकी संख्या 2 करोड़ 84 लाख 50 हजार के आस-पास है, ने दसवीं विधान सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश नहीं दिया है और इसलिए यह + + + सरकार जो सत्तारूढ़ है ... (व्यवधान).... मैंने दिल्ली की तरफ नहीं देखा, भारतवर्ष और राजस्थान गांवों में बसता है, मैं गांवों और ढाणियों की तरफ देखता हूं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या की विध्वंसक कार्यवाही के कारण देश में फैले साम्प्रदायिक दंगों के बाद बी. जे. पी. और बी. जे. पी. के सहयोगी संगठनों ने देश के अन्दर जो अशान्ति और विद्वेष का वातावरण पैदा किया उसके फलस्वरूप यह राजस्थान विधान सभा भंग हुई और राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी की छुट्टी हुई।

एक माननीय सदस्य : पाछा आ गया।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्रीजी की छुट्टी होने के बाद में उन्होंने उसी दिन या दूसरे दिवस, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन 17 तारीख को अपने दल के लोगों से और कार्यकर्ताओं से हुंकार दिवस मनाने की बात कही और हुंकार दिवस के दूसरे दिन फिर ललकार दिवस मनाने की बात कही और ललकार दिवस के बाद में फिर जन शक्ति प्रदर्शन के लिए यह राजस्थान के दौरे पर निकल गये।

एक माननीय सदस्य : उसके बाद फटकार दिवस भी मनाया था।

श्री कालीचरण सराफ : धिक्कार दिवस भी मनाया था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन में कविता नहीं बनानी है, अभी भाषण सुन लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपको अवसर मिलेगा और आप बीच-बीच में न बोल कर इस सदन की गरिमा को बनाये रखिये। मैं पूर्व में भी प्रतिपक्ष का नेता रहा हूं और मुख्य मन्त्रीजी स्वयं जानते हैं कि आप में से कोई भी सदस्य बोलने खड़ा हुआ है तो मैं अपने आसन पर नीचे बैठ जाता हूं। यह कमेन्ट्स करने की गैलरी नहीं है किसी सिनेमा हाउस की। यह सदन राजस्थान के जन प्रतिनिधियों का है और हम हमारा आचरण उन्हीं मर्यादाओं की सीमा रेखाओं

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसराम मदेरणा)

में रखेंगे तो सदन में अच्छी परम्परा कायम रहेगी। अन्यथा आप मेरे भाषण के वक्त में बीच में व्यवधान डालते हुए कुछ कमेन्ट्स करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1977 का यह 41 का कांग्रेस दल नहीं है, 1990 का 50 का कांग्रेस दल नहीं है, कांग्रेस दल और कांग्रेस दल के सहयोगी यहां पर इस तरफ जो बैठे हुए हैं, यह फारमिडेबल अपोजिशन है। इसलिए मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, मैं यह धमकी नहीं दे रहा हूं, सदन की कार्यवाही का संचालन ठीक तरह से, सुचारू रूप से हो तो इस तरह के कमेन्ट्स किया जाना ठीक नहीं है। माननीय सदस्य जो अभी आये हैं, उनमें से कई को कई मर्तबा यहां इस सदन में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और ज्यादातर माननीय नये सदस्य आये हैं। दसवीं विधान सभा में आपकी यह दुर्गति हुई कि आपके 50 के आस-पास उम्मीदवारों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मुख्य मन्त्रीजी के शासन काल के अन्दर पिछले पौने तीन साल में 27 मन्त्रियों को धूल चाटनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनाव लड़ने वाले इनके 17 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई।

अभी कोई कह रहे थे कि कांग्रेस को जनादेश नहीं मिला है। जब कांग्रेस को जनादेश नहीं मिला है तभी तो कांग्रेस प्रतिपक्ष में बैठी है। हम इस बात का दावा नहीं करते कि हमको जनादेश मिला है। लेकिन आपको जनादेश नहीं मिला। राजस्थान के सम्पूर्ण मतदाताओं में से केवल 38.58 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग आपकी पार्टी और आपके चुनाव चिन्ह के हक में किया है इसका मतलब यह है कि 61.42 प्रतिशत लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है और इसलिए आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, न जनता ने आपको जनादेश दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रकार के मुद्दे उठाये लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी के अपने स्वयं के मुद्दे थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, 6 फरवरी, 1993 को मुख्य मन्त्रीजी गंगानगर गये थे, वहां पर कुछ लोगों को उन्होंने पार्टी में शामिल किया और गंगानगर के हनुमानगढ़ की एक आम सभा के अन्दर इस बात का ऐलान किया था जिसका रिइटेरेशन अभी उन्होंने 4 दिसम्बर को किया है कि हम अवकाश से लौट आये हैं, उस वक्त कहा था कि हम अवकाश पर गये हैं। मुख्य मन्त्रीजी, जनता के प्रतिनिधि कभी अवकाश पर नहीं जाते और अवकाश पर अगर गये हुए थे तो सब के सब आपके रिटर्न होकर तो नहीं आये। उसमें से आपके दो-तिहाई धराशाही रह गये जनता के बीच में और अवकाश मिलता है सरकारी कर्मचारियों को। वह नियम हम पर लागू नहीं है। जनता या तो हमको वापस प्रतिनिधि बनाती है या फिर कम्पल्सरी रिटायर करती है। इसलिए इन चुनावों के जो परिणाम आये, गंगानगर में अवकाश की बात कही, उसी अवकाश की बात उन्होंने दस महीने के बाद, दस महीने में एक-दो दिन कम होंगे, यहां पर वापस दोहरायी और कहा कि हम अवकाश से वापस आ गये हैं।

मुख्य मन्त्रीजी, गंगानगर जिले में जहां

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने चुनाव लड़ा, वहां पर तो लोगों ने आपको अवकाश-ववकाश नहीं, कम्पलसरी रिटायर कर दिया। आप गंगानगर की गंगा में डूब गये। गंगानगर की गंगा के अन्दर आप तैरना चाहते थे, वैतरणी पार करना चाहते थे, वहां पर आप डूब गये और तीसरे नम्बर पर रहे।

आपने इस चुनाव में जो मुद्दे उठाये, जिन मुद्दों के आधार पर आप जनता का और मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, "राम राज्य की ओर", "यह चुनाव लघु चुनाव है, भारत की सरकार, केन्द्र की सरकार का भी भविष्य इस पर निर्भर है," भय, भूख और भ्रष्टाचार का नारा दिया-समाप्त करने का, 'आज पांच प्रदेश-कल पूरा देश", चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन कायम हुआ, दिल्ली का प्रशासन भी। वहां पर असेम्बली, अभी, अध्यक्ष महोदय, आप ओबिचुअरी रिमार्क्स में चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी का उल्लेख कर रहे थे, वहां पर 1952 में विधान सभा थी और 1957 के बाद में विधान सभा समाप्त कर दी गई। उसके कुछ सीमित अधिकार हैं, उसको उतने अधिकार नहीं हैं, वह सोवरनिटी नहीं है जो देश की दूसरी विधान सभाओं को है। लेकिन दल-बदल से और खरीद-फरोख्त से एक सरकार आप बना सके, बाकी अन्य राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आपको पराजय का मुंह देखना पड़ा। सोच तो रहे थे आप दिल्ली आने की बात, मुख्य मन्त्री जी, शायद यह आपको याद होगा कि सवा डेढ़ साल पहले यहां पर बी जे.पी. का प्लीनरी सैशन हुआ था और प्लीनरी सैशन में इस बात का नारा दिया था कि दिल्ली चलो। मतलब केन्द्र की सरकार पर कब्जा करो, वहां सत्ता हथियाओ और इस चुनाव में भी आपने "आज पांच प्रदेश और कल पूरा देश" का नारा दिया, मतलब है केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकट भविष्य में ही बनने वाली है। मुख्य मन्त्री जी, दिल्ली इतनी नजदीक नहीं है, दिखने में तो यहां से 262 किलोमीटर है लेकिन एक फारसी का जो शेर है-"दिल्ली हनूज दूरस्थ"। दिल्ली की पैराफेरी में रहने के बाद मे लाल किले मे बादशाह नहीं घुस सका। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर के ऊपर खड़ा होना बहुत आसान बात नहीं है। इस देश के 55 करोड़ मतदाता उस बात को तय करते हैं। हालांकि इस मिनी इलेक्शन की आपने बात कही कि देश के एक चौथाई मतदाता अपना निर्णय लेंगे और उन्होंने निर्णय देकर आपकी नीतियों को, आपके कार्यक्रमों को और आप जो इस देश के अन्दर एक साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके चैन और शान्ति को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं. समाज के ढांचे को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं, सद्भावना और सद्भाव के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, आपके इन मुद्दों को और इन बातों को किसी ने नहीं सुना। राम मन्दिर का नारा आपने लगाया, धार्मिक भावना है। फिरकापरस्त जज्बात उभारने की आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी लेकिन लोगों ने आपको सुना नहीं। वास्तव में देखा जाये तो मतदाता आज पिछड़े हुए प्रान्त के अन्दर विकास की बात करता है। जहां तक आप विकास का कोई भी कार्यक्रम लेकर आते हैं और उसमें आप हमारे सह-

(श्री परसराम मदेरणा)

योग की अपेक्षा रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हम कन्स्ट्रक्टिव सजेशन भी देंगे और आपके साथ राजस्थान के विकास के अन्दर सहयोग भी करेंगे।

मेरा ऐसा अनुभव है इस चुनाव में आम मतदाताओं की और जनता की एक ही इच्छा, एक ही मांग और एक ही उनका मंतव्य है कि राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इसमें बहुत कमियां हैं, सामाजिक सेवाओं की, औद्योगिकीकरण की, अकाल पड़ते रहते हैं, गरीबी है, और उसका समाधान और निराकरण होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पांच प्रदेश तो दूर रहे एक प्रदेश में जो सरकार बनी है वह भी बाराबन्दी और घेराबन्दी से जिस तरह से मुख्य मन्त्री जी ने बनायी है। मुख्य मन्त्री जी इस प्रकार की हेराफेरी और जोड़ तोड़ के अन्दर महारथ रखते हैं और मैं इनको पोस्ट मास्टर कहूं तो कोई बात नहीं है। हिन्दुस्तान में आपकी सानी का दूसरा मुख्य मन्त्री मुझे नहीं मिला। यह आपकी तरीफ मैं नहीं कर रहा हूं, यह बात कई अखबारों ने लिखी है। हार और जीत के सम्बन्ध में आज-कल विश्लेषण हो रहा है, विवेचन भी हो रहा है और हिन्दुस्तान के सभी साप्ताहिक और पाक्षिक अखबार भरे हुए हैं क्योंकि आपने वैसी ही सरकार बनायी है जैसी सरकार आपने प्रारम्भ में 1990 में बनायी। 1990 में तो आप दोनों साथ चुनाव लड़कर आये थे फिर जब श्री देवीलाल जी और श्री वी. पी. साहब की नाइत्तफाकी हो गयी तो श्री देवीलाल जी वाले मन्त्रियों की छुट्टी की और-और मन्त्रियों को आपने सम्मिलित किया। फिर नवम्बर के अन्दर जब जनता दल के अन्दर फिर विभाजन होने लगा और आपकी वैसाखी पर टिकी श्री वी.पी.साहब की सरकार जब डांवाडोल होने लगी तो श्री वी. पी. सिंह जी के लोगों को आपने अपने मन्त्रिमण्डल में लिया और पहले वालों की छुट्टी कर दी। आज भी आपने जो सरकार बनाई है, जो निर्दलीय आये हैं उनकी वैसाखियों पर टिकी हुई आपकी सरकार है। इसलिए मैं इसको +++सरकार कहता हूं। बी. जे. पी. को राजस्थान की जनता ने स्पष्ट मेण्डेट नहीं दिया है यह मुख्यमन्त्री जी, आप स्वयं भी जानते हैं, आपकी पार्टी जानती है और राजस्थान की जनता जानती है।

आपने पहले चुनाव के वक्त एक नारा बनाया था "जय सियाराम" "जय सीताराम" सीता और राम का नाम हमेशा साथ जुड़ा रहता है, लेकिन बाद में आपने सीताजी को तो बाहर रख दिया और "जय सियाराम" पर आ गये लेकिन यह नारा भी आपका कामयाब नहीं हुआ.... (व्यवधान).... आपने एक नारा लगाया, आपने एक मुद्दे पर फिर चुनाव लड़ा कि हमारा इरादा नेक है और हमारी कथनी और करनी एक है। एक नारा लगाया कि कहते हैं सो करते हैं। मगर हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती नहीं है। और तो और आपने सर्वोच्च न्यायालय को एफेडेविट दिया, राष्ट्रीय एकता परिषद के अन्दर आपने वचन दिया और देश को

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

लोक सभा को आपने विश्वास दिया। लेकिन आप वायदे, कसमें और कथन के ऊपर और अपने वचन के ऊपर कभी नहीं टिके। आपने उन सबको नकारते हुए पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के साथ में दगाबाजी और विश्वासघात किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस राम मन्दिर के मामले को लेकर और केवल राजनीति को धर्म में समाहित करके वोट प्राप्त करने के लिए, वोट बैंक तैयार करने के लिए आपने लोगों की भावना को उभारा। आपका वास्तव में नारा तो यह होना चाहिये था कि सौगन्ध राम की खाते हैं और वोट के लिए नाम भुनाते हैं। आपने राम के नाम को भुनाने की बहुत कोशिश की लेकिन जागरूक मतदाता आपके इस नारे में नहीं आये और आपको उन्होंने जनादेश भी नहीं दिया।

मुख्य मन्त्री जी, अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी बातें आपने कही हैं, पूर्व में जो योजनाएं बनायी हैं और हमारी जो नीतियां रही हैं। क्योंकि राज्यपाल का और अभिभाषण होने वाला है इसलिए वह संक्षेप में अभिभाषण था। मैं ऐसा समझता हूं कि पहले जिस समय आप मुख्य मन्त्री बने थे उस वक्त आपने मुख्य मन्त्री बनते ही जो कहते हैं तो करते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं लेकिन आपने घोषणाओं का अम्बार लगा दिया था। उस वक्त मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं अभी तक इस विडम्बना में हूं कि इस वक्त आप या तो ज्यादा बुद्धिमान हो गये हैं या आपने यह सोचा कि घोषणाएं जो की जाती हैं इन घोषणाओं के क्रियान्वयन के अन्दर हमारी पार्टी के लोगों का नुकसान होता है। इसलिए उन घोषणाओं को आपने पूरा नहीं किया। आपने सबसे पहले घोषणा की कि भ्रष्टाचारियों को जेल दूंगा और भ्रष्टाचार जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा। भ्रष्टाचार तो खतम नहीं हुआ, मुख्य मन्त्री जी, लेकिन राज्य में इसका इजाफा जरूर हुआ है। मैंने एक दो दफा पार्टी दृष्टिकोण से नहीं, सरकारी तन्त्र में भ्रष्टाचार की कोई बात कही थी। मुख्य मन्त्री जी, किसी मुद्दे को जब प्रतिपक्ष उठाता है तो उत्तर देते वक्त ट्विस्ट करने और उसको ड्रिफ्ट करने के अन्दर आपको महारथ हासिल है। राज्य के अफसरों को भ्रष्ट बताना, मैं राज्य के सभी अफसरों को नहीं बताता, कई लोग बैठे हुए हैं गैलेरी में मैं उनकी इन्टेग्रिटी और आनेस्टी को सीजर की वाइफ की तरह अबव-बोर्ड समझता हूं लेकिन भ्रष्टाचार नीचे गया है और परकोलेट हो गया है। यह सबसे बड़ी विडम्बना है और इसकी वजह से जो राहत लोगों को मिलनी चाहिये वह राहत नहीं मिली है और उसमें इजाफा हुआ है, वह इजाफा आज यों का यों कायम है, वह आपकी देन है।

जमीन माफिया से निपटने के लिए आपने ऐलान किया और घोषणा की। कुछ आवासन समितियों के सम्बन्ध में आपने शिविर लगाये। शिविर लगाने के बाद अरबों रुपयों का घोटाला आपकी जानकारी में आया लेकिन उन अरबों रुपये के घोटाले को आपने लीपा-पोती करके उनके रेगूलराइजेशन की बात आज राज्यपाल महोदय से करायी है। इन जमीन के

Page No.27

(श्री परसराम मदेरणा)

मामलों में जो माफिया गिरोह है वह सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के निकट है इसलिए आपने अपनी घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया।

आपने एक बात और कही थी, मुख्य मन्त्री जी, यह कोई पालिसी सम्बन्धी मैटर नहीं है, यह आपकी घोषणाएं हैं जो आज तक कर सकते हैं और सबसे पहले आपको करनी चाहिये लेकिन आपने नहीं की आपने कहा था कि लोकायुक्त की परिधि में मुख्य मन्त्री को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन लाया जाएगा। आज तक तीन साल निकल गये, मुख्य मन्त्री जी, न तो संशोधन आया और लोकायुक्त का जो परमानेन्ट आफिस है, परमानेन्ट पद है उस पर भी आपने स्थायी नियुक्ति नहीं की। यह आपका आचरण रहा है।

आपने घोषणा की कि अतिक्रमियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि सार्वजनिक जमीनों पर, ट्रस्ट की ओर जे. डी. ए. की ओर सरकारी जमीनों पर, रिहायशी जमीनों पर, सिवाय चक भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण शेखावत साहब की सरकार के समय में हुए। अरबों रुपयों का सरकारी जमीनों को माफिया ने हड़प लिया लेकिन उस ओर आपने कोई कारगर कार्यवाही नहीं की। और कर ही, आप कैसे सकते हैं? अगर आप इस तरह का नेक इरादा रखते, राजस्थान में अतिक्रमियों का माफिया गिरोह ऐसा गिरोह है जिसने इन सहकारी समितियों की मार्फत अरबों रुपयों का धन .कमाया है, भ्रष्टाचार मिटाने का आपका इरादा होता, मुख्य मन्त्री जी, मुझे क्षमा करेंगे, तो आप पहले और अभी दल बदलुओं का सहारा लेकर इस प्रकार की सरकार नहीं बनाते।

आपने अपने कार्यकाल में मुख्य मन्त्री जी, अभी आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो आउट ले निर्धारित हुआ है उसमें दो सौ, ढाई सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की डींग हांकी है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर या फाइनेन्स बिल आया होगा उस समय सेवन्थ और ऐट्थ फाइनेन्स कमीशन में जो आपका मेमोरेण्डम था, जिसमें आपने राजस्थान को अरबों रुपयों का परमानेन्टली लोस दिया। उसका जिक्र मैंने पहले इस सदन में किया था, अब बाद में करूंगा। लेकिन मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस अवसर पर कि जिस वक्त मुख्य मन्त्री बनें चार मार्च को, मुख्य मन्त्री बनने के बाद आपने फाइनेन्स मिनिस्टर की हैसियत से, और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उल्लेख था, अपने भाषण में राजस्थान में बिजली के उत्पादन को लेकरपूर्ण उल्लेख किया था।

आप समय-समय पर भी कहते रहे और आज आपने जो लम्बी चौड़ी कई मजबूरियां बताई हैं, मैं जानता हूं यथार्थ है, मजबूरी आती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी, आप परसों कह चुके हैं कि मैं पांच साल में हर गांव में बिजली दे दूंगा। बिजली कनेक्शन देना एक बात है। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटेन्शन सिस्टम को परफेक्ट करना दूसरी बात है। बिजली का उत्पादन नहीं है। पूर्व में इस सदन में मैंने पिछले सत्र में निवेदन किया था कि राज्याध्यक्ष कमेटी के बाद में दूसरी कोई कमेटी देश में

(श्री परसराम मदेरणा)

पावर के सम्बन्ध में नहीं बैठी है। उसने प्रिन्सिपल निर्धारित किया है कि यहां पर थम्ब रूप से इस पर धनराशि का निवेश होना चाहिये। पचास फीसदी खर्चा आपको उत्पादन में करना चाहिये, पचास फीसदी खर्चा आपको एक्सटेन्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में करना चाहिये। चाहे आप कुछ भी कहें आज स्थिति यह है, आपने ट्रान्सफार्मर्स वगैरह जल्दी ठीक करने के निर्देश दिये हैं, परसों आपकी पार्टी के अन्दर भी यह बात उठी थी लेकिन हजारों ट्रान्सफार्मर्स जले हुए हैं, वोल्टेज गिरा हुआ है जो स्थिति आज बनी है इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। आप अपने पिछले तीन साल के शासन काल में पीछे देख लीजिये उठाकर, कांग्रेस के शासन काल में हर पंच वर्षीय योजना में पौने चार सौ या चार सौ मेगावाट के आस पास बिजली थी, पहली पंच वर्षीय योजना में कम थी। आप एवरेज देखेंगे तो आपकी सात पंचवर्षीय योजनाओं को उठाकर देख लीजिये आपके पास में 28 सौ मेगावाट बिजली की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है और अगर एवरेज देखते हैं तो चार सौ मेगावाट प्रति पंच वर्षीय योजना का एवरेज है।

आपने पन बिजली की यहां पर बात कही। पन बिजली कौनसी? मंगलोर वाली। पन बिजली कौनसी? चारणा वाली। डेढ़ मेगावाट, एक मेगावाट? अपने पौने तीन साल के शासन काल में साढ़े आठ मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ायी है। मैं इतना ही निवेदन करूं कि मैं इस मामले को पार्टी कन्सीडरेशंस से अलग रखता हूं। जिस वक्त मुझे पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से मतदाताओं से बात करने का अवसर मिला तो मैंने टी. वी. और रेडियो पर एक ही बात कही थी कि कोई भी सरकार आवे लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, आपकी सरकार ने राजस्थान में बिजली के उत्पादन में पाजीटिव कदम नहीं उठाये और बिजली का उत्पादन करीब-करीब ठप्प रहा। जिस वक्त आप मुख्य मंत्री बने और फाइनेन्स मिनिस्टर की हैसियत से आपने स्पीच दी थी इन चारों योजनाओं के ऊपर, चाहे वह चित्तौडगढ़ की हो, चाहे सूरतगढ़ की हो, चाहे धौलपुर की हो और चाहे बरसिंगसर की हो, चार सौ साढ़े चार सौ करोड़ की लागत बतायी गयी थी। आज उनकी प्राइस का एस्कलेशन इतना ज्यादा हो गया, अध्यक्ष महोदय, कि हर योजना के ऊपर 16 सौ, 17 सौ करोड़ की लागत आ रही है और यह लागत भी नहीं आ रही है। किसी भी पन बिजली की योजना को लें, चाहे थर्मल प्रोजेक्ट की योजना हो, जेस्टेशन पीरियड हरेक प्रोजेक्ट पर पांच साल का है। आज किसी काम को प्रारम्भ करें तो पांच साल के बाद वहां से बिजली का उत्पादन शुरू होगा। राजस्थान के अन्दर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आप लट्ठे बट्ठे लगा कर बिजली दे देंगे तो वहां पर लोगों को मोटरें और ट्रान्सफार्मर्स जलाने के लिये बिजली का वायदा कर रहे हैं? आप अपना वायदा पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैंने उस समय कहा था कि राजस्थान को जो क्षति हुई है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस क्षति की पूर्ति करना किसी भी आने वाली सरकार के लिये असम्भव है। मैं आपके ऊपर चार्ज लगाता हूं कि आपने केवल पर्यावरण के बहाने धौलपुर में सबसे पहले सैंक्शन कराने के लिये वहां पर काम प्रारम्भ करने के अन्दर मतदाताओं

(श्री परसराम मदेरणा)

से वोट मांगते वक्त इस बात का वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिये आपके पास संसाधन नहीं थे। साढ़े ग्यारह हजार करोड़ के बारे में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आपने आंकड़े तो बहुत बता दिये लेकिन रुपये की वेल्यू कितनी घटी है आप वह नहीं बता रहे हैं। आज इन्फ्लेशन किस पर्सेन्टेज में बढ़ रहा है उसको आप नहीं बता रहे हैं। आप केवल आंकड़ों में आ रहे हैं। आंकड़ों में तो 1925 में मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि मोहर की कीमत 16 रुपये है, आज उसकी कीमत चार हजार रुपये हैं। इसलिये आप उन आंकड़ों में मत जाइये। आज रुपये की वेल्यू क्या है? मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जब आपको धौलपुर की योजना को अनुमति नहीं मिली, एन.ओ.सी. नहीं मिली तो दूसरी योजनाओं के ऊपर भी आपने कार्यवाही नहीं की क्योंकि आपके पास इतने साधन नहीं हैं। आज पंचवर्षीय योजना का जो दूसरा वर्ष है उसमें गवर्नर साहब के अभिभाषण में 57 करोड़ का घाटा है। यह बताया था, मैंने पढ़ा नहीं, अभी मेरे पास में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नही आया है लेकिन 57 करोड़ का घाटा भी किस लिये हो रहा है? साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की योजना बनाने के लिए आपने प्लानिंग कमीशन के सामने जो वादे किये थे वे वादे क्या थे और आप इस साढ़े ग्यारह हजार के आंकड़े को आपके रिसोर्सेज के साथ जोड़ते हुए और भारत सरकार द्वारा जो डिवोलूशन होता रहेगा रिसोर्सेज का, जो फाइनेंस कमीशन के निर्णय के अनुसार और रिकमण्डेशन के अनुसार होगा, आप किस तरह से आपके रिसोर्सेज की पूर्ति करेंगे, यह बात न तो आपने कभी सदन में बतायी है और वहां क्या बतायी है आपने, उसकी जानकारी हम को नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं ऐसा जानता हूं कि जो मुद्दे उन्होंने उठाये और ज्यों-ज्यों इनकी धरती खिसकती गयी कि यह वादे, यह मुद्दे चल नहीं रहे हैं तो अपने वादे बदलते गये।

अयोध्या पर जनादेश की बात कल्याण सिंहजी ने कही। 15-20 दिन तक आडवाणीजी चुप रहे उन्होंने बाद में कहा कि नहीं-नहीं, मंदिर के मामले में दूसरा भी न्यास है लेकिन उसके साथ भी हम सहयोग करते हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है। तो मुझे कहा कि यह वादा और है, यह मुद्दा आपका चल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में। मैं यहां पर आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जिस सरकार का गठन किया है यह नैतिकता के किसी भी मानदण्ड में नहीं आता।

परसों आपके राजनीतिक गुरू आदरणीय वाजपेयीजी ने प्रतिभूति घोटाले पर भाषण देते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उन्हें समाज के शत्रु की संज्ञा दी जानी चाहिए। सारे घोटाले का दुःखद पक्ष यह है कि इससे हमारी नैतिकता की साख को धक्का लगा है जिसके बल पर पिछड़े होने के बावजूद हमारा देश दुनिया में सम्मान का अधिकारी था।

राजस्थान बहुत पिछड़ा प्रान्त है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मानते हैं कि वाजपेयीजी ने कहा ?....

Page No.30

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यह आपको कह रहे हैं कि आपमें नैतिकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो वाजपेयीजी ने कहा, आप लोग मानते हैं क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : आप तो मानिये, हम मानें या नहीं मानें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उदाहरण पोज कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जिसके बल पर पिछड़े होने के बावजूद हमारा देश दुनिया में सम्मान का अधिकारी था। राजस्थान अस्टंव्हाइल राज्यों से बना हुआ प्रदेश, का एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। आज भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसका बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेण्ट की आवश्यकता है। मुख्य मंत्रीजी प्लानिंग कमीशन के सामने, नेशनल डवलपमेण्ट कौंसिल के सम्मुख गाडगिल फार्मूले को लेकर हमेशा इस बात को रखते रहे हैं कि राजस्थान कई मामलों के अन्दर आज देश में बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आपके राजनीतिक गुरूजी ने.......

(13.53 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

जिस नैतिकता की बात कही है उन सिद्धान्तों को और नैतिकता को स्थापित करने की बात तो दूर रही लेकिन उन्होंने जिन लोगों को शत्रु की संज्ञा दी है, वाजपेयीजी के शब्दों में, इस सरकार बनाने के लिए जिस नैतिकता को आपने तिलांजली दी है उसके लिये आपको नैतिकता के शत्रु से अलकृत किया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

माननीय निर्दलीय सदस्यों की बैसाखी पर टिकी हुई +++ सरकार है। मैं निर्दलीय माननीय सदस्यों, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, से भी निवेदन करूंगा ऐसा नहीं हो, सरकार बनाने में तो इन्होंने कुछ नजीर देने की कोशिश की है और इनकी पार्टी में भी कइयों के दिल जल रहे हैं, थोड़े दिन के बाद में आपकी कहीं यह दुर्गति नहीं कर दें, इस बात के ऊपर आप भी अपना एक प्रगतिशील एसोसिएशन बनाये रखना। मैं ऐसा मानता हूं कि जो अनैतिक तरीके को अपना करके राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, भैरोंसिहजी ने जो सरकार का गठन किया है इस सरकार को न तो जनादेश है, 61.4 प्रतिशत जनता ने इसके खिलाफ आदेश दिया है और इसलिए इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से, जो इस ओर और उस ओर बैठे हैं, निवेदन कर रहा हूं कि जो प्रस्ताव मुख्य मंत्रीजी ने रखा है उसको गिराया जाना चाहिए और उनकी सरकार में अविश्वास प्रकट करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (शाहपुरा) :

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

सभापति महोदय, सदन के नेता और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है, वैसे तो यह आज शुद्ध अंक गणित का पर्चा था क्योंकि अभी 4 तारीख को ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ली है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, इस सरकार की आलोचना-प्रत्यालोचना की कोई सामग्री नहीं थी और शुद्ध अंक गणित का पर्चा होने के नाते शुद्ध अंक गणित के पर्चे के रूप में ही इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन, सभापति महोदय, जब इस पर बहस चालू हुई है तो मैं कुछ मुद्दे निवेदन करना चाहता हूं।

विपक्ष के माननीय नेता ने इस विषय पर जो कुछ कहा है उससे न तो राजस्थान की राजनीति को दिशा मिलती है, न आज तक देश में जो राजनीति चलती आयी है उसकी ओर इनका कोई संकेत मिलता है। भाषा जिस तरह की बोली, आलोचना जिस भाषा में की है, +++ सरकार बता दिया, सत्तालोलुप और भ्रष्ट कारणों से बनी हुई सरकार बता दिया लेकिन आधार क्या बताया और होना क्या चाहिए था, इस विषय में प्रतिपक्ष की ओर से कोई सुझाव सामने नहीं आया। इसलिए मैं आज श्रीमान् राजीव गांधी, जो स्वर्गीय हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बात निवेदन करना चाहता हूं। राजनीतिक नैतिकता का उदाहरण, जब मैं नवीं लोक सभा का सदस्य बन कर लोक सभा में गया था और लोक सभा का गठन हो गया था उस समय श्रीमान् राजीव गांधी ने कहा था कि देश की जनता ने मेरी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है और इसलिए सबसे बड़े दल का नेता होने के बावजूद मैं सरकार बनाने का अपना विचार छोड़ता हूं। ....(व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : यही आपको करना चाहिए था न।

श्री कैलाश मेघवाल : करेंगे-करेंगे, हम करेंगे न। यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा नहीं किया। ....(व्यवधान) ....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं स्व. राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए इस बात से एक संकेत देना चाहता हूं कि उस समय देश में मान्य परम्पराएं यह हो चुकी थीं। इस देश में, माननीय सभापति महोदय, इस पक्ष को और उस पक्ष को एक बात को समझना पड़ेगा कि आने वाले 10 साल जिस तरह की राजनीति चलने वाली है, 10 से 15 साल तक ऐसे मौके लोक सभा में भी उपस्थित होंगे और विधान सभाओं में भी उपस्थित होंगे और उस समय हमारी राजनीतिक मर्यादायें क्या रहें, उस समय हमारे राजनीतिक तकाजे क्या रहें, उस समय हमारी राजनीतिक नैतिकता किस आधार पर बने, यह न केवल राजस्थान विधान सभा का सवाल है, यह देश की लोक सभा का सवाल भी है और राजस्थान के अलावा अन्य प्रान्तों की विधान सभाओं का भी एक सवाल है। दूसरा मौका एक और आया

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

था, माननीय सभापति महोदय, नवीं लोक सभा में जब अयोध्या के मसले पर श्री वी पी. सिंहजी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देना बंद कर दिया उस समय श्री वी.पी. सिंहजी की सरकार बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी, लोक सभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सकी थी और नवम्बर में त्याग पत्र दे दिया था, यह दूसरा मौका था जिस मौके पर भी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी से कहा था कि आप अब सबसे बड़े दल के नेता हैं आप सरकार बनाइये और राजीव गांधीजो ने मना किया। लिखित में कहा गया था राष्ट्रपति महोदय की ओर से।

उसके बाद चन्द्रशेखरजी को समर्थन देकर एक सरकार बनी। यहां तक तो सही है। अब दसवीं लोक सभा का क्या हाल रहा, माननीय सभापति महोदय। मेरे ख्याल से प्रतिपक्ष के नेता के जितने तर्क रखे वे सारे तर्क पी.वी. नरसिम्हा रावजी ने जो सरकार बनायी उसके विपरीत जाते है। दसवीं लोक सभा का जब से गठन हुआ, बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला। अब आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं प्रतिशत के कि कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले, भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत मिले, जनता पार्टी को कितने प्रतिशत मिले।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 57 प्रतिशत।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके आंकड़ों पर मैं विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि आपकी कोई बात विश्वसनीय नहीं रही है। आज जितना भी आप बोलें वह सब अविश्वसनीय है और अपनी मान्य परम्परा और पी. वी. नरसिम्हा रावजी के आचरण को यहां आपने अपमानित किया है, उनकी आलोचना की है क्योंकि उस समय देश में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस पार्टी शासन में आयी थी और जब कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दल था तो राष्ट्रपति महोदय ने मान्य परम्पराओं के अनुसार पी. वी. नरसिम्हा रावजी से निवेदन किया था कि अपनी सरकार बनायें और सरकार बनाने के बाद लोक सभा में बहुमत साबित करें। यह मान्य परम्परा है। इस राजस्थान की परम्परा जो है, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य 1967 की बात कह रहे थे, यह सही है 1967 तक देश में, केन्द्र में, प्रदेशों में एक ही कांग्रेस प्रतिनिधियों की सरकारें बनी थीं लेकिन 1967 के बाद में इस देश की राजनीति ने पहली बार करवट ली और संयुक्त विधायक दल बने और उन संयुक्त विधायक दलों में, माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं उस पक्ष में बैठे हुए कई व्यक्ति कई माननीय सदस्य उस राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे जिसमें विधायक दल बना करके कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष का बहुमत था और बहुमत ही नहीं राष्ट्रपति भवन और राज्यपाल भवन में जा कर के उस समय के विपक्ष ने अपनी संख्या के आधार पर अपने विधायकों का बहुमत साबित किया था, माननीय सभापति महोदय, लेकिन उस समय के तात्कालिक राज्यपाल स्वर्गीय सम्पूर्णानन्दजी ने उस समय यह कहा एक राजनैतिक विचार के अन्दर कि नहीं, राजस्थान में संयुक्त विधायक दल के बहुमत होने के बावजूद क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राज-

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्थान की कांग्रेस पार्टी है। इसलिये कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी, जो आज स्वर्गीय हैं, को उन्होंने सरकार बनाने के लिये बुलाया। तो आज हमारे सामने मुद्दा बड़ा साफ था। आज मैं पूछना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता से कि ये सारी बातें कहां गयीं? बड़े मुद्दे उठाये लेकिन शुद्ध अंक गणित के आधार पर मैं आज पूछना चाहता हूं, आज की परिस्थितियों में सारे देश में इस विषय पर चर्चा हो जाय कि 98 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आये ....

एक माननीय सदस्य : 95 सदस्य जीत कर आये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : 95 और समर्थित तो साझे के होते हैं। आप भी जानते हैं। राजनैतिक परिभाषा करना सीखिये.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें, सुनें, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। आप कृपया विराजिये।

श्री रामस्वरुप मीणा (टोडाभीम) : हमने तो सही बताया है, आपको पता नहीं है तो मत बोलो। हम तो यह कह रहे हैं.... (व्यवधान) आंकड़े तो सही बुलवाओ। इनको पता ही नहीं है कि कितने सदस्य जीत कर आये हैं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : 95 हैं और आप 98 कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। इसमें क्या बात हो गयी। आप बोलें जब बता देना 95, इन्होंने 98 बता दिया। क्या हो गया है इसमें। कृपया जारी रखें।

श्री कैलाश मेघवाल : लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां हम राजनैतिक भाषा और राजनैतिक अंक गणित के आधार पर बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 95 भारतीय जनता पार्टी के और 3 समर्थित, यह 98 सदस्य हैं, यह गणित कौन नहीं मानता। हमारे भी समर्थित हो सकते हैं, इनके भी समर्थित हो सकते हैं। समर्थित से परे एक स्वतन्त्र निर्दलीय सदस्य भी होता है उसकी स्थिति अलग होती है। चुनावों में जिनको समर्थन देते हैं वह भी हमारे साझे का उम्मीदवार होता है निर्दलीय के रूप में लड़ता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के वोट भी मिलते हैं। इसलिये मैंने राजनैतिक अंक गणित के आधार पर बात कही है, 98 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आये थे। एक सीधा-सीधा देश की मान्य परम्पराओं के अनुसार....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

समय हो गया क्या, सभापति महोदय?

श्री सभापति : 10 मिनट का समय था वह समाप्त हो गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, मुझे तो यह बताया गया कि 20 मिनट बोलना है, मैं तो पहला स्पीकर हूं।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। दस मिनट का समय था वह समाप्त हो गया है। बोलिये, बोलिये। प्रत्येक को दस मिनट दिये गये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं आपसे एक बात निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, सीधी सी मान्य एक परम्परा थी कि 98 सदस्य वाला दल है जिसको सत्ता का अधिकार मिलता है। आज कहीं बहुमत नहीं होगा। न दिल्ली में होगा, न प्रदेशों में। इसलिये मैं चाहता हूं कि आज की बहस राजस्थान के भविष्य की राजनीति को तय करने के लिये सार्थक हो। उस सार्थकता को प्रतिपक्ष के नेता को कोई दिशा देनी चाहिये थी। आखिर वह चाहते क्या हैं, कहना क्या चाहते हैं ? उत्तर प्रदेश के उदाहरण तो बहुत दे रहे थे कि छीन ली। उत्तर प्रदेश में तो प्रतिपक्ष के नेता की पार्टी के इतिहास के कूड़ेदान में फैंक दिया गया है। कितने सदस्य थे ? पूछें तो सही। 425 में से 28 थे और वहां पर राजनैतिक नैतिकता का आदर नहीं कर सके। वहां पर बहुमत की सिंगल लार्जेस्ट राजनैतिक पार्टी के नेता को अगर सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार बनता था। राजनैतिक, अनैतिकता, राजनैतिक दबावों के कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से दूर रखा गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, माननीय सभापति महोदय। आखिर हमको यहां राजनीति करनी है या नहीं करनी, हमको राजनैतिक कुछ मूल्य स्थापित करने हैं, हमको राजनैतिक कुछ दिशाएं देनी हैं।

प्रतिपक्ष के नेता, अभी बार बार जिक्र कर रहे थे अयोध्या और राम मन्दिर का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है, माननीय सभापति महोदय। मैं इसको राजनैतिक मुद्दा नहीं मानता, यह राष्ट्रीय मुद्दा है और अगर प्रतिपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को विश्वास है, इस पाइंट पर देश में रैफरेंडम करवा लें कि अयोध्या में रामजी का मन्दिर वहां बनना चाहिये जहां उनका जन्म हुआ। अवतार हुआ वहां मन्दिर बनना चाहिये या मस्जिद बननी चाहिये, हिम्मत हो तो इस इश्यू पर रैफरेंडम कराके देख लें। यह इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा है इसको राजनीति से मत जोड़िये धर्म को राजनीति से विकारग्रस्त करने का अगर किसी ने इस देश पर अपराध किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह मैं कहना चाहता हूं। जब उसकी प्रतिक्रिया में कुछ होता है तो बड़ी उछलकूद मचती है। मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय सभापति महोदय, अभी हाउस के प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने हमारे सदन के माननीय नेता को एक प्रमाण-पत्र दिया है, महारथ हासिल है, दक्षता हासिल है। ऐसे प्रमाण-पत्र अपने भाषणों में सामने बैठा हुआ प्रतिपक्ष हमेशा उनकी श्रुति में देता रहेगा। चूंकि 40 साल का, 50 साल का आपका राजनैतिक जीवन है उस राजनैतिक जीवन में इसी विधान सभा में विपक्ष से आमना-सामना होता रहा है और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपको किसी भी विषय पर मन से प्रमाण-पत्र नहीं दे। यहां बोलने के लिये कुछ भी बोल देंगे, चैम्बर में जाकर कुछ कहेंगे, मित्रों से कुछ कहेंगे.......

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी जो प्रमाण-पत्र आज दे रहे हैं कुशलता, दक्षता, कुशाग्र बुद्धि का, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं 95 और दूसरे, किसी को नहीं दे रहे हैं केवल आपको दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, यह सद्भावना मुख्य मंत्रीजी को प्रभावित करें तो वह जो भावना चाहते हैं वह पूरी हो, यह मैं चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्री न होते हुए भी अभी जमुना विवाद के ऊपर उनको आप पर विश्वास था, आपकी दक्षता पर भरोसा था तभी आप एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी की हैसियत से वहां उपस्थित थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल नहीं है, राजस्थान के हित में है, मैंने इनको और यदुनाथजी को यही कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रीजी को भी बुला लेते और उनको भी बुला लेते। इसलिये मैं एक्स्ट्रा कांस्टीटूशनल कह रहा था। मंत्रीजी अनुपस्थित थे। मैं यह जानता हूं कि पहले....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मंत्रीजी अनुपस्थित नहीं थे, हास्पिटल में भर्ती थे।

श्री परसराम मदेरणा : यह सिचाई मंत्री रहे हैं इनको जानकारी थी अगर साथ ले गये तो मैं उसको गलत नहीं मानता। इनका ले जाना ठीक था। तो वह प्रमाण-पत्र तो समय-समय पर आप स्पष्ट और अस्पष्ट तौर पर इनके सम्बन्ध में देते रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक स्पष्ट कर दूं, सिचाई मंत्री उस समय हास्पिटल में थे, अस्वस्थ थे।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था, प्रतिपक्ष के नेताजी ने आज कुछ रेफरेंसेज अखबारों को दिये हैं। मैं बड़ी मर्यादा रखते हुए बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस राजस्थान के 29 नवम्बर से 3 मार्च तक के अखबारों के प्रसंग पढ़ें और उनकी विशद व्याख्या करूं, माननीय सभापति महोदय, तो मेरा ऐसा ख्याल है उधर बैठे हुए सारे सदस्यों का सिर +++ झुक जायेगा। जिस तरह थैली शाह यहां बैठे हैं और इस देश के एक्सपर्ट्स दल-बदल करवाने वाले, विधायकों को खरीदने वाले, विधायकों को दबाकर उनको अपने पक्ष में करने वाले इस देश के जाने माने प्रतिपक्षी पार्टी के जो लोग आज यहां पर हैं, उसके सारे लोग यहां दक्षता लिये हुए आकर बैठ गये। लेकिन यह राजस्थान एक गौरवमय राजस्थान है, राजस्थान की अपनी एक मर्यादा है, राजस्थान का अपना इतिहास है और उस राजस्थान ने उन सबके मुंह पर ठोकर मार कर उनको यहां से रवाना कर दिया कि यह थैलियों का प्रभाव नहीं चलेगा, सत्ता का प्रभाव नहीं चलेगा और यहां एक सच्चे नेतृत्व भैरोंसिह जी शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं तो बधाई देना चाहता हूं हमारे साथ जो दस निर्दलीय बन्धु आये, जिनके लिये आपने जिस भाषा

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

का प्रयोग किया, उन दस बंधुओं, जो निर्दलीय हमारे साथ जुड़े हैं, ने माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। राजस्थान को पांच साल तक स्थायी शासन देने के लिए भैरोंसिह जी के साथ वे जुड़े है। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, सार्वजनिक रूप से उनका स्वागत करता हूं। राजस्थान की जनता ने इस कदम को सराहा है। बाकी 76' मान लीजिये 76 और निर्दलीय मिलाते ही हैं तो था क्या इनके पास ? कुछ है तो नही। वैसे ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बने।

तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आज के विषय को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए आज का जो सदन का अंक गणित का पर्चा है, इस पर्चे में मैं प्रतिपक्ष की इस भावना से सहमत हूं और इस भावना का स्वागत करता हूं कि वे रचनात्मक सहयोग दें और उस रचनात्मक सहयोग के आधार पर सब मिल कर राजस्थान के विकास को एक नयी दिशा दें।

भ्रष्टाचार की बात कह दी। माननीय सभापति महोदय, मैं भी और आप भी अभी जीवन के साठ साल तक पहुंच चुके हैं, प्रतिपक्ष का सदस्य, कोई भी सदस्य यह कह दे कि भ्रष्टाचार का उपयोग कब हुआ और कहां से हुआ और कब से चालू हुआ। आप कुछ भी कह सकते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। आज ज्यादा, कल कम। आज बढ़ गया, आज घट गया। यह कहना मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1977 से 80 तक जब माननीय भैरोंसिह जी शेखावत मुख्य मन्त्री थे तब और पिछली सरकार में माननीय भैरोंसिहजी ने आनेस्ट एफर्ट्स जिसको कहना चाहिये, ईमानदारी से प्रयोग किये कि भ्रष्टाचार कम हो और उसको कम करने में मैं चाहता हूं कि प्रतिपक्ष भी सत्ता पक्ष की मदद करे। इस भ्रष्टाचार से सब तरफ प्रभावित हैं। हमारा विकास तो इस भ्रष्टाचार की वजह से रुका है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक प्रमाण-पत्र दिया था कि मैं एक रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा बीच में खाया जाता है। अगर यह 85 पैसा 40 साल तक यह लोग बीच में नहीं खाते तो आज राजस्थान की जो तस्वीर है वह एक बढ़िया तस्वीर बनती, विकास के मामले में हम आगे होते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप अकाल राहत मन्त्री थे, सारे पैसों का घोटाला हुआ और आपने कुछ भी नहीं किया बार-बार शिकायत करने के बाद भी।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। बैठ जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : अपन मीणे-मेघवाल लोग आपस में क्यों लड़ें।

श्री सभापति : जारी रखें कृपया।

श्री रामस्वरूप मीणा : सही बात को आप क्यों छिपा रहे हो। कितना ही कह लो मंत्रिमंडल में कहीं नाम नहीं है आपका। कर लो खूब तारीफ।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा

(श्री कैलाश मेघवाल)

है उस प्रस्ताव के समर्थन की अपील करता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, आज विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए सदन के नेता, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस सन्दर्भ में मैं सबसे पहले एक निवेदन यह करना चाहती हूं कि हमारे संविधान ने, हमारे देश ने और इस देश की करोड़ों जनता ने जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपनायी है उसमें विधायिका और न्यायपालिका का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके साथ-साथ कार्यपालिका का एक बहुत सशक्त प्रतीक जो सरकार है वह अपने आप में देश की नीति निर्धारण में, उसके क्रियान्वयन में, जन आस्थाओं को कायम करने में और प्रजातंत्र जिन आधारों पर बना हुआ है उन आधारों की जड़ें मजबूत करने में और इस देश के गौरव और इस देश की प्रगति को आगे से आगे अग्रसर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका अदा करती है इसलिए इस सरकार और सत्ता पक्ष के साथ में लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं, आशाएं और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आम समाज के लोगों के मनों में सरकार का आधार नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही राज्य के संचालन में, देश के और राज्य के बनाने में नेता और प्रतिनिधि काम करते हैं, उनकी जीवन शैली, उनका चिन्तन और उनकी कार्य शैली, यह तमाम बिन्दु जुड़े हुए हैं जिनसे सरकार का स्वरूप बनता है। इसलिए सरकार के स्वरूप के बारे में सबसे गहरा चिन्तन और बहुत भावनात्मक चिन्तन के साथ में हमें इस राजनीति का रुख मोड़ना चाहिये और उस दृष्टि से आने वाले समय में सरकारों के बनाने और चलाने की धारा को प्रवाहित करना चाहिये।

मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहती हूं कि जिस प्रकार की कार्य शैली, जिस प्रकार के चिन्तन और काम के साथ में सरकार को चलना चाहिये. उन आशाओं के प्रति अगर सोचें तो आज की सरकार कतई तौर पर जन-भावनाओं की प्रतीक और प्रतिनिधि नहीं है। क्योंकि यह सरकार जो आज बनी है, उन निर्दलीय सदस्यों से मिल कर बनी है जो निर्दलीय सदस्य अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के न उसूलों के साथ जुड़े हुए हैं, न जनता ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के उद्देश्य से और भावना से जिता कर भेजा है और न वे उस माहौल में और चिन्तन में और कार्य शैली में अपने आपको जोड़ पायेंगे जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं।

माननीय सभापति महोदय, 21 निर्दलीय सदस्य जो चुन कर आये हैं उनमें से 20 बागी कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में कहलाये और जनता ने, मतदाता ने यह सोच कर उनको जिता कर भेजा है कि कांग्रेस पार्टी ने इनको वास्तविक कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं माना, यह गलती की है। इसलिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते उन्होंने उनको जिता कर भेजा है। और अगर यह चुनावों के दौरान यह घोषणा

Page No.38

(श्रीमती कमला)

कर देते कि हम जीतने के बाद कांग्रेस के साथ जाकर कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनायेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनायेंगे तो मैं निश्चय के साथ कह सकती हूं कि इनमें से कोई भी यहां पर आपको बैठा हुआ नजर नहीं आता। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि कोई भी सरकार जो आज अपने राज्य का संचालय करना चाहती है वह अगर जन भावनाओं का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती तो वह सरकार विश्वास का मत प्राप्त करने की हकदार नहीं बनती।

दूसरा निवेदन, माननीय सभापति महोदय, मैं यह करना चाहती हूं कि राजस्थान या किसी भी राज्य में जो सरकार बनेगी उस सरकार के बारे में आम आदमियों की क्या धारणा है, उसकी छवि जनता में क्या है और उसके प्रति लोग कितना विश्वास और आस्था रखते हैं, यह उस सरकार की सफलता, उस सरकार की क्रेडेबिलिटी और उस सरकार को बने रहने के लिए अधिकार देती है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए राजस्थान की जनता की भावनाएं कतई तौर पर जुड़ी हुई नहीं हैं। इसलिए कि आज जो सरकार बैठी है, या उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आम तौर पर राजस्थान में 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता किस प्रकार का राज चाहती है, किस प्रकार की हुकूमत चाहती है, यह उसका प्रतीक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता एक सद्‌भावना, एक भाईचारे, एक आपसी मेल जोल और एक इस तरह से साथ में मिलकर प्रगति करती हुई राज सत्ता की कल्पना करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले समय में जो प्रदर्शन किया, वह बोलने के लिए अभी बहुत जोर से बोले थे और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी था कि यह सरकार भाईचारा, सद्‌भावना, कानून व्यवस्था इन सबका बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगी लेकिन आप और हमने देखा है कि किस प्रकार से इस राज्य, जिसे हमेशा शान्ति के नाम से जाना गया है, के अन्दर खून-खराबा हुआ, किस तरह से साम्प्रदायिक दंगे हुए, जयपुर में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, कोटा में क्या हुआ ? मालपुरा में क्या हुआ और सरकार की क्या उसके अन्दर भूमिका रही और किस प्रकार से आज तक भी लोग भयभीत हैं। लोग यह मानते थे कि भाजपा की सरकार राजस्थान में नहीं आनी चाहिए और बहुत बेचैनी से लोग यह सोच रहे थे कि अगर आ गयी तो हमें अभी से एक-एक महीने का राशन इकट्ठा कर लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं यह जयपुर शहर के निवासियों से पूछिये आप, इनको इस बात का मालूम है। दूसरी तरफ जिस प्रकार की साम्प्रदायिक और कट्टरता की छवि इस पार्टी की है वह राजस्थान की जनता नहीं चाहती। जैसा अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अयोध्या का, राम का, मन्दिर का, मस्जिद का, जय श्रीराम का, धर्म का सारा एक विश्लेषण किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि एक समय में कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए लोगों ने आपकी उन बातों को अपने हृदय में

(श्रीमती कमला)

धारण किया और सोचा कि आप सचमुच में बहुत ज्यादा सही मायने में धर्म के प्रतिपालक हैं, जनता के बहुत भरोसा करने के लायक हैं और उसका आगे विकास करने वाले लोग हैं। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ ? किसी ने कोई बड़ा भारी अभियान नहीं किया, धीरे से जनता ने ही उन तमाम मुद्दों को दफना दिया क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये मुद्दे सिर्फ वोट लेने के लिए तैयार किये गये थे, इनके पीछे कोई सच्ची धार्मिक भावना नहीं थी और भगवान की भक्ति नहीं थी। इसलिए इनकी जो इमेज है उसे सुधारने की जरूरत है।

दूसरी तरफ, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। जितनी उद्घोषणाएं इन्होंने 90 के चुनावों के पहले की थी उन उद्घोषणाओं में से इन्होंने कितनी उद्घोषणाओं की क्रियान्विति की ? आज भी तमाम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जानते हैं और आज भी जो ये कह रहे हैं और गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाषण में कहा है इन उद्घोषणाओं का पालन करने का न इनका सच्चा मन है और न इनमें क्रियान्विति की क्षमता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दो बार, अब तीसरी बार जनता इनको देख रही है और राजस्थान की जनता यह महसूस करती है और मानती है कि चाहे किसी भी तरह जोड़-तोड़ करके शासन बना कर आ गये हैं लेकिन इन्हें सरकार चलाना नहीं आता, सरकार चलाने की क्षमता नहीं है, इनका मन-मानस नहीं है कि राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र विकसित हो और जो पिछड़े लोग, कमजोर लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला समाज है उसको सरक्षण देते हुए आगे बढ़ाने की चेष्टा की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चुनावों में इन्होंने बड़े-बड़े वादे किये थे और यह कहा था कि हम सारे किसानों को 12 घण्टे दिन में बिजली देंगे, कोई बिना कनेक्शन लिए नहीं रहेगा, बिजली के सारे बिल हम माफ कर देंगे। इन्होंने क्या किया जनता के साथ में, किसानों के साथ में, वह बात आज भी उनके दिलों में बसी हुई है। जिन लोगों ने इनके कहने में आकर कांग्रेस के जमाने से लेकर चुनाव तक बिल जमा नहीं कराये उनके लाखों रुपये के बिल इकट्ठे हो गये और जब इनका शासन कायम हुआ तो काश्तकार इनके पास आये कि आपके भरोसे पर हमने आपको वोट दिया, आपका शासन बनाया और अब आप हमारे बिल माफ करिये। इन्होंने बिल माफ नहीं किया न उनको लम्बी किस्तें डाली, न उनको कोई और रास्ता बताया बल्कि अपने अधिकारियों को भेज कर खड़ी फसल के वक्त में उनके ट्रान्सफार्मर्स की राड निकाल ली, उनके खम्भे उखाड़ लिए। उनकी फसलें जल कर सत्यानाश हो गयीं और वहां से बिजली का दफ्तर भी उठाकर दूसरी जगह भेज दिया। कनेक्शन का तो यह हाल है. ठीक है हमारे वक्त में भी बहुत से पेंडिंग थे लेकिन पिछले इन तीन-चार बरसों में तो एक कनेक्शन भी नहीं मिला। 10-10 बरसों से लोगों के कनेक्शन की फाइल पड़ी हुई हैं लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिला। इसलिए मेरा मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप मत प्राप्त करने की चेष्टा करिये। लेकिन

(श्रीमती कमला)

आज जो जनरेशन वाली बात प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कही है यह तो बहुत बड़ी और अहम् चीज है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह इतना खराब है कि जितनी बिजली आप दे रहे हैं वह भी सही ढंग से नहीं पहुंच रही है। जगह-जगह लाइनें खराब पड़ी हैं और ग्रिड खराब पड़े हैं। समय पर बिजली नहीं पहुंची है। अभी गवर्नर साहब ने आपकी तरफ से कहा कि राज्य में रबी की फसल के लिए हम भरपूर बिजली दे रहे हैं। बिलकुल गलत बयान किया है। आज भी रात के वक्त में मुश्किल से एक दो घन्टे बिजली मिल रही है वह भी कभी आधा घन्टे आती है फिर चली जाती है, फिर आधा घन्टे आती है फिर चली जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस फसल के समय में मेहरबानी करके काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दीजिए जिससे कि यह अहम् मसला जो फसलों का है, अनाज के उत्पादन का है उसको हम खत्म नहीं कर पायें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आज तक किसानों के लिए इस बात की हम चेष्टा करते रहे कि किसानों की जो उपज है उसको कोल्डस्टोरेज में रखे जाने के लिए एक नेटवर्क प्रोग्राम बनना चाहिए। वह आज तक नहीं बना। किसानों की फसल जो भी है, चाहे वह पैदा करता है फल, चाहे वह पैदा करता है सब्जी और ऐसी चीजें जो खराब हो जाती हैं उनको रखने का जब तक इन्तजाम नहीं होगा तब तक किसानों को किसी प्रकार से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसका पुख्ता इन्तजाम किया जाना चाहिए। तीसरा, जो एक्सपोर्ट ओरिऐन्टेड हमारा काम है, खेती के आधार पर जो चीजें हैं उनको तैयार करना बहुत जरूरी है। जो लिबरलाइजेशन की पालिशी देश में आयी है वह सिर्फ इण्डस्ट्रीज के ऊपर, व्यापार के ऊपर ही लागू नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारे किसानों की जो उपज है उसके लिए भी भरपूर ढंग से एक व्यापक योजना बनाकर उसका काम करना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो एग्रो-बेस्ड इण्डस्ट्रीज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं आज उनकी सख्त जरूरत है। किसान मात्र एक अनाज पैदा करके कितना कमा सकता है। इसलिए उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, आपने अभी गवर्नर साहब के भाषण में कहा कि पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर है, आपके तीन बरस के पीरियड में कहीं नया लगाना तो दूर रहा, जो खराब हो गये हैं हैण्डपम्प, उनको भी ठीक नहीं किया गया। जो पेयजल की योजनायें थीं जहां हम लोग छोड़कर गये थे वहीं से दो बालिश्त दूरी पर भी कहीं पाइप-लाइनें नहीं लगायी गयीं और कोई भी काम इस तरह का नहीं हुआ है इस पूरे समय में कि हम यह कह सकें कि जितना छोड़कर गये थे उसके आगे हम बात करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कमला : तो मेरा निवेदन है कि आप इस बात को बहुत गम्भीरता से लीजिए कि किसी गांव में पीने का पानी अगर नहीं होगा तो वह गांव और बस्ती किस तरह से चलेगी। आज के दिन आप यह कह सकते हैं कि हम आगे करेंगे लेकिन पिछले तीन साल में कुछ नहीं किया तो इस

(श्रीमती कमला)

सरकार की क्रेडिबिलिटी, इस सरकार की व्यवस्थाएं, इस सरकार का काम करने का तरीका ग्राम तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के सामने मौजूद है। इसी तरह से सड़कें....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिए।

श्रीमती कमला : मैं थोड़ा सा समय लूंगी।

श्री सभापति : नहीं, समय बहुत सीमित है। सभी लोग बोलना चाहेंगे। कब तक चलेगी इस तरह।

श्रीमती कमला : मैं जल्दी खत्म करूंगी लेकिन दो तीन पाइन्ट बहुत जरूरी हैं।

श्री सभापति : बहुत मौका मिलेगा इन पाइण्ट्स के लिये आपको।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : बोलने दीजिए आप। किसानों के हित की बात है।

श्रीमती कमला : मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की जो ढाई सौ मण्डियां थीं उनकी आमदनी के तहत में हमने सड़कें मंजूर की थीं और बहुत सी जगह पर वह सड़कें चल रही थीं, उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे थे, पढ़े-लिखे बच्चे उनके ऊपर जे.ईएन., मेट लगे हुए थे, गांव का सम्पर्क जुड़ रहा था लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आयी आपने उनको बन्द कर दिया। मैं बताना चाहती हूं सदन को आपकी मार्फत कि वह जो मार्केटिंग बोर्ड का पैसा था, जो मुझे सूचना मिली है, मार्केटिंग बोर्ड से सड़कों के काम हटा करके तिलम संघ बनाने के लिये लगा दिया। यह ग्रामीण जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वह सड़कें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। यह हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। फिर ग्रामीण क्षेत्र को आपने क्या दिया ? जो हमने छोटे-छोटे गांव और ढाणियों में स्कूलें खोली थीं वह बन्द कर दीं। मैं आपसे दो बार मिली हूं, ज्ञापन दिया है, लिखकर भी दिया है, पर्सनली मिली हूं, गवर्नर रूल में भी दो-दो बार लिखा है लेकिन वह स्कूलें आज भी बन्द पड़ी हैं। उसमें कन्याशालाएं भी मौजूद हैं। आप कितना विकास करना चाहते हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका ग्रामीण क्षेत्र के प्रति, क्या दृष्टिकोण है आपका कमजोर वर्ग के प्रति, इससे जाहिर होता है कि आपने छोटे-छोटे बच्चों को, लाखों बच्चों को, पढ़ते हुए बच्चों को स्कूलों से हटाकर घरों में भेज दिया है। चार बरस में उनकी जगह दूसरी स्कूलें भी नहीं खोलीं। वे बच्चे आज अनपढ़ हैं जबकि राज का यह फर्ज बनता है कि वह ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाये। लेकिन आपने उस काम को नहीं किया।

इसी तरह से सिंचाई के जो बांध चल रहे थे वह आज तक वहीं के वहीं पड़े हैं। जो बांध टूट गये हैं उनकी मरम्मत नहीं हुई। जो बांध बन गये थे, जिनमें पानी भर गया था, उनको तोड़कर पानी निकाल दिया कि कांग्रेस सरकार ने गलत बनाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह की जो परिस्थितियां पैदा हुई थीं। आपके राज में, आगे भी होंगी। जनता को आपके

(श्रीमती कमला)

वादों पर विश्वास नहीं है, आपकी कार्य शैली पर विश्वास नहीं है. आपकी क्षमता पर भरोसा नहीं है इसलिए आप किस बल-बूते पर विश्वास का मत प्राप्त करना चाहते हैं।

अन्त में एक बात और कहना चाहती हूं। आपने युवा वर्ग को बहुत बड़ा भरोसा दिया था, हम हर हाथ को रोजगार देंगे। आपने कितने रोज़गार दिलाये ? जो बच्चे मास्टर लगे हुए थे 6 हजार स्कूलों में, उनकी छुट्टी कर दी स्कूलें बन्द करके। जो बच्चे सड़कों पर काम पर लगे थे, उनकी छुट्टी कर दी। दवाखाने बंद कर दिए जो डाक्टर्स कम्पाउण्डर्स लगे हुए थे उनकी छुट्टी कर दी और आने वाले समय में रोजगार का कोई रास्ता नहीं खोला। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो भावी राजस्थान है उसका भविष्य उज्ज्वल करने के लिए हमें उन योजनाओं को पूरी तरह से लागू करना चाहिए वरना अभी आप यहां मत प्राप्त कर लोगे तो आगे आपको निभने नहीं देंगे क्योंकि किसी भी राज की कथनी और करनी में इतना अन्तर रहेगा तो जोड़ तोड़ से राज्य तो बन सकते हैं लेकिन लम्बे समय तक आगे नहीं निभ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं। जितनी भी इस शासन के दौरान अनदेखी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों की, किसान की, मजदूर की, आप अपने आप उठाकर देख लीजिए कि राज्य का कितना हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों पर लगा है। पैसा तो लगा नहीं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की एक सबसे बड़ी प्रभावी ढंग की संस्था थी ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत के माध्यम से लोग अपने काम कराते थे, डी.आर.डी.ए के काम होते थे कहीं खुर्रा बनता था, कहीं एक किलोमीटर की सड़क बनती थी; कहीं स्कूल भवन बनते थे वह सारे के सारे काम पिछले तीन चार वर्ष से पूर्ण तौर पर बंद पड़े हैं। इन्होंने जनता के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल बंद किये, दवाखाने बंद किये; सड़कों के काम बंद किये, रोजगार नहीं दिया और अन्त में जो संस्थाएं थीं, स्पोक्समैन इन्स्टीट्यूशन थे उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया। पहले पुनर्गठन के नाम पर फिर एक अपने आदमी से रिट करा दी उसके नाम से और उसके बाद आज तक इनके चुनाव नहीं कराये और अब बड़ी खूबसूरती से गवर्नर साहब से भाषण में कहलवा दिया कि पुनर्गठन पर भी पुनर्विचार करेंगे। फिर कमेटी बैठायेंगे, आपसे भी सलाह करेंगे यानी साल दो साल तक चुनाव कराने का फिर इरादा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके इन चुनावों को जल्दी से जल्दी कराने के निमित्त जो संविधान (संशोधन) बिल आया है उसके तमाम क्लाजेज पर चर्चा करके फैसला लेने के लिए आप एक कमेटी हाउस की बनाइये और बना करके जल्दी से जल्दी बिल को पास करायें और इस बीच में जो पुनर्गठन करना है वह करायें। जनता की संस्था को विकास के काम कराने के लिए आगे बढ़ने का मौका दीजिए।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि महिलाओं के सम्बन्ध में जितनी योजनाएं यहां पर आयी हुई है, या युवाओं के सम्बन्ध में जो योजनाएं आयी

(श्रीमती कमला)

हुई हैं वह सब दफतरों में पड़ी हुई हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर की एक लाख की योजना हो, चाहे राजीवजी की 25 हजार की योजना हो, चाहे महिलाओं और बाल विकास की पचासों योजनाएं हों, लाखों करोड़ों रुपया इन योजनाओं के तहत पड़ा है लेकिन कहीं पर भी किसी जगह भी इनका लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि हर पंचायत समिति मुख्यालय पर एक सैल्फ एम्प्लायमेण्ट इन्फार्मेशन ब्यूरो खुलवायें और जिन संस्थाओं, एजेंसियों और डिपार्टमेण्ट के पास यह योजनाएं हैं उनको कहिए कि वह महीने में एक बार दो-तीन दिन मुख्यालय पर जाकर शिविर लगायें, उनके फार्म भरवायें, उनके रोजगार की व्यवस्था करायें। यह नहीं करते हैं तो यह पैसा लैप्स होता रहता है। न युवाओं को कोई रोजगार मिल रहा है, न महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। यह सारी योजनाएं एक खामोश बस्ते में पड़ी हुई हैं जिनका लाभ मिलना चाहिए।

अन्त में एक निवेदन यह करती हूं, बहुत छोटा मुद्दा है लेकिन बहुत गम्भीर मुद्दा है कि एक तरफ बिजली नहीं आ रही है, दूसरी तरफ और कोई व्यवस्था काश्तकारों के लिये नहीं है। एक ओर आवारा पशु और नील गायें हैं उन्होंने सारे गांवों में इतना हंगामा किया है और सारी फसल उनके कारण चौपट हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसका माकूल इन्तजाम होना चाहिए। पंचायत कांजी हाउस नहीं बना रही है, कहती है कि हमारे पास चारा देने की व्यवस्था नहीं है। नील गाय है उनका हिसाब नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को इस दुर्दशा से बचाने के लिए माकूल व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए वरना इस तरह की स्थिति आ सकती है कि किसानों के ऊपर मुकदमें बनें और अपनी खेती को बचाने के लिए काम करना चाह रहे हैं वह नहीं कर पाये। छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है, आप भी इलाकों में गये होंगे; जगह जगह इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके शासन की, आपकी सरकार की जो इमेज है और जो नीतियां हैं, उद्घोषणाओं में और क्रियान्विति में जमीन आसमान का अन्तर है और जो छवि आपकी इस जनता के अन्दर है उसके मुताबिक राजस्थान की जनता ने आपकी सरकार बनाने की कभी कल्पना नहीं की थी लेकिन समझ लीजिये हमारी लापरवाही रही या आपकी चतुराई या जो वहां गये हैं उनकी नाराजगी से यह सरकार बन गयी तो यह सरकार राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुकूल सरकार नहीं है इसलिए इसको विश्वास मिलने का कोई हक नहीं है। इसलिए इस विश्वास के मत पर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि अपनी अन्तरात्मा की आवाज से अपना मत दें और सरकार वह बनायें जो जन भावनाओं के मुताबिक सरकार बननी थी और जो नहीं बन पायी।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रोहिताश्व शर्मा।

श्री रोहिताश्व (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे हां पक्ष की ओर से यहां पहली बार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदस्या कमला जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी....

एक माननीय सदस्य : विश्वास प्रस्ताव।

श्री रोहिताश्व : विश्वास प्रस्ताव पर। आपकी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव, आई एम सोरी। विश्वास प्रस्ताव पर अपनी अपनी बातें रखीं। उसमें खास तौर से हम निर्दलीय सदस्यों, जो आज सत्ता पक्ष में हैं, को विशेष रूप से पाइन्ट आउट किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोग चुनकर आये तो किस प्रकार अपनी मीठी-मीठी और चुपड़ी बातों से हम को अपने दल की रीति-नीतियों में विश्वास रखने वाले और अपना आदमी कहने के लिए तरह-तरह से प्रलोभन दिया है और कर रहे हैं प्रलोभन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने हमारे मुख्य मन्त्री जी भैरोंसिंह जी को बहुत चतुर आदमी कहा है और कहा कि यह लोग राज बनाने में बहुत महारथी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व है ... (व्यवधान) महारथ शब्द है। महारथ हासिल है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : चतुर शब्द दोनों तरह से आता है इसकी व्याख्या करो। चतुर का मतलब चालाक। चालाक का मतलब कनिंग फोक्स। मैंने यह कभी नहीं कहा।

श्री सभापति : चालाक और चतुर दो अलग-अलग शब्द है, एक शब्द नहीं हैं।

श्री रोहिताश्व : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम को गर्व है कि हम ऐसे नेता के आशीर्वाद के नीचे आये जिनका कम से कम राजस्थान के विकास में हमेशा महत्वपूर्ण रोल रहा है।

मै आपसे पूछना चाहता हूं कि भैरों सिंह जी की सरकार दो बार रही, कुल मिलाकर पांच साढ़े पांच साल का समय रहा होगा लेकिन कांग्रेस सरकार चालीस साल के लगभग राजस्थान में राज करती रही है, इतने पीरियड में राजस्थान की मूल समस्या जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, यहां अकाल पड़ते आये हैं, क्या किया इन लोगों ने ?

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : जो कुछ किया है कांग्रेस ने ही किया है बाकी किसी ने कुछ नहीं किया।

श्री रोहिताश्व : अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि सबको अपना-अपना कहने का मौका है, मुझे बड़ा दुःख है कि उन्हीं के पक्ष के लोग अपने नेता की बात को स्वीकार नहीं कर रहे है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने लम्बे 40 साल के राज में पानी की समस्या क्यों हल नहीं की गई ? क्यों जानबूझकर अटकायी गई, जब कि इनको इतना बड़ा मौका मिला, जब कि इनकी दिल्ली में भी सरकार थी ? ये चाहते तो पानी की समस्या हल हो जाती और आज यह पानी का इतना बड़ा संकट राजस्थान में नहीं पैदा होता।

दूसरी बात, मैं इनसे निवेदन करना

(श्री रोहिताश्व)

चाहता हूं बिजली के मामले में। क्या कोशिश की गई कि बिजली के स्रोत राजस्थान में अधिक से अधिक पैदा हों ? उस सम्बन्ध में इन्होंने क्या योजनाएं तैयार कीं ? मैं समझता हूं, भैरोंसिंह जी के अलावा राजस्थान में पावर जनरेट करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। ये पहले मुख्य मन्त्री थे कि जिन्होंने योजनाएं बनाकर रात-दिन दिल्ली में दौड़-धूप करके पूरी कोशिश की कि राजस्थान में पावर जनरेट करने के स्रोत ज्यादा से ज्यादा हों। लिग्नाइट की भी बात सबसे पहले इन्होंने चलायी। राजस्थान में लिग्नाइट के इतने बड़े भण्डार थे आज तक कभी किसी ने अपने टाइम में कोशिश नहीं की जब कि उस वक्त मैं समझता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था आज की अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा अच्छी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोशिश की राजस्थान की जनता की भलाई के लिए ?

तीसरी बात, जिस प्रकार ये कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं. मैं कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित रहे, हमारे संस्कारों में, हमारे मन में आज भी हमारी नेता इन्दिरा गांधी हैं, लेकिन इन्दिरा गांधी ने यह कहा कि जब जब गड़बड़ी हो या जब जब हमारे सिद्धान्तों के खिलाफ कोई बात पैदा हो या हम पर थोपी जाये तो अन्तरात्मा की आवाज पर, जैसा कि मैडम ने कहा, वोट देना चाहिए। आज कांग्रेस के पास नेता है कौन ? राजेश पायलट ? बलराम जाखड़ ? कौन नेता है राजस्थान में ? ये तो नेता बनने के लिए....

श्री जगदीप धनखड़ : नाम ले लिया जाये तो ज्यादा उचित होगा।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहिये। कोई दिक्कत नहीं है, नाम खराबी से नहीं लिया गया है।

श्री रोहिताश्व : मैं कहना चाहता हूं आज सरकार बनाने के लिए जब इनके पास कोई और हरफनमौला नेता नहीं था तो भजनलाल को बुलाया गया यहां। यह क्या मामला था। भजनलाल सर्वविख्यात हैं,+++हैं प्रजातन्त्र में। प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा+++ मानता हूं भजनलाल जी को।

श्री जगदीपधनखड़ (किशनगढ़) : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप बिराजिये, मैं समझ गया।+++ शब्द हटा दिया जाये।

श्री रोहिताश्व : सदन में आया मैं पहली बार हूं, ज्यादा नहीं। पर मुझे बोलने का मौका मिला है तो आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री जगदीपधनखड़ : आपने पहले कहा कि अच्छी दृष्टि से नाम लिया गया है राजेश पायलट ...

श्री सभापति : बिराजिये, मैंने कह दिया न कि+++ शब्द हटा दें।

श्री रोहिताश्व : मैं कहना चाहता हूं कि जब यहां लीडरशिप थी तो भजनलाल जी को किसलिए बुलाया गया यहां पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री जगदीप धनखड़ : अडवाणी जी किसलिए आये थे ?

श्री सभापति : अडवाणी जी नहीं आये यहां पर।

श्री जगदीप धनखड़ : अडवाणी जी आये थे. यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में में हैं। ....(व्यवधान).... अडवाणी जी के आने के बाद ही राज्यपाल महोदय ने शेखावत जी को निमन्त्रण दिया था। अडवाणी जी यहां उपस्थित थे।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहिये। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : भजनलाल की तरह अडवाणी जी सूटकेस लेकर नहीं आये थे।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, अडवाणी जी आये थे उस समय....

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अडवाणी जी आये या अटल जी आए, उनको हमने बुलाया था इसलिए आये। क्या आप कह सकते हैं कि आपने भजनलाल जी को बुलाया था ?

श्री जगदीप धनखड़ : बिलकुल, मान्यवर, हमने भजनलाल जी को बुलाया था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमने बुलाया था।

श्री रोहिताश्व : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भजनलाल जी इसलिए आये कि दिल्ली में कांग्रेस हाई कमान को यह पता था कि यहां कोई नेता सक्षम नहीं है। इसलिए भजनलाल जी को भेजा गया कि मैनीपुलेशन करके गवर्नमेंट बनायी जाये।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, चुनावों के दौरान भजनलाल जी इस स्टेट के हमारे पोलिटिकल एडवाइजर थे ए. आई. सी. सी. के द्वारा भेजे हुए और वही प्रोसेस चल रही थी ....(व्यवधान).... सिर्फ उस काम के लिए किसी को बुलाया, ऐसा नहीं है।

श्री रोहिताश्व : वह लीगल एडवाइजर इसलिए थे कि कोई नेता नहीं था। अगर यहां कोई नेता होता तो कार्यकर्ताओं का हक नहीं कटता, इतनी बड़ी तादाद में रिश्तेदारों को कांग्रेस में टिकट नहीं दिया जाता।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपको यह मालूम होना चाहिये कि भजनलाल जी का राजनीतिक गुरू मैं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ऐसा लगता है, विश्नोई साहब, एक बात सुनलो, अगर भजनलाल जी के आप राजनीतिक गुरू हैं तो भविष्य में आपका कोई शिष्य बनेगा ही नहीं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसलिए आप मुझ से होशियार रहिये, सीधा समझकर गलती मत कर देना कोई।

श्री जगदीप धनखड़ : पर, मुख्य मन्त्री जी, अब तो चर्चा है कि भजनलाल जी के गुरू आप हो गये।

श्री रोहिताश्व : मैं एक बात और

(श्री रोहिताश्व)

कहना चाहूंगा सदन के माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें, समय का ध्यान रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : नेताओं का व्यक्तिगत नाम लेकर यहां बुराई न करें।

श्री रोहिताश्व : आप सब लोगों को ज्यादा जानकारी है लेकिन मेरे मन की भावना मैं कहना चाहता हूं, आप सुनने की क्षमता रखो।

श्री सभापति : कृपया बात कहकर समाप्त करें जल्दी।

श्री रोहिताश्व : दूसरी बात, जैसे अभी यहां कहा गया कि राम के नाम पर बी. जे. पी. वालों ने दुकान लगायी, मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नर के रूल में कृष्ण जन्मोत्सव के नाम पर बहरोड़ और अलवर में दुकान किसने लगायी ?

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वालों ने लगायी है।... (व्यवधान)....

श्री सभापति : आप सुनिये पहले। व्यवधान नहीं, बिराजिये।....(व्यवधान) आपने बात कह दी अपनी, बिराजिये।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : आप भी गये थे गोविन्द देव जी के यहां।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रोहिताश्व : इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि जहां-जहां जिसका दांव बैठता है अपना-अपना सब....

श्री घासीराम यादव : सब पोलिटिकल पार्टीज के आदमी मौजूद थे, केवल कृष्ण की बातें हुई।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कृष्ण हमारे पुरखे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें, बात समाप्त करने दें। समय की बहुत कमी है अपने पास में।

श्री रोहिताश्व : मैं महामहिम को कोई आरोपित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह करना चाह रहा था कि इस चुनाव में जिस प्रकार गवर्नर के राज में सत्ता का दुरुपयोग हुआ, और कांग्रेस के पक्ष में जिस प्रकार कण्डीडेट्स को जिताने के लिए नौकरशाही के माध्यम से कोशिश की गयी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैं दंग रह गया यह देखकर। प्रजातन्त्र में इससे बड़ा कोई +++ नहीं हो सकता जो गवर्नर के राज में किया गया।

श्री घासीराम यादव : जिस प्रकार आये हो उसका जवाब दो। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पटाकर आये हो, उसका जवाब दीजिए आप।

श्री जगदीप धनखड़ : नैतिकता की बात ?

श्री सभापति : कृपया वार्तालाप न करें, उन्हें बोलने दें। माननीय सदस्य, बिराजें।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No.48

श्री घासीराम यादव : आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तय करके आये हो। खरीद-फरोख्त हुई है।

श्री रोहिताश्व : नहीं, हम कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की बात तय करके नहीं आये, मैंने तो भैरोंसिंह जी से बात तक नहीं की।

श्री सभापति : आप तो बिराजिये कम से कम।

श्री रामस्वरुप मीणा : आपको यही पता नहीं कि क्या कहना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें। आर्डर।

श्री रोहिताश्व : आप जब बात सच्ची कहने लगे हैं तो मैं कहता हूं, मुझे घासीराम जी ने कहा कि एक करोड़ रुपया आप को देंगे आप अब भी आ जाओ हमारे पास (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : असत्य बात है, इसको कार्यवाही से निकाला जाये एक करोड़ रुपये वाली बात को। बिल्कुल गलत कही है इन्होंने।

श्री घासीराम यादव : सुनो, साहब, इन्होंने खुद कहा था....

श्री रोहिताश्व : सच सुनने की आदत नहीं है तो दूसरी बात है।

श्री सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें, माननीय मन्त्री जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक करोड़ रुपये वाली बात वापस ली जाये।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रामनारायण चौधरी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

माननीय मन्त्री महोदय ने घासीराम जी, एक विधायक के ऊपर सीधा आरोप लगाया है एक करोड़ रुपये का। या तो इस बात को प्रूव करें या अपने मन्त्री पद से त्याग पत्र दें।

श्री सभापति : आप बिराजिये। वे चाहेंगे तो अपना स्पष्टीकरण दे देंगे।.... (व्यवधान).... आपको बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। सदस्य चाहेंगे तो अपने आप बात कर लेंगे इस बारे में।... (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : मैंने रुपये नहीं लिये मैं तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री लूंगा। आप काइण्ड में ले लो या रुपये ले लो। एक करोड़ रुपये वैसे ही बना लोगे।

श्री सभापति : अब बिराजिये। माननीय श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, सदन के नेता महोदय ने अपने लिये सदन का विश्वास मांगने का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करते समय उन्होंने कोई दलील प्रस्तुत नहीं की, न सदन से कोई प्रार्थना की क्या वजह है, क्यों दिया जाय? प्रतिपक्ष के नेता और माननीय कमलाजी ने जो बातें कहीं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार को बर्खास्त करने के लिये जो कारण बने थे, परिस्थितियां बनी थीं उन परिस्थितियों में

(श्री रामनारायण चौधरी)

कोई बदलाव नहीं आया। जो परिस्थितियां उस वक्त थीं उससे ज्यादा खराब हुई हैं। उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सरकार गयी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार गयी थी, मध्य प्रदेश की सरकार गयी थी और राजस्थान की सरकार भी गयी थी। मान्यवर, उस समय देश में हालात यह हो गये थे, साम्प्रदायिकता का जहर इस कदर फैल गया था कि जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था और समाज के अन्दर जहर घुल गया था उससे संवैधानिक तरीके से सरकारों का चलना असम्भव हो गया था। उसके बाद जब यहां पर राष्ट्रपति शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन के बाद जनता ने जो मेण्डेट दिया उस मेण्डेट को माननीय भैरोंसिंह जी ने सारे राजस्थान के अन्दर घूम-घूम कर मांगा था लेकिन मेण्डेट 38 प्रतिशत से ज्यादा उनके पक्ष में नहीं आया। जाहिर है कि भारी बहुमत उनके खिलाफ गया।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय सन्दर्भ में और प्रदेश के सन्दर्भ में जो रीति-नीति और कार्यक्रम हैं उससे देश और प्रदेश बन नहीं सकता। इस पार्टी के कार्यक्रम और नीतियों से पहले भी देश को टूटने का खतरा पैदा हो गया था और वह खतरा आज भी है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो सरकार बनायी है, जो कार्य का विभाजन किया है, मान्यवर, वह जनता के मेण्डेण्ट के मुताबिक नहीं है। जनता चाहती थी कि किसी भी कीमत पर बी. जे. पी. का राज न आये। माननीय यातायात मंत्रीजी बोल रहे थे, वे स्वयं कह दें अपनी आत्मा से कि क्या उन्होंने बी.जे.पी. को समर्थन देने, भैरोंसिंह जी को समर्थन देने के नाम पर वोट मांगे थे? एक-एक वोट बी.जे.पी. के खिलाफ पड़ा था। जो माननीय सदस्य निर्दलीय 10 उधर गये हैं उन्होंने किसी ने भी बी.जे.पी. के नाम से, भैरोंसिंह जी के नाम से वोट नहीं मांगे थे। जो वोट मिले थे वे इस हैसियत से मिले थे कि किसी भी कीमत पर बी.जे.पी. को शासन में नहीं आने देना है। लोगों की इच्छा थी, किसान और मजदूर यह चाहता था कि प्रदेश के अन्दर सर्वहारा किसान, गरीब, मजदूर का राज होगा लेकिन इसके बड़ा विपरीत हो गया। ज्योंही राज्यपाल महोदय ने माननीय भैरोंसिंह जी को मुख्य मन्त्री पद की शपथ दिलायी, मैं आपको सच कहता हूं, सारे राजस्थान के अन्दर मातम छा गया।

अनेक माननीय सदस्य : खुशी छा गयी।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री किशनाराम नाई : कांग्रेस पार्टी में मातम छाया था।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, शपथ ग्रहण करने के बाद, जद्दोजहद के बाद, मन्थन के बाद राजस्थान को जो सरकार दी, मुलाहिजा कीजिये श्रीमन्, माननीय भैरोंसिहजी मुख्य मन्त्री, भंवरलालजी शर्मा, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, गंगाराम जी चौधरी, देवीसिंह जी भाटी, गुलाबचन्द जी कटारिया, सुजानसिंह जी यादव, सात आदमियों को राजस्थान का शासन मिला। आप इनमें से सुजानसिंह जी यादव और गंगाराम जी चौधरी को निकाल दीजिये, शासन किनका है, किनके हाथ में है?

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजस्थान की जनता ने हरगिज भी इन लोगों को राज देने के लिये मतदान नहीं किया था। अब आप देखिये, इनका अधिकांश शासन भैरोंसिंह जी के पास, बचा खुचा भंवरलाल जी के पास, इससे बचा हुआ ललित किशोर जी के पास, गंगाराम जी को पटवारी पकड़ा दिया। क्या करेंगे पटवारियों का ? इसमें भी सुजानसिंह जी को ग्राम सेवा सहकारी समितियां पकड़ा दीं। अब ग्राम सेवा सहकारी समिति का क्या करेंगे वह ? जो कांग्रेस का राज था, यादव साहब, जितने आप खुशहाल, प्रसन्न और जो हौसला और आपका आत्मबल कांग्रेस की सरकार में स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री बनने के वक्त था, आप सच कह दीजिये ईमानदारी से कि आपमें वह मनोबल आज है क्या ?

श्री सुजानसिंह यादव : उससे ज्यादा होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं पूछना चाहता हूं, आज सिर्फ 4 आदमियों के हाथ में प्रदेश का शासन सौंपा हुआ है ? आज न किसान का राज है, न मजदूर का राज है, न गरीब का राज है, न सर्वहारा का इसके अन्दर कोई योगदान है। मान्यवर, इन्होंने अभी-अभी राज्यपाल महोदय से कहलवाया कि हमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का बड़ा भारी समर्थन मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट हैं, कितने शिड्यूल्ड ट्राइब हैं इन सात आदमियों के अन्दर ? कोई बतला सकता है कि वह शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का बनने को तैयार है। कोई नहीं, सब गायब हैं। राज्य मन्त्री बना कर बैठा दिया होगा, छोटा-मोटा काम, गाड़ी उनको दे दी होगी लेकिन राज में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। माइनोरिटी जो 12 पर्सेण्ट आज राजस्थान की है, मतदाता हैं, जनता है, उनका इसमें कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आज अगर यही हालत रही, मान्यवर, बी.जे.पी. का शासन भारतवर्ष में और प्रदेश में जो खतरनाक हालात पैदा कर रहा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश को यदि बचाना है, देश को यदि एक रखना है, देश को संगठित रखना है और देश को आगे बढ़ाना है तो, मान्यवर, बी.जे.पी. की प्रदेश से ही नहीं, भारत में सम्पूर्ण रूप से छुट्टी करनी होगी। सरदार जगजीत सिंह जी चौहान, खालिस्तान के स्वयंभू लीडर, जो इंग्लैण्ड में बैठे हैं, ने जो इण्टरव्यू दिया है उसका मुलाहिजा फरमा लीजिए, उससे जाहिर होता है कि इन लोगों की सांठ-गांठ उन लोगों से है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर। तो मान्यवर, मैं प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से जो उधर बैठे हैं माननीय सदस्य, उनकी आत्मा जागृत होनी चाहिये। मैं सुजानसिंह जी से पूछना चाहता हूं, मैं गंगारामजी चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं, दीवारों पर जो लिखा हुआ है और जो आज सुबह ही लिखा गया है उसको आप पढ़िये। चौधरी अजीतसिंह जी अपने समस्त साथियों के साथ आज कांग्रेस के अन्दर आ गये हैं। एक भी किसान का प्रतिनिधि आज कांग्रेस के बाहर नहीं है। बी.जे.पी. के अन्दर और बी.जे.पी. के अलावा दूसरी किसी भी पार्टी के अन्दर आज भारत का सच्चा

(श्री रामनारायण चौधरी)

किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक माइनोरिटी, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब नहीं हैं, सब के सब कांग्रेस के साथ हैं। आज एक ही पार्टी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : किसान का मतलब क्या है ? हम किसान हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। कृपया शान्त रहिये। माननीय सदस्य, आपकी बात समाप्त करें। आपका समय पूरा हो गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आज देश में एक ही पार्टी है और वह कांग्रेस है।

(14.55)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

जो देश को एक रख सकती हैं, देश को आगे बढ़ा सकती है, देश को मजबूत कर सकती है, देश से गरीबी को हटा सकती है। बाकी दूसरी कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो देश को बचा सकती है। यह साम्प्रदायिक ताकतें जो अपना सर उठा रही हैं, मैं प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्यों से, और दोनों पक्षों से कि उनकी आत्मा जागृत होनी चाहिये। आपने कल देखा होगा, टेलीविजन पर भारत छोड़ों, क्विट इण्डिया मूवमेण्ट के वक्त, महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, महात्मा गांधी ने 9 अगस्त, 1942 को देशवासियों को कहा कि आज से आप मुक्त हैं। और यह महसूस करिये कि आप देश के आजाद नागरिक हैं आज के दिन। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप मुक्त होइये, आप बन्धन को तोड़िये और अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, मेहरबानी करके इस सरकार को गिराइए, जो विश्वास का प्रस्ताव माननीय श्री भैरोंसिह जी ने रखा है उसको रद्द कीजिये।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपतसिह।

श्री नरपतसिह राजवी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिह भाटी (ओसियां) : ये तालियां जंवाई साहब के लिए हैं या मुख्य मन्त्री के लिए ?

श्री नरपतसिह राजवी : मैं सदस्य के नाते बोल रहा हूं। माननीय जंवाई साहब, आप मेरे जंवाई लगते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक आदमी बाप भी होता है, बेटा भी होता है, साला भी होता है, बहनोई भी होता है, एक ही आदमी होता है खाली।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : कांग्रेस में तो केवल भाई-भतीजावाद है।

श्री नरपतसिह राजवी : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने काफी बातें कहीं। उन पर मैं काफी आपत्ति भी रखता हूं। वह हमारे आदरणीय हैं, पिता तुल्य भी मैं उन्हें मानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी

(श्री नरपतसिंह राजवी)

को 38.58 प्रतिशत मत मिलने का आधार उन्होंने यह बात कह कर रखा कि एक वर्ग विशेष का मत नहीं मिला है क्या उनको रिप्रजेण्ट नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय श्री नरसिम्हाराव जब प्रधान मंत्री बने उनको कितने प्रतिशत मत मिले और कितने पार्लियामेण्ट में सदस्य थे ? क्या वह पूरे भारत के प्रधान मंत्री थे उन सदस्यों की संख्या के आधार पर ? लोकतंत्र की वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें 50 पर्सेण्ट + 1 की अगर व्यवस्था होती तो उसका भी इन्तजाम होता।

एक और बात उन्होंने कही कि दिल्ली दूर है। अभी तो दिल्ली दूर है लेकिन दिल्ली दूर नहीं है, पार्लियामेण्ट की नाक के नीचे भी आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है और हमारी नीति, हमारी देश भक्ति के आधार पर भारतीय जनता दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन कायम करेगी।

अयोध्या मामले की भी चर्चा यहां उठायी गयी। वर्तमान में विश्वास मत पर इस बारे में चर्चा नहीं होती तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि प्रभु श्रीराम का जिस स्थान पर जन्म हुआ है वहां पर मन्दिर का निर्माण होगा और होकर रहेगा। अयोध्या के मामले में अगर इतने ही चिन्तित थे तो माननीय श्री राजीव गांधी शिलान्यास करने क्यों गये थे ? श्री बूटासिंहजी ने भी कहा कि रामजी ने हरा दिया। रामजी ने नहीं हराया बल्कि रामजी के बारे में उन्होंने जो विश्वास पब्लिक में व्यक्त किया उसके आधार पर वह हारे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के बारे में भी थोड़ा सा उल्लेख आया। राजभवन में निर्दलीय विधायक जब पधारे तो महात्मा गांधी की वहां प्रतिमा नहीं थी, फोटो थी, चित्र था उसके नीचे खड़े थे। 95 और 10 कितने होते हैं ? तो बड़ी मुश्किल से 105 का शब्द उनके मुंह से निकला वह सत्य निकला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्तारुढ़ होकर आज विश्वास मत लेकर सदन के बीच में, आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई है। मैं चाहूंगा कि अपनी अन्तरात्मा की आवाज, सत्य की आवाज या जो भी आवाज आप कहें इसको मात्र एक बहस का मुद्दा नहीं बनाकर आपकी लीडरशिप, आपके साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ अपना विश्वास मत व्यक्त करें और लोकतंत्र का एक नया उदाहरण, नया इतिहास न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कायम करें और यह कहें कि राजस्थान के विकास के लिए अगर कोई चुना गया है तो हम सब लोग एक साथ हैं। ऐसा एक उदाहरण आप कायम करने की सोचें तो बात बनती है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा ही नहीं, यह भी अभी चर्चा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जितना कुछ किया है पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और ना ही सोचा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में साढ़े 62 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए आव-

(श्री नरपतसिंह राजवी)

धान रखा है। कांग्रेस के शासन में आज तक 62 प्रतिशत का अगर प्रावधान रखा हो तो बता दीजिए।

निर्दलीय विधायकों के बारे में भी काफी विस्तार से चर्चा की गयी थी। एक माननीय सदस्य ने तो अपना रूख आपको बता ही दिया है। इन निर्दलीय विधायकों को डील करने के लिए जिस प्रकार से.... (व्यवधान) ... कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुन लें, उसके बाद जो बोलना हो बोल दीजिएगा। (व्यवधान).... जो आपको कहना है वह सब बाद में कह दीजिएगा। यहां पर जितने भी माननीय सदस्य चुनकर आए हैं वह सब अपने-अपने क्षेत्र को रिप्रजेण्ट जरूर करते हैं लेकिन आत्मसम्मान भी रखते हैं। खरीद-फरोख्त और निर्दलीय विधायकों के सम्बन्ध में जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किये गये, उसके लिए मैं गम्भीर आपत्ति प्रकट करता हूं। अगर किसी ने कोशिश की है तो हरियाणा से पधारे हुए वरिष्ठ नेताओं ने जरूर की होगी। भारतीय जनता पार्टी इस नीयत की नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। ....(व्यवधान).... कोई वाजिब बात भी कहना चाहे तो उसको भी सत्तापक्ष नहीं सुनेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपतसिंहजी, आप बैठिए वह पाइण्ट आफ आर्डर रख रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइण्ट आफ आर्डर इस बात के लिए रख रहा हूं कि अभी उधर से उन लोगों पर आरोप लग रहे हैं जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह विधिसंगत बात नहीं है। आप यदि इसमें व्यवस्था देंगे तो डिबेट का एक लेवल उच्च हो। जिस प्रकार की भावना अभी उन्होंने व्यक्त की, सभी मिल कर विकास की बात करें फिर उसके बीच बीच में इस प्रकार से नुक्ताचीनी करेंगे तो अनुचित होगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका पाइण्ट आफ आर्डर। आप जानते हैं कि अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ...(व्यवधान).... मैं चाहूंगा ....(व्यवधान).... देखिए, नाम नहीं लेना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप नाम नहीं लेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी के एक ही विधायक हैं, वहां नेता तो हमारे ही होंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप नाम नहीं लें।

श्री कालीचरण सराफ(जौहरी बाजार): किसी की तारीफ जरूर कर रहे थे।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य एक तरफ तो साथ में रह कर विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं। हटाये जाने की बात कर रहे हैं और फिर खुद ही आरोप लगा रहे हैं निराधार। दोनों तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री नरपतसिंह राजवी : निराधार अगर हैं तो आप बतायें। ....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : दो विधवाएं लड़ती हैं

(श्री अध्यक्ष)

तो एक कहती है कि तू+++ और वह कहती है कि +++। और आप दोनों क्या है, वह आप देख लें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इस तरह का उदाहरण देना भी, मुझे आप माफ करेंगे, उचित नहीं है, शालीनता से बाहर है। मैं माफी चाहूंगी ..(व्यवधान) ... लेकिन मेरी बात बिल्कुल वाजिब है।

श्री अध्यक्ष : मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे पता नहीं था कि सीधा-सीधा महिलाओं का मामला हो गया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आप इसको प्रोसिडिंग्स से निकलवाइए। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इसको प्रोसिडिंग्स से निकलवाइए।

श्री अध्यक्ष : मैं माफी चाहता हूं। इसे प्रोसिडिंग्स से निकाल दिया जाए।

श्रीमती कमला : यह चीज शालीनता के बाहर है।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता नहीं था। मैं विदड्रा करता हूं। मुझे पता नहीं था कि आप में महिला का भाव जागृत हो जाएगा।

श्रीमती कमला : मैं अपने हिसाब से नहीं कह रही हूं। मैं सारी स्त्री जाति के लिए कह रही हूं। आपने स्त्री जाति को बहुत भद्दे शब्दों में सम्बोधित किया है उसके लिए आपत्ति करती हूं। ठीक है कि मैं विधवा हूं, दूसरी बहन भी विधवा हो सकती है, उधर से भी कोई हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : ओ माई गाड।

श्रीमती कमला : इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह बहुत गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : आई एम सारी, आई एम सारी। इसे प्रोसिडिंग्स से निकाल दिया जाए।

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्य से माफी चाहती हूं कि वह पहली बार बोल रहे हैं और उनको बीच में टोका लेकिन जो चीज खुद को बुरी लग रही है तो वह दूसरों के लिए भी नहीं कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सच बुरा लगता है तो लगता रहे, भारतीय जनता पार्टी तो अपना मत व्यक्त करेगी। ....(व्यवधान).... प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी काफी कुछ कहा। सम्भवत: आपने ध्यान नहीं दिया और मैंने सही सुना होगा, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की घोषणा से आपके दल के सदस्यों का नुकसान हुआ। यह मेरी समझ में नहीं आया कि आपके दल को नुकसान कैसे हुआ, दल-बदल और खरीद फरोख्त, कांग्रेस पार्टी ने भी दावा पेश किया था, कांग्रेस पार्टी भी 11 निर्दलीय सदस्यों को साथ लेकर गयी थी, क्या

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

वह भी इन्हीं मापदण्डों के आधार पर गए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन के लिए भी काफी चर्चा हुई। विद्युत उत्पादन कम बढ़ा, जितनी आवश्यकता है उससे कम बढ़ा, अधिक बढ़ना चाहिए मैं इससे सहमत हूं। लेकिन जो परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास 10-10, 12-12 साल से भी अधिक समय से पड़ी हुई है, क्या सभी माननीय सदस्य केन्द्र सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार हैं कि समय के अनुसार शीघ्र ही छह महीने में या चार महीने में जितने भी राजस्थान के पेण्डिग प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लियर करें ताकि राजस्थान के विकास में गतिरोध दूर हो। इसमें दलगत राजनीति से उबरकर सब लोग अगर सहमत हों तो मेरे ख्याल से केन्द्र सरकार भी सहमत होगी और केन्द्र सरकार वर्तमान में तो आप ही लोगों की है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी काफी बातें हुईं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक वर्ष में तो बना नहीं, एक महीने की कोई देन नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेकूनाज् हैं और 40 वर्षो में जो लेकूनाज रहे हैं, कम से कम 40 महीने का समय उनको सुधारने के लिए चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

नैतिकता की बात कही। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय से मैं कहना चाहता हूं, जिस नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, जे.पी.सी. की रिपोर्ट के बाद में कितने मन्त्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए था? सूटकेस की राजनीति, दिल्ली में तो एक पेश हुआ, यहां पर चालीस लेकर आये क्या वह नैतिकता के आधार पर था? इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सब लोग सहमत हों तो यह भी परम्परा डालने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर लें कि जब कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो तो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार के गठन के लिए बुला लिया जाय ताकि कोई भी खरीद-फरोख्त का आरोप नहीं लगे जो माननीय सदस्य जीतकर आता है उसके चरित्र के ऊपर, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, इस प्रकार की परेडिंग न हो जिस प्रकार से भेड़ और बकरियों की परेडिंग करायी जाती है। क्या यह सदन इस प्रकार की परम्परा कायम करने की इच्छा रखता है, मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता पर ही छोड़ता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत(श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने विश्वास व्यक्त करने की मांग करते हुए सदन में एक प्रस्ताव रखा। प्रतिपक्ष के नेता ने भी अपनी बात कही, सदन के नेता के पक्ष में भी कुछ लोगों ने अपनी वकालत की और खास तौर से सबसे पहले वकालत करने वाले मेरे बड़े भाई, मित्र से मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको उलाहना नहीं है, पापी पेट का सवाल है, आपकी सी.आर. ठीक हो गयी। जब मूल्यों, सिद्धान्तों और आदर्शों की बात लोग करते हैं तो मुझे बड़ा

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

ताज्जुब होता है। राजनीति में मूल्यों पर आधारित राजनीति करने वाले लोग धर्म की बात ना करें तो समझ में आये। धर्म को राजनीति से जोड़ देंगे, प्रकाश सिंह बादल के सामने गंगानगर में जाकर घुटने टेक देंगे और फिर भी नैतिकता की बात बाकी रह गयी ? मुझे बड़ी तकलीफ होती है कहने में, यदि किसी के सामने घुटने टेकने के बाद भी जीतकर आ गये होते तो भी बात आयी-गयी होती। किन्तु प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, "हार" ! मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा आघात लगा, एक मर्द के हाथों मर्द की मौत होती तो तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक चींटी ने हाथी को पछाड़ दिया। यदि राधेश्यामजी से हारे होते तो समझ में आता, कांग्रेस विशाल पार्टी है उसके नेता से हार गये। यदि राधेश्यामजी से हारे होते तो पता लगता एक विशाल पार्टी के नेता से हार गये लेकिन तीसरे नम्बर पर रहे और दलदल से हारे।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री देवपुरा साहब हमारे सुरेन्द्र सिंहजी से हार गये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : तीसरे नम्बर पर आये और जमानत जब्त होने में 15 वोट बचे उसके बाद फिर नैतिकता बाकी रह गयी ? मुझे फख्र होता इस बात पर यदि नैतिकता की बात करने वाले लोग ऐसी परिस्थिति में दूर हट जाते और मुख्यमंत्री नहीं बनते तो। राजस्थान के लोग उनको पलकों पर बैठा लेते कि आदर्श और नैतिकता की 30 वर्ष तक दुहाई देने वाले यह लोग अपनी बात पर खरे उतरे हैं।

बंधुओं, सरकार बन गयी। अध्यक्ष महोदय, सरकार कैसी बनी, खरीद-फरोख्त हुई या नहीं हुई, कौन कितने में बिका, किसको क्या मिला, इस पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन विश्वास का मत हमसे चाहते हैं। राजस्थान की जनता के सामने विश्वास का मत प्राप्त करने की भीख मांगने गये थे और क्या हश्र हुआ ? 31 में से 21 का पता नहीं चला कहां गये ? मुख्य मंत्रीजी ने आदरणीय नम्बर दो के मुकाबले में एक उद्योग मंत्रीजी को लगाया था। आंखों के प्यारे शिक्षा मंत्रीजी, सहकारिता मंत्रीजी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। खाद्य मंत्री भी होंगे, आखिर क्या हुआ ? विश्वास का मत वहां मांगते। वहां विश्वास खोकर केवल सरकार बनाने से विश्वास नहीं होता। जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है और अच्छा होता जनता से विश्वास लेकर आते तो सच्चे मायनों में विश्वास की बात होती।

आपने कई मुद्दे उठाये। मंदिर की बात कर डाली, मस्जिद की बात कर डाली, धर्म की बात कर डाली, धर्म के अनुयायियों के आगे घुटने टेके सारे सिद्धान्तों को तोड़कर, फिर भी आप विश्वास प्राप्त नहीं कर पाये। मंदिर वापस बना देंगे, जन्मभूमि बना देंगे, फिर भी पार नहीं पड़ी, विश्वास नहीं मिल पाया और उसके बाद विश्वास का मत प्राप्त करने की आप बात करते हो। मुझे यह कहते हुए तकलीफ होती है, जब बड़े-बड़े दिग्गजों को धराशायी होते हुए देखा, कहना पड़ता है, "जमीं खा गयी आसमां

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

कैसे-कैसे।" ये दिग्गज जो राजस्थान की राजनीति के अगुआ थे अब विश्वास की भीख मांगने हमारे पास आये हैं जनता के साथ विश्वास समाप्त करके ?

मुझे आपसे एक बात और निवेदन करनी है कि इन परिस्थितियों में कौनसे विश्वास का मत मांगना चाहते हैं ? सरकार भंग कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी, विधान सभा भंग करनी पड़ी, इस बात पर वोट मांगा था। लोगों ने इनको जवाब दिया कि लोकतंत्र को भंग करने वाले आप, पंचायतों की हत्या करने वाले आप, सहकारिता का गला घोटने वाले आप, पंचायतों के बाद नगरपालिकाओं के चुनाव न कराने वाले आप, पंचायत समितियों का सत्यानाश करने वाले आप, जिला परिषदों का भट्टा बैठाने वाले आप और लोकतंत्र की हत्या की बात करते हो ? + + + ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती।" बड़े शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, केवल आश्वासनों के आधार पर सरकार नहीं चला करती, केवल वादों के आधार पर सरकारें नहीं चला करतीं, केवल विश्वास का मत प्राप्त करने का नाटक करने से काम नहीं चलता। विश्वास का मत तो बहुमत दिखाकर भी आप प्राप्त कर ले जायेंगे लेकिन राजस्थान की जनता देख रही है कि विश्वास का मत आप किससे चाहते हैं। गवर्नर साहब को आंख दिखा कर, धमका कर, मुझे वो दिन याद है जब जयपुर की सड़कों पर भीड़ लग गयी थी कि भाजपा की सरकार नहीं बन पायी, + + + के बाद भी नहीं बन पायी तो कांग्रेस का राज बने या न बने, पता नहीं, लेकिन जयपुर में साम्प्रदायिक दंगा हो जायेगा। लोगों ने 7 दिन का राशन इकट्ठा कर लिया। ऐसी स्थितियों में राज बनाने वाले लोग विश्वास की कल्पना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बात कही गयी भ्रष्टाचार की।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, + + + शब्द इस्तेमाल किया गया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अभी प्रतिपक्ष के नेता ने भी चर्चा की। माननीय सदस्य हमारे जवांई साहब ने भी भ्रष्टाचार की बात कर डाली। मुझे ताज्जुब हो रहा था, भ्रष्टाचार की बात और यहां से आ रही है। भ्रष्टाचार समाप्त करने का आह्वान आपने किया। खड़ा कर देंगे राजेन्द्र जैन को यदि हमारी सरकार आ गयी। यह भाषण तो मैंने सुने हैं, क्या हुआ ? कौन चाट गया उन फाइलों को ? दीमक खा गयी या सरकार खा गयी ? बी. के. मीणा को गिरफ्तार करवा देंगे, फांसी लगवा देंगे क्योंकि अनुसूचित जाति का एक कार्यकर्ता, एक आई ए एस. अधिकारी था। उसका दोष मात्र यही था कि वह अनुसूचित जाति का अधिकारी था और अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उसके पिताजी

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

उस जमाने में कलक्टर थे जब सदन के माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे और 1977 में उनको जेल पहुंचाने में कलक्टर का हुक्म चल गया और उसका बदला लेने के लिए किया। क्या हुआ डॉ. तोमर के यहां छापे का ? एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट से छापा डलवाया गया। भ्रष्टाचार मिटाने का आह्वान कर दिया और हाई कोर्ट ने बुलाकर कह दिया कि तफ्तीश बंद कर दो। तफ्तीश करने के लक्षण नहीं हैं तो किसी के साथ अन्याय तो मत करो। क्या इस प्रकार से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, क्या इस प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं ? मैं सवाल करना चाहता हूं, कितने लोगों को कटघरे में खड़ा किया आपने ? इधर के लोगों पर भी आपने आरोप लगाये थे कांग्रेस के नेताओं पर भी, सरकार के अधिकारियों पर भी आरोप लगाये लेकिन केवल आरोपों से सरकार नहीं चलती। अधिकारियों को डरा धमका कर वातावरण तैयार करने से सरकार नहीं चला करती। आजकल एक सिलसिला शुरू हो गया है, अध्यक्ष महोदय। गृह सचिव के खिलाफ एक अखबार में बड़ी लम्बी-चौड़ी खबर छपवा करके यह दिखाया गया कि हम कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। अधिकारियों को डरा-धमका कर एक प्रकार का वातावरण तैयार कर देने मात्र से रोब नहीं जमता। पकड़िये भ्रष्ट अधिकारियों को, समर्थन कीजिये ईमानदार अधिकारियों का, प्रशासन आपका सहयोग करेगा। लेकिन कई बार भूल जाते हैं कि हम सत्ता पक्ष में हैं, पहले विरोध पक्ष में थे अब सत्ता पक्ष में आ गये हैं कि नहीं। आदत पड़ गई है अधिकारियों को डराने की। राज में जाने के बाद डराने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब-जब सरकार में भाजपा मंत्री आते हैं, मुख्य मंत्री आते हैं, इन्होंने आफिसियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है। राजस्थान में केवल एक ही अखबार है जिसमें हर फाइल की नकल छप जाती है। जब-जब मुख्य मंत्री आते हैं भाजपा के तब-तब सारे मामले उजागर हो जाते हैं उसके बाद फाइलों का पता नहीं लगता। आखिर यह क्यों ? इस पर आपको विचार करना पड़ेगा, सदन को विचार करना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आश्वासनों के आधार पर काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहला आश्वासन दे डाला, ज्यों ही भाजपा की सरकार आयेगी हम चुंगी समाप्त कर देंगे। हमारा पहला आदेश होगा, चुंगी समाप्त। कहां गयी आपकी चुंगी ? कौन सा आदेश निकला ? मैं आपके पिछले ढाई साल की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं केवल आपके पिछले एक महीने की, आपके पच्चीस दिन की। और आदेश इन्होंने कर दिया, अध्यक्ष महोदय। क्या आदेश दिया ? इन्होंने आदेश दिया, इस मामले का फैसला हम वित्त आयोग को भेजते हैं। और वित्त आयोग का गठन आज तक नहीं। यह बात तो सही है. फैसला तो पहले ही किया है इस बात का आते ही, लेकिन फैसला हटाने का नहीं, वित्त आयोग को भेजने का किया और वित्त आयोग का गठन आज तक नहीं किया। आखिर कब फैसला करना चाहते हैं, यह आश्वासन दे देते। गंगानगर गये, गंगानगर से नेता को जीताना था, हनुमानगढ़ में गये,

Page No.59

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

हनुमानगढ़ को जिला बना देंगे। सूरतगढ़ के लोगों ने कहा, साहब, हमारे जिला, तुम्हारे भी जिला बना देंगे। तीसरा पूछता अगर बाली वाला, हमारे क्या ? कह देते, तुम्हारे भी जिला बना देंगे। जिले बांट दो, भ्रष्टाचार समाप्त कर दो, चुंगी हटा दो, कुछ कर दो लेकिन कुछ करो तो सही। भाषण देते थे बड़े-बड़े, सवाई माधोपुर की फैक्ट्री नहीं चली तो मजदूरों के साथ शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिविल लाइन के फाटक पर भाजपा के वर्तमान कार्यालय से हलुआ बन कर जा रहा था। मजदूरों का धरना क्या हुआ ? उसका नतीजा लोगों ने दिखा दिया। वहां की जनता ने निर्दलियों को विधायक बनाया, चाहे आप मन्त्री बना लें, चाहे अपनी कालिख उतार लें लेकिन सवाई माधोपुर जाइये और मजदूरों को जवाब दीजिए। ब्यावर में भाषण दिया सदन के नेता महोदय ने, जब विपक्ष में थे, ब्यावर तब छोड़ूंगा जब ब्यावर की मिल की चिमनी चालू हो जायेगी। क्या हुआ उस कृष्णा मिल की चिमनी का ? लोगों ने इनकी चिमनी तो बुझा दी, वह चिमनी अभी तक चालू नहीं हो पायी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान) यह बात करते हैं बिजली की। आदरणीय कमला जी ने बिजली की बात की, आदरणीय मदेरणा साहब ने बिजली-पानी की बात की। मुझे वह दिन याद आता है, शेखावाटी के लोगों ने माननीय नेता महोदय के आह्वान पर डेढ़ लाख लोगों को जेल भेजा था और केवल दो नये पैसे कांग्रेस ने बिजली की रेट बढ़ा दी थी....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए, दस मिनट से ज्यादा हो गये। बिराजिये आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : केवल दो पैसे कांग्रेस ने बिजली की रेट बढ़ा दी, डेढ़ लाख लोग जेल में चले जायें....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, अब समाप्त करिये। श्रीमती शशी दत्ता।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बालूराम की हत्या हो जाय, हत्या के उपरान्त बालूराम की लाश पड़ी रहे, राजनीतिक रोटियां सेंकी जायें और बिजली पर फिर आकर पचास पैसे बढ़ा दिये राज में। दो पैसे पर तो हमला...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : और पचास पैसे बढ़ाने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप शुरू करिये, बैठिये अब आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ऐसी स्थितियां हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, नैतिकता की बात नहीं करें, नैतिकता का असली चेहरा राजस्थान की जनता ने देख लिया है। इनको जो ...

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद। अब बिराजिये आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सिर्फ एक मिनट में समाप्त करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप तीन मिनट ज्यादा ले चुके हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इनकी जो उपलब्धियां रही हैं, अध्यक्ष महोदय, इनकी जो उपलब्धियां रही हैं....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बिराजिये आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : 25 दिन की, वह उपलब्धियां मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहली उपलब्धि तो....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, प्लीज, आप बैठिये। ऐसा है, मेरे पास 27 आदमियों के कुल नाम हैं, केवल सात के भाषण हुए हैं, दो घण्टे हो चुके हैं, एक घण्टा समय है। अब आप लोग जो ज्यादा समय ले रहे हैं....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सिर्फ दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप। आगे बोलने वालों को मुझे फिर पांच मिनट तक लाना पड़ेगा। तो आप उनका समय ले रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सिर्फ दो मिनट। मेरे नेता से पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप एक वाक्य में कन्क्लूड कर दीजिए, दो मिनट नहीं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनकी उपलब्धियों का बखान करना चाहता हूं। सबसे पहली उपलब्धि जो इनकी रही, सदन में तो बाद में आये, शपथ बाद में ली, पहला तो नमूना यह रहा उपलब्धि का, छह के चार और दो करके पहली उपलब्धि इन्होंने यह हासिल की, जो मेरे बगल में बैठे हैं। दूसरी उपलब्धि, कैसे मंत्रियों को खुश करें। गंगानगर से आने वाले बादल साहब के एक खास थे, कैसे पटायें। उन्होंने एक ही मांग की, मुझे क्या दोगे ? बोले, पढ़े-लिखे नहीं हो, उप मन्त्री बनायेंगे। उन्होंने कहा, बंगला ? इन्होंने कहा, जो सबसे बड़ा बंगला हो वह आप ले लो, चाहे केबिनेट मन्त्री का ही हो। एक उपलब्धि इनकी यह रही। तीसरी उपलब्धि, राजस्थान के बिजली बोर्ड का सत्यानाश करने वाले चेयरमैन साहब की। पहली कलम यदि इनकी चली है, किसान विरोधी चेयरमैन को इन्होंने पुनर्स्थापित करके पाप किया है। तीसरी उपलब्धि इनकी यह रही है। इसलिए अंत में मुझे इतना ही निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, आपके दो मिनट भी पूरे हो गये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, आप बैठिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इन सारे हालात में कि "अहसास यह होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है।"

मैं कहां इनको यह बात कहूं जो न सुनने लायक हैं, न जो बोलने लायक हैं। ऐसी परिस्थिति में इस सरकार को जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाली सरकार नहीं कहा जा सकता। विश्वास का मत प्राप्त करने की आपने जो कल्पना की है, केवल आपने कुर्सी से चिपकने का मात्र एक बहाना ढूंढा है, राजस्थान की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। यदि आप

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

में हौसला है, पुन: जाइये राजस्थान की जनता के पास और पुन: अपनी कालिख उतार करके जाकर भीख मांगिये कि वह आपको विश्वास का मत दें और जागरूक हमारे विधायक बन्धुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह विश्वास के मत का प्रश्न नहीं है, राजस्थान में सरकार किसकी रहे, किस की नहीं रहे, इस बात का प्रश्न नहीं है, मेरे काकाश्री मुख्य मन्त्री रहें, न रहें, इस बात का प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि राजस्थान की जनता के हितों की हत्या न हो, उसकी सही ढंग से विवेचना राजस्थान में की जाय, इस बात के लिए आप लोग उस सत्ता पक्ष से आये प्रस्ताव का विरोध करें, आपकी बड़ी कृपा होगी।

अंत में एक छोटी सी सलाह आपके माध्यम से सिर्फ एक-दो सैकण्ड में मेरे काकाश्री को देना चाहता हूं कि उनको मेरी शुभकामना है नव वर्ष के लिए, लेकिन नव वर्ष में केवल एक ही कृपा कर दें राजस्थान की जनता पर, कर देसूं, हो जासी, देख लेसूं, बन्द कर दें।

धन्यवाद, जय हिन्द।

दलीय स्थिति

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विरोधी दल के रूप में मान्यता एवं श्री परसराम मदेरणा, प्रतिपक्ष के नेता

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचित करता हूं कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है तथा उस पार्टी के नेता श्री परसराम मदेरणा को प्रतिपक्ष का नेता मान लिया गया है।

श्रीमती शशी दत्ता।

विश्वास प्रस्ताव

नियम 132 क के तहत मंत्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

श्रीमती शशी दत्ता (राज्य मन्त्री, विधि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे बड़ा टार्गेट इस विधान सभा में बनाया गया, बड़े खेद की बात है कि वह हमें बनाया गया है। हम निर्दलीय सदस्यों को एक ऐसा टार्गेट बना लिया है कि I think we are standing no where और हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है इस बात का कि हमारी तौहीन इस सदन में की जाये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्रीमती शशी दत्ता : मैं बोल रही हूं, आप बैठ जाइये....(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं। No, No. I don't allow. No please sit down. Please, sit down .. (व्यवधान) Please sit down. I say, sit down. Let her speak. यह इन्ट्रप्शन चलेगा तो कभी समाप्त नहीं होगा भाषण। यह क्या तरीका है आपका। सुनिये।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : एक महिला बोल रही है और आप इस तरीके से करते हैं।

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण

Page No.62

(श्रीमती शशी दत्ता)

के बाद प्रतिपक्ष के नेता ने शुरूआत ही हम निर्दलीय सदस्यों से की। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी, माननीय सदस्या मुझ से पूर्व में जो बोलीं – कमलाजी, उन्होंने भी हमारे ऊपर एक विशेष प्रकार का आरोप लगाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वह महिलाओं के प्रति बहुत वफादार हैं और हमारी सरकार जो बनी है उसमें महिलाओं के प्रति क्या कहें। तो मैं सबसे पहले उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। इस सदन में मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि महिलाओं के प्रति जो रवैया है शुरू से जब से हम जीत कर आये हैं, हम एज ए इण्डिपेण्डेण्ट अपने बूते पर जीते हैं, क्यों ? क्योंकि हमारे खिलाफ कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे और बड़े धुरन्धर उम्मीदवार थे और बी.जे.पी. के भी थे, यह बूता हमारा था कि हम इन दोनों की जमानत जब्त करा कर यहां इस सदन में आये। उसके बावजूद जो हालात, महिलाओं के प्रति संवेदना प्रकट कर रही हैं माननीय सदस्या, जो व्यवहार हमारे साथ हुआ वह हम जानते हैं। हमें वहां गेट पर रोके रखा घण्टों, राज्यपाल महोदय के गेट के बाहर हम खड़े रहे और इधर से आते कांग्रेस वाले, कान में कहते कि, इधर आ जाओ। उधर से आते कि जी, आप बात सुनना। हमारे साथ यह व्यवहार क्यों ? यह हमारी रेपुटेशन है। यह माननीय सदस्यों के साथ हुआ व्यवहार था, लाठी-भाटा जंग पर आमादा थे कांग्रेस वाले और उसके बाद हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं कांग्रेस वाले, बड़ा ताज्जुब होता है और यहां विधान सभा में बयान दिया जाता है कि महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी, निवेदन करूंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने जो फैसला लिया, जो हमारी जीत का कारण रहा जनता में हमारा विश्वास, उस विश्वास पर जीत कर आये और हमने विश्वास माननीय भैरोंसिंह जी में व्यक्त किया। आपको बुरा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहूंगी; हमें तो बहुत ताज्जुब होता है, मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन मैं कह दूं तो मुझे क्षमा कर दीजियेगा कि हमसे यह कहा गया कि माननीय वयोवृद्ध नेता जोशीजी; जैसे कि हमारी वागड़ी भाषा में एक कहावत है "मरेड़ो बींद के टीको कुण काढे", हमने बड़ा स्पष्ट निर्णय लिया कि कल जब विधवा हो जाना है तो फिर ऐसे को बींद क्यों बनाया जाय। ऐसे समय में हम क्या निर्णय लेते। यह निर्णय हमने अपने बूते पर लिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसी बात मत कहिये, अच्छा नहीं है।

श्रीमती शशी दत्ता : मैंने क्षमा मांगी है आपसे। बुरा न मानें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : वे सबसे सीनियर मेम्बर इस हाउस के हैं।

श्रीमती शशी दत्ता : आपसे क्षमा मांगी है मैंने। मैं पुन: क्षमा मांगती हूं।

श्री विष्णु मोदी . मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन वे सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं इस सदन के।

श्रीमती शशी दत्ता : मैं क्षमा मांगती हूं आपसे, माननीय सदस्य . (व्यवधान)

(श्रीमती शशी दत्ता)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इनका प्रश्न आता है तो हम इन पर एतराज नहीं करते। हमारे साथ जो हुआ, हमारी भावनायें कुंठित हुई हैं और आज शुरू से लेकर अन्त तक शायद यही विषय है कि किस प्रकार से इन निर्दलीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचायी जाय, किस प्रकार से इन्हें डिग्रेड किया जाय, this is the only point. बड़ी शर्म आती है, हम यहां चुनकर आये। मैं तो यह कहूंगी कि जब हम यहां से मिनिस्टर बनकर गये, जो यह कह रहे हैं माननीय सदस्य कि लोगों ने कांग्रेस के नाम पर चुनकर भेजा, तो लोगों ने हमारा बड़ा भव्य स्वागत किया था कि आपने बहुत बढ़िया किया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया....(व्यवधान) हमारा बड़ा आदर किया गया, that is the record that sixty two times मुझे लोगों ने सिक्कों से तोला था, वह मेरी कद्र थी किसी पार्टी की नहीं। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। जो माननीय सदस्या महिलाओं की इज्जत की बात करती हैं या हमारे संरक्षण की बात करती हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय भैरोंसिंह जी को इस बात के लिए बधाई दूंगी।

जहां तक सवाल उठता है, मुझे गौरव के साथ यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में जब पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय सबसे पहले श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को विधि मन्त्री, कानून मन्त्री बनने का प्राप्त हुआ और उसके बाद माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार में प्रथम बार मुझे महिला (व्यवधान).... मन्त्री बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे मेरे हकों का वाजिब हकदार बनाया है। मैं कहना चाहती हूं; मैं भैरोंसिंह जी की शुक्रगुजार हूं। इसके लिए बधाई के पात्र वे थे।

दूसरी बात, बिजली, पानी, सड़क.... (व्यवधान) मन्त्री तो आपमें मिलते तो भी बन जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी ....

श्री विजेयन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : किस्मत लिखाकर लाये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शशी दत्ता : आपके पास आते तो भी बन जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहूंगी लेकिन माननीय सदस्यों से इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि बीइंग-ए लेडी कैंडीडेट, हम भी आपके सहयोगी हैं; आपके साथ आये हैं, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो आप हमें इस लहजे, टोंटिंग, वे में मत कहिये। आप कटाक्ष कीजिये, हमसे प्रश्न कीजिये, आपका फर्ज है। आप हम से पूछिये। आप पुराने हैं, हम नये हैं लेकिन जिस लहजे में आप बात कर रहे है वह लहजा आपका बहुत व्यंग्यात्मक और कटाक्षपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगी, हम भी अगर इन पर आमदा हो जायें तो शायद आपको महसूस होगा क्योंकि आप हमसे बुजुर्ग हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष श्री विष्णु मोदी।

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्या से इतना ही जानना चाहूंगी कि मैंने कौनसी बात कही जो उनको नागवारा लगी। अभी तो कोई बात नहीं कही वे बार-बार

Page No.64

(श्रीमती कमला)

मेरा रेफरेंस दे रही हैं। मैंने तो ग्राम महिला वर्ग के लिए बात कही है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बाद में पूछ लेना। श्री विष्णु मोदी।

श्रीमती शशी दत्ता : मैंने कोई नाम नहीं लिया।

श्रीमती कमला : इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार राज्यपाल के यहां हुआ या कहीं और हुआ तो उसके लिए मैं तो कोई जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सदस्या बोल रही थीं कि कटाक्ष हो गया या व्यंग्यात्मक हो गया, हम तो आपको प्यार से कह रहे हैं कि आप इस विश्वास मत का समर्थन नहीं करें। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : हर शब्द का उपयोग सोच-समझकर करिये। यहां कहावतों में भी अर्थ का अनर्थ हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : शब्द के साथ ध्वनि का भी ध्यान रखिये कि वह शब्द क्या ध्वनि पैदा करता है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिला तो यह है कि निर्दलीय अपने बलबूते पर जीत कर आया या दुर्भाग्य यह रहा कि कांग्रेस का टिकट मांगता रहा, कांग्रेस के दरवाजे खटखटाता रहा और यह कोशिश करता रहा कि कांग्रेस का टिकट मिल जाय....(व्यवधान) मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन अधिकांश....(व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह (उप मन्त्री सिंचाई) : हमने तो प्रधान मन्त्री का चुनाव भी निर्दलीय लड़ा था और आपका उम्मीदवार भी वहां लड़ा और सौ आदमी आपके हरियाणा के थानों में बन्द रहे...

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिला तो यह हुआ कि कुछ गलतियां कांग्रेस ने कीं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री विष्णु मोदी : मैं वही कह रहा हूं। आप जो वहां बिराजमान हैं तो राजस्थान की जनता ने तो आपको नकार दिया था....

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : बहुत स्वागत किया है।

श्री विष्णु मोदी : कोगटा जी, आप किस तरह जीतकर आये हैं। अगर सोहन सिंह और चम्पालाल जी नहीं खड़े होते तो आप भी शायद विधान सभा का मुंह इस बार नहीं देखते। खैर, मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता लेकिन कांग्रेस ने गलतियां कीं और भाई गुरजंट सिंह जो कह रहे थे और बहन जी बोल रही थीं, वहां हमने रिश्तेदारों को टिकट दी, उसका सिला हमको मिला। राजस्थान की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए मत नहीं दिया लेकिन कुछ हमारी गलतियां रहीं और जो निर्दलीय सदस्य जीतकर आये हैं...

श्री गुरजंट सिंह : नहीं साहब, आपने पहले तय कर दिया, हमने बाद में तय कर दिया, इसमें कोई अन्तर नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय भैरोंसिंह जी 1977 में जब मुख्य मन्त्री बने थे तब वे राजघाट पर सौगन्ध खाने वाले लोगों में से एक थे। जनता पार्टी की बैसाखियों पर आकर मुख्य मन्त्री बने, ढाई साल भी नहीं चले। 1990 में आदरणीय देवीलाल जी के कंधों पर, और एक नौबत यह आयी कि इनके साथ दौरा करने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद में जिस तरह से जनता दल में टूट हुई, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया, उस समय जो मेण्डेट था या आपका जो घोषणा पत्र था उसमें कहीं पर मन्दिर का मुद्दा नहीं था, उसमें कहीं यह नहीं कहा था वहां की जनता पार्टी ने कि हम मन्दिर वहीं बनायेंगे और मस्जिद को तोड़ेंगे। उसके बाद में जिस तरह से वह घटनाक्रम चला, जिस तरह से सरकार गयी, जिस तरह यहां जनता दल में विभाजन हुआ और जिस तरह का शासन राजस्थान की जनता ने भोगा उसका नतीजा सन् 1993 के चुनावों में सामने आया कि अधिकांश मन्त्री चुनाव हार गये। वह मात्र एक इस तरह का शासन था जिसमें भ्रष्टाचार पनप रहा था, जिसमें अराजकता फैली हुई थी और उसी का कारण था कि 62 प्रतिशत जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा।

श्री कालीचरण सराफ : कांग्रेस के पक्ष में कितने आये ?

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, वह तो आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है।

श्री कालीचरण सराफ : बताओ तो सही।

श्री विष्णु मोदी : जब इस बार चुनाव में गये, उसके पहले सरकार भंग की गयी। सरकार जब भंग की गयी उस समय संविधान का अनादर किया, सर्वोच्च न्यायालय में असत्य बात कही गयी, जो एकता परिषद् थी उसके अन्दर भी बात किस तरह से कही गयी क्योंकि मुझे तो इस बात की जानकारी है कि कल्याण सिंह जी की जमानत देने आदरणीय भैरोंसिंह जी भी प्रधान मन्त्री के पास गये थे कि आप इन पर विश्वास रखिये कि हम मस्जिद की रक्षा करेंगे। उसके बाद मे इस देश में इस तरह से साम्प्रदायिकता का वातावरण फैलाया गया। 6 दिसम्बर को जो घटना हुई, वह खाली बाबरी मस्जिद को ढहाने की नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, हमने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी और जो रास्ता हमने अख्तियार किया था वह धर्मनिरपेक्षता का किया था, सेक्यूलरिज्म हमारा बेसिक फेब्रिक था, उसके ऊपर चोट पहुंचाई गयी। उस दिन हिन्दुस्तान में इस बात की कोशिश की गयी थी कि भाई दुश्मन हो जाये, एक कट्टरवाद आ जाये, एक साम्प्रदायिक उन्माद फैलाय जाये और उस साम्प्रदायिक उन्माद का रास्ता चुनावों में वोट प्राप्त करने का हो। लेकिन दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का और सौभाग्य है इस देश का कि इस चुनाव में जो नारा दे रहे थे कि आज पांच प्रदेश कल सारा देश, वह चला नहीं।

(श्री विष्णु मोदी)

अभी आदरणीय नरपत सिंह जी लोक सभा के नीचे दिल्ली के राज की बात कर रहे थे। तो वह तो मेरा ख्याल है एक नगर पालिका से बड़ी सरकार नहीं है। अगर आप दिल्ली के इसी तरह के राज से खुश होना चाहते हो तो आपको मुबारक हो। देश की जनता ने उस साम्प्रदायिक उन्माद को नकारा है जिस साम्प्रदायिक उन्माद से भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अन्दर इस तरह का वातावरण पैदा कर के इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी उस बात का जनादेश इन पांच चुनावों में हुआ। इन पांचों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। जितना मैं मुख्य मन्त्री जी को जानता हूं नैतिकता पूरी है उनमें शायद वह सरकार बनाते भी नहीं। लेकिन ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में राज करने का सपना देखने वाले, हिन्दुस्तान में शासन कायम करने वालों को कहीं न कहीं मुंह छिपाने लायक जगह तो हो, कहीं बात करने की बात तो मिले मुझे ऐसा लगता है कि उसी दबाव में आकर इन्होंने जिस तरह की ....(व्यवधान) थैलियों का मुंह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जिस तरह की बात बनी वह सबके सामने है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को और इस सदन को यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार को जनादेश नहीं हो, जो मिली जुली हो, किसी तरह से इधर-उधर से बनायी गयी हो उसका समर्थन मैं नहीं करूं और सदन भी नहीं करें। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब के अन्दर विश्वास व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी के अन्दर विश्वास व्यक्त किया। जनता को इस बात के लिए और भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भैरोंसिंह जी शेखावत साहब में विश्वास व्यक्त करने के कारण जिस तरह की स्थिति में कांग्रेस आ गयी है कि आज उसे नैतिकता याद आ रही है, भ्रष्टाचार का उन्मूलन प्रदेश में होना चाहिए इस बात की याद आ रही है, इस प्रदेश का विकास होना चाहिए, यहां साधनों का संकट है, विद्युत का सकट है, सिंचाई का संकट है, अब सब संकटों की, नीति की, चिन्तन की, दर्शन की, देश की, दिशा की विकास की याद आ रही है, ऐसी विपरीत स्थितियों में कांग्रेस जैसे लोगों को नैतिकता याद आ जाये ऐसी स्थिति के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को।

बात की गई+++सरकार है। सरकार बनाने की कोशिश में कसर आपने

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

भी नहीं छोड़ी। नेता तक बदल डाले। विपक्ष के नेता आज माननीय परसराम जी मदेरणा हैं। नेता कुछ दिन पहले और थे। सरकार बनाने के प्रयास में, हरियाणा से आये हुए सूटकेसों को निर्दलीय लोगों में बांटने के प्रयासों में आप बहुत आगे थे। इन निर्दलियों को जनता ने वोट दिया था। जिस तरह अभी माननीय मन्त्री महोदया कह रही थीं....(व्यवधान)

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : खरीद फरोख्त में हम लोग आगे थे। कृपया बतायेंगे आपका क्या भाव था और हमारा क्या भाव था ? अध्यक्ष महोदय, अलवर, राजस्थान में सबसे....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है। आप मुझे इंगित करके बोल रहे हैं मैंने अलाऊ नहीं किया। बैठिये आप। मैं समझता हूं इस आदत में आप सुधार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। Please mend your self.

श्री राजपालसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाव भी जनता ने बताये हैं और कांग्रेस के भाव भी जनता ने बताये हैं। अब मैं कांग्रेस को बार-बार भाव बताना नहीं चाहता। जनता के बीच आपके भाव क्या रहे, आपकी कद्र क्या रही वह जनता खुद जानती है। यह हरियाणा के सूटकेस से काम नहीं चला, नेता बदलने से काम नहीं चला। नेता जो आपने आयातित किए हैं चाहे राजेश पायलट के नाम से आयातित किये हों या आपने हरियाणा से आयातित किये हों, आयातित नेताओं से जब काम नहीं चला तो नेता विहीन कांग्रेस जो आज बात करती है चर्चा करती है मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किन्हीं कारणों से हार सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर कांग्रेस हारी नहीं है, और मध्य प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी को डिफीट मिली है तो उत्तर प्रदेश के अन्दर कांग्रेस डिमोलिश हो गयी है इस बात को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिये। जनादेश जनता का मिला, गयी बार भी मिला और इस बार भी मिला। इस बार जनादेश मिला कि जाओ अन्त्योदय योजना के जनक, जिन योजनाओं को आपने शुरू किया था, जिन परियोजनाओं को शुरू किया था, इस राजस्थान के विकास को जो नये आयाम देना चाहते थे, राजनीति को जो नया परिदृश्य देना चाहते थे, जो कहानी लोकतन्त्र की हत्या करने वाले लोगों ने रोकने की कोशिश की, साजिश की उसका जवाब देओ और इस गरीब जनता को गणेश मानकर फिर से सेवा करने का बीड़ा राजस्थान में उठाओ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अयोध्या का मामला उठाया गया। अयोध्या में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यशाली था या सौभाग्यशाली इस बारे में जाना नहीं चाहता। अयोध्या के मामले के लिए कोई यदि जिम्मेदार बनता है तो कांग्रेस की सरकार और माननीय नरसिंह राव जिम्मेदार बनते हैं। आप लोगों ने धर्मनिरपेक्षतावाद के नाम पर वोट बैंक बनाने की कोशिश की लेकिन आप सगे उनके भी नहीं रहे। सगे आप उनके भी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट की आप दुहाई देते हैं। फिर आपने अभी कन्टिन्जेन्सी प्लान की बात की, आपका कन्टि-

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

कन्टिन्जेन्सी प्लान कहां चला गया था ? अयोध्या में वह ढांचा टूटा तो ढांचा टूटने के बाद में कन्टिन्जेन्सी प्लान आपका जो था कि फोर्स मूव करा देंगे वह कहां गया ? आप न राष्ट्र के रहे न आप जिस जनता से चुनकर आये हैं उसके रहे। धर्मनिरपेक्षतावादी तथाकथित ताकतों का नाम लेकर आप वोट बैंक को सहेज कर रखने की कोशिश करते रहे उस मुस्लिम जाति का अगर सबसे बड़ा विरोधी कोई रहा है, उसके हितों को तोड़ने वाला कोई रहा है तो आप रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता ने विश्वास व्यक्त किया है माननीय भैरोंसिंह जी साहब की सरकार के अन्दर विकास की जो गंगा बहाई गयी है जो गंगा उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची, मुहाने पर जाकर रूक गयी उन्होंने आदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेतृत्व को इस बात के लिए कि उस विकास की गंगा को उनके दरवाजे तक पहुंचाओ। इस बात का जनादेश है।

जो आप आलोचनाएं कर रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सदन के अन्दर माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार का विश्वास है। आप सलाह देने लगे कि सरकार को क्या करना चाहिए। लेकिन आज के विश्वास के मत की आपने अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की है इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अब यह हुंकार दिवस और ललकार दिवस की बात की गयी। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतन्त्र की हत्या करने वाले, लोकतन्त्र के मूल्यों को प्रताड़ित करने वाले लोगों को यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरकर ललकारा भी है और आपको ध्यान हो तो राजस्थान बन्द हुआ था, राजस्थान बन्द के रूप में न केवल ललकार और हुंकार दिवस बल्कि राजस्थान की जनता ने धिक्कार दिवस भी मनाया था आप लोगों के खिलाफ (व्यवधान).... आपने इस बात की चर्चा की कि कौन कितना हुआ ? आपने यह भी चर्चा की कि कई मन्त्री यहां पर नहीं हैं। अगर हमारे कुछ मन्त्री यहां पर नहीं हैं तो आपके दो-दो पूर्व मुख्य मन्त्रियों की क्या हालत हुई ? उसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता। मैं इस बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता (व्यवधान) आपका मौका आयेगा तब आप बोलिएगा। मुझे पता है अच्छा बोलते हैं आप लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। (व्यवधान)

आपने मतों के प्रतिशत की बात भी कही है। कितने कितने प्रतिशत मत लेकर आपने चालीस साल तक सरकार में राज किया है ? यह सही है कि हिन्दुस्तान का जो पालिटिकल स्ट्रक्चर है, वोटों के बढ़ने से सीटें बढ़ें कोई जरूरी नहीं है, वोटों के गिरने से भी सीटें बढ़ जाती हैं और वोटों के बढ़ने के बाद भी सीटें गिर जाती हैं। इस प्रकार की चर्चा करके विपक्ष के माननीय नेता कह रहे थे कि आंकड़ों में मत जाइये। आंकड़ों की उलझन में जाने की जरूरत नहीं है अपने गिरहबान में झांकिये और देखिये कि हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने के लिए कितने-कितने प्रतिशत वोटों से आप आये हैं। 38 प्रतिशत मत, यू.पी. में वोट

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

बढ़ा, सीट घटीं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ? मतों में वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन बढ़ा है, उसकी नीतियों के प्रति जनता के अन्दर जागरूकता बढ़ी है। इस बात को स्वीकार करने के अन्दर आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब हम सब यहां पर बैठकर के जनता की बहबूदी करना चाहते हैं, यह हमारा लक्ष्य है इस बारे में मैं समझता हूं कोई असहमति नहीं होनी चाहिए, न असहमति यहां पर कोई होगी। इस जनता की बहबूदी के लिए जो चुनी हुई सरकार है जिसमें जनता ने विश्वास व्यक्त किया है उस जनता द्वारा विश्वास व्यक्त करने के बाद यहां पर विश्वास का मत प्राप्त करने की जो औपचारिकता मात्र है वह औपचारिकता ही रहने वाली है, आपने भी मन से इस बात को स्वीकार कर लिया है।

माफिया की बात करें चाहे जमीनों के दलालों की बात करें, यह सही है कि इंक्वायरी करने के बाद में बहुत बड़ा घोटाला मालुम पड़ा है। घोटाला हुआ किसके राज में ? जयपुर की बढ़ती हुई जनसंख्या, जयपुर में आते हुए माइग्रेशन के कारण से एक्यूट हाउसिंग प्राब्लम होगी जो उस वक्त की गवर्नमेंट फोरसी नहीं कर पायी क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार का एक पाइन्ट प्रोग्राम था कि भ्रष्टाचार करो। जनता के लिए क्या किया जाना चाहिए, पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होनी चाहिये ? इसके बारे में कोई सोच नहीं था और यह सोच नहीं था इसलिये सहकारी समितियां आयीं और गरीबों को लूटा। गरीबों को लूटा और माफिया बना। जिनके संरक्षण में माफिया बना वह आज माफिया की खिलाफत की बात करते हैं। जिनको आपने संरक्षण दिया उनकी आज आप खिलाफत करते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अन्त्योदय योजना के जनक को जिसने राजस्थान के विकास को नया आयाम देने के लिये सातवीं पचवर्षीय योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना जैसे आयाम पर ले जाकर पहुंचा दिया है जिसके कारण आज के तीन-चार-पांच साल बाद के राजस्थान का जो परिदृश्य बनने वाला है, जो विकास की तस्वीर बनने वाली है, जनता में जो बहबूदी आने वाली है वह इस राजस्थान को किसी भी और प्रदेश के मुकाबले पिछड़ा हुआ नहीं बनायेगी।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस मौके पर कि यह जो विश्वास प्राप्त करने की बात है, जो विश्वास आप सब लोगों ने व्यक्त किया है, आज मैं सोचता हूं, यहां पर एक मिसाल कायम की जाय कि जिस प्रकार आप अध्यक्ष का यहां परम्परा के रूप में निर्विरोध रूप से चुनाव करते है उसी प्रकार से जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया है उस जनता के प्रति वफादारी दिखाते हुए माननीय नेता के अन्दर विश्वास व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, सदन के समक्ष जो प्रस्ताव है आपको और हमको देखना पड़ेगा कि यह स्थिति क्यों आयी ? 6 दिसम्बर, 1992 को देश में चार प्रान्त ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था।

(श्री जगदीप धनखड़)

राजस्थान में इनका शासन खुद के बलबूते पर नहीं था। यहां शेखावत साहब की करामात थी और जनता दल के टुकड़ों की इन्होंने मदद ले रखी थी। 6 दिसम्बर को बहुत जबरदस्त घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी ने विश्व को दिखाया कि यह शासन किस तरीके से करेंगे। कल्याणसिंह सरकार ने जो वायदा सुप्रीम कोर्ट से किया, भारत के सदन से किया, नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल से किया, देश की जनता से किया उस पर इतना जबरदस्त कुठाराघात किया, विश्वासघात किया कि आडवाणीजी ने इस्तीफा फैक्स कर दिया कि मैं विपक्ष का नेता नहीं रहना चाहता। 2-4 दिन बाद में आडवाणी जी को लगा कि क्यों नहीं इस स्थिति का फायदा उठायें, कह सकते हैं कि हमने तो बहुत जोरदार काम किया है, कांग्रेस तो बिना बात ही धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है, वह दिल्ली आये और कहा कि हमें गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है, अब हमने विचार-विमर्श कर लिया है और कहने लगे कि हमने यह काम किया है। फिर उनकी यात्रा चालू हो गयी। कहा, पूरे देश पर कब्जा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त बातें होने लगीं। अमेरिका के अन्दर बहुत जबरदस्त रूप से धन इनके लिए एकत्रित किया गया। नतीजा क्या निकला? 4 प्रान्तों में से 3 में तो भाजपा गायब हो गयी। हिमाचल प्रदेश में शान्ताकुमारजी खुद चुनाव हार गये। भाई राजपालजी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम बरबाद हो गये। पहले सोचिये, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? डबल डिजिट में आप लोग नहीं पहुंच पाये। और मध्य प्रदेश में कितनी बुरी हालत हुई? दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें आयी हैं। उत्तर प्रदेश में देखिये, क्या नजारा हुआ है। कल्याणसिंहजी की जगह मुलायमसिंहजी आकर बैठे हैं। यह सब कुछ आपकी करतूतों का नतीजा है। राजस्थान में आप भाग्यशाली हैं मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है। आपके नेता सशक्त हैं, जादूगर हैं। इन्होंने जादू कर रखा है वरना यहां की जनता ने तो कसर बाकी नहीं रखी।

मैं सदन के नेता भैरोंसिहजी की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं इनको बहुत अच्छा नेता मानता हूं, समय-समय पर इन्होंने देश के हित में भी काम किये हैं परन्तु जनता ने इस बार भैरोंसिहजी को नहीं बख्शा है। राजस्थान के प्रमुख दैनिक तक को लिखना पड़ा एडिटोरियल में फ्रन्ट पेज पर कि राजस्थान के सर्वमान्य नेता अपने नहीं है। क्यों? धौलपुर से चुने गये थे वहां से मुख्य मंत्री थे और धौलपुर के अन्दर इन्होंने किसी साधारण आदमी को नहीं उतारा, खुद ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा कोई खास बात नहीं, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, हर बार दूसरी जगह से लड़ते हैं, धौलपुर में एक सिटिंग सांसद को इन्होंने उतारा और धन्य हो, इधर से बनवारी लालजी शर्मा, का जिन्होंने सदन में धौलपुर की जनता की आवाज को इकट्ठा कर लिया। दूसरी बात देखिये, यह हाल धौलपुर का ही नहीं है। गंगानगर से चुनाव लड़ा, मुझे खुद को इनकी भारी हार से झटका लगा है। जब मिसेज इन्दिरा गांधी हारी थीं, एडिटोरियल में लिखा गया था, कुछ में कहा गया 'Knife has gone too deep.' मिसेज गांधी चुनाव हारी थीं। बड़े-बड़े नेता चुनाव

(श्री जगदीप धनखड़)

हारते हैं। मिसेज गांधी हारीं, संजयजी हारे, चरणसिंहजी हारे पर भैरोंसिंहजी का तीसरा नम्बर आया। आप और हम सबको धक्का लगा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में एक मात्र ताकत तो भैरोंसिंहजी हैं और भैरोंसिंहजी ने क्या कहा? मैं गंगानगर से ही विधायक रहूंगा, बाली से इस्तीफा दूंगा। अब गंगानगर से तो विधायक हो नहीं पाये और बाली का इस्तीफा भैरोंसिंहजी ने दिया नहीं। मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि इन्होंने अपने वचन को नहीं निभाया पार्टी की बात छोड़िये "रघुकुल रीत सदा चली आयी, प्राण जाय पर वचन न जाई" भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होती। सदन के नेता को मैं याद दिलाऊंगा कि सदन के नेता ने इस बार जोरदार करामाती काम किये हैं। कहने लगे, डंकल पता नहीं कैसा जबरदस्त डंकल है, नीम का दातुन खुद नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं कि जगदीप धनखड़ जैसा साधारण नेता कोई बात कहे तो समझ में आती है, लोकसभा में हार गया, विधान सभा में पहुंचने की लालसा है परन्तु भैरोंसिंहजी के स्तर का नेता डंकल प्रस्ताव के ऊपर इस प्रकार की बात करे, मैं समझता हूं कि यह विचारणीय विषय है। (व्यवधान) कहते हैं कि हमने दिल्ली में राज कर लिया। इसकी बहुत बड़ी वजह है। जहां जहां लोगों ने आपके राज को देखा-समझा, आपकी आस्था को देखा उन्होंने नकार दिया। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कल्याणसिंह होंगे, कल्याणसिंहजी ने शासन अच्छा किया होगा, उनके हाथ में सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। दिल्ली में काम देखा नहीं। अगली बार देख लेना, दिल्ली से गायब ही मिलोगे। अब मैं सदन के नेता से एक खास बात कहूंगा....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगली बार तो यहां भी इनकी छुट्टी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगली बार तो आप आने वाले नहीं हो।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, पूरा देश जानता है कि आप एक बहुत ही हैसियत वाले नेता हैं। जब वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री थे आपके उनसे अच्छे सम्बन्ध थे और होने भी चाहिये। मुझे तो खुद व्यक्तिगत रूप से इसी का फायदा हुआ है। चन्द्रशेखरजी प्रधान मंत्री थे तो आपके अच्छे सम्बन्ध उनसे रहे, नरसिम्हा रावजी जब प्रधान मंत्री बने, देखिये, अयोध्या के मामले को हल करने के लिये जिन शीर्ष नेताओं की उन्होंने मदद ली उनमें भैरोंसिंहजी की भी मदद ली। हर राजस्थानी को इस बात के लिये गर्व है कि उन्होंने भैरोंसिंहजी की मदद ली। कोई नहीं कहता कि भैरोंसिंहजी के योगदान में कहीं कोई कमी रही हो। मान्यवर, तीन प्रधान मंत्री रहे, तीनों से आपके इतने अच्छे सम्बन्ध रहे, इतना अच्छा व्यवहार उनसे रहा, वह आप पर डिपेण्ड करते रहे। यह बिजली का कोई भी प्रोजेक्ट क्यों पास नहीं करा पाये? बिल्कुल ही नहीं हो पाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे ऐसा लगता है कि समय मेरे कोटे में कम बचा है। माननीय अध्यक्षजी,

(श्री जगदीप धनखड़)

हमारी इन्डिपेन्डेन्ट्स के प्रति मित्रता भी है, बड़े अच्छे आदमी हैं, मंत्री बनना कोई अपराध नहीं है आरोपों पर मैं जाऊंगा नहीं। किसी ने कहा कि जवांईजी की बात है तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के नेता, सदन के नेता भाग्यशाली हैं, जहां सब रिश्तेदारों का सफाया हो गया, दोनों के दामाद यहां पर उपस्थित हैं। दोनों के दामाद उपस्थित हैं क्योंकि दोनों में कैपेसिटी है। इन्स्पाइट आफ दैट मैं एक बात और निवेदन करूंगा, आप लोग चिन्तन कीजिये, आत्मा को टटोलिये, भैरोंसिंहजी बहुत अच्छे आदमी हैं परन्तु अगले चुनाव में जो उनका मंत्री रहता है उसको जनता चुनकर वापस नहीं भेजती है। मान्यवर, मैंने सदन के नेता के इन भाषणों को पढ़ा है जो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आपने दिये हैं। मैंने बड़ी गम्भीरता से पढ़ा है। जब भी यह मुख्य मंत्री बनते हैं, तीसरी बार इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है नेलसन्स आई, बिल्कुल नेल्सन की तरह अपने भाषणों को तो देखते ही नहीं हैं। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य मंत्रीजी यह बड़ा सुअवसर है, राजस्थान को विकास की आवश्यकता है, जबरदस्त संकट है, आपने राज बना लिया कैसे बना लिया उस पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाना चाहता, तीसरी बार मुख्य मंत्री बनने का सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है, मैं तो कहता हूं आप को आप कंसिस्टेंट आदमी हैं, पांच साल तो आप पूरे करोगे नहीं पहले दो बार भी नहीं किये इसलिये जितना समय है उसमें राजस्थान के विकास की ऐसी ठीक नींव लगा दो कि जब उधर हम राज करें तो आपको याद करते रहें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, यह गणित बिल्कुल स्पष्ट है। इधर की तरफ में 107 आदमी बैठे हैं और उधर की तरफ 92 हैं जो विश्वास प्राप्त करने की बात है, मैं समझता हूं, एक मात्र औपचारिकता है और केवल मात्र इस समय चर्चा करने की एक बात है। मुख्य मुद्दे से बहुत हट करके भी चर्चाएं की जा रही हैं। सवाल यह पैदा होता है कि आज जो विश्वास मत प्राप्त करने की बात है वह क्यों आयी ? उधर से भी बताया गया कि क्यों आयी परन्तु उनका कहना कुछ दूसरा था, मेरा निवेदन दूसरा है। 15 दिसम्बर को आर्टिकल 356 का जो दुरुपयोग किया गया राजस्थान के बारे में, पूरे विश्व में इसका कोई उदाहरण नहीं है। कोई कारण नहीं है कि राजस्थान की सरकार जो बहुत अच्छा कार्य कर रही थी उस समय उस राजस्थान की सरकार को भंग कर दिया जाये। संविधान के अन्दर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि कोई सरकार वित्तीय अनियमितता करती है, वित्तीय मामलों के अन्दर फेल हो जाती है या कहीं संविधान में कोई दिक्कत आ रही है, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है उसके अलावा और कोई कारण नहीं है जिस मामले में विधान सभा को भंग कर दिया जाय या सरकार को भंग कर दिया जाय। आज तक भारत सरकार नहीं बता पायी है। मैं समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट मे मामला है वहां शायद बता पाये कि क्यों इन्होंने राजस्थान सरकार को भंग किया था। यदि राजस्थान सरकार को उस समय भंग नहीं किया होता तो यह जो करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च हुए हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती और

(श्री रमाकान्त शर्मा)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार 95 तक तो यों की यों बनी रहती। परन्तु इस प्रकार से प्रजातंत्र की जो बड़ी भारी हत्या की गयी उसकी वजह से इस प्रकार की बात आयी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात बहुत साधारण बात थी। सब आदमियों को एक गणित दिखाई दे रही थी, साधारण अर्थमेटिक कि 107 इनके पास हैं, चार-चार, पांच-पांच दिन लग गये यह बात तय करने के लिए। सरकारिया कमीशन ने यह बात बहुत अच्छी तरह से अपनी रिपोर्ट में कही है कि हिन्दुस्तान में 75 से ज्यादा बार प्रान्तीय सरकारों को बिना बात भंग किया गया है। इनका कोई न कोई एक नार्म बनना चाहिए, कोई तरीका बनना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि यदि सरकार बनती है तो उस सरकार के अन्दर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इतनी सारी यहां पर बातचीत चली जिसमें चार-पांच दिन लग गये और चार-पांच दिन लगने के बाद में फिर वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात भी नहीं रही। हैड्स काउंट्स भी कर लिये गये, सामने सारे के सारे लोग खड़े हो गये फिर कह दिया गया कि विश्वास का मत प्राप्त कीजियेगा। विश्वास का मत तो सामने है, पास हो ही जायेगा। परन्तु कुछ बातें जो यहां पर कही गयीं उनके बारे में मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा। बार-बार अनेक सदस्यों ने प्रतिपक्ष की बेंच से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके पास में कौनसा गणित है। यदि वोट पर्सेण्टेज देखो जाती है तो हमारे पास में ज्यादा है वोट पर्सेण्टेज। यहां पर जितने सदस्य बैठे हैं, वह हमारे पास में ज्यादा हैं। तो दो-दो तरीके की गणित सामने मौजूद है फिर यह कहा जाय, मुझे समझ में नहीं आता कि हरेक बात यह लोग-बाग किस प्रकार से कह देते हैं। कभी तो कहते हैं कि पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये, म्यूनिसिपैल्टिी के चुनाव नहीं करवाये। अपना कार्यकाल भूल जाते हैं जब 13-13 वर्ष तक इन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये, 17 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये ...(व्यवधान) जी हां, मेरी राय पर ही आप काम करते थे तो यह दुर्भाग्य की बात है आपकी।

मैं निवेदन कर रहा था कि इन सभी बातों के बारे में जब भी कोई माननीय सदस्य बोलें तो माननीय सदस्य पहले अपने बारे में देख लें कि हम लोगों ने क्या किया था।

बिजली के बारे में चर्चा की जाती है। बिजली के बारे में यदि आप अपना सारा का सारा इतिहास देखें कब, कौनसे समय के अन्दर क्या किया। यहां बात की जा रही है धौलपुर की। माननीय शिवचरणजी माथुर यहां पर मुख्य मंत्री थे उन्होंने मांडलगढ़ का प्रस्ताव दिया था। उस समय उनकी अपनी पार्टी के ही प्रधान मंत्री थे भारत सरकार में और वह यहां पर मुख्य मंत्री थे और वह करा कर नहीं ला सके। हमारे साथ तो दिक्कत यह थी कि भारत सरकार में दूसरे लोग बैठे हुए थे, वह चाहते ही नहीं थे कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन हो। जब मगरमच्छों के नाम पर यह कह दिया जाय कि वहां चम्बल में

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मगरमच्छ मर जायेंगे इसलिए धौलपुर का पावर हाउस स्वीकृत नहीं किया जाता है परन्तु मांडलगढ़ में न तो मगरमच्छ मर रहा था और न कोई और बात थी, दिल्ली में आपकी ही सरकार थी, क्यों नहीं स्वीकृत करा पाये ? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। ....(व्यवधान).... हां, हां कोशिश तो करेंगे ही ।....(व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गयी है । पहले यद्यपि जवाब दिया गया है यहां से परन्तु मैं भी कहना चाहूंगा कि यह जो जमीनों का मामला है, जयपुर में ही नहीं, जगह-जगह हुआ है, यह सारा का सारा किसका किया हुआ है ? किसने यह कोआपरेटिव सोसायटीज रजिस्टर्ड की थीं ? किसने इतनी सारी जमीनों का कोआपरेटिव सोसायटी के द्वारा हड़पने का प्रोग्राम दिलाया था ? माननीय भैरोंसिंहजी राज में आये तो उन्होंने आते-आते ही कहा था कि भाई, 2 हजार करोड़ रुपये का ....(व्यवधान) ...

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : यह कांग्रेस की बदौलत ही आप यहां आज बोल रहे हो, यह भूल गये । ....(व्यवधान).... तो पहले तो आपने आई.ए.एस. की मौज ली, लोगों का गला घोटा और आज यहां प्यार से बोल रहे हो ।

श्री रमाकान्त : आप जाने कहां-कहां का गला घोट आये । मैं आई.ए.एस. रहा इससे इस बात का क्या लेना देना । आई.ए.एस. रहने से कोई मतलब रहता है क्या इसका । म्यूनिसिपैलिटी का सत्यानाश कर आये आप गंगानगर में सारा का सारा ।

श्री अध्यक्ष : रमाकान्तजी, यह हम सब का दुर्भाग्य है कि आई.ए.एस. तो एम.एल.ए. बन सकता है मगर एम.एल.ए आई.ए.एस. नहीं बन सकता ।

श्री रमाकान्त शर्मा : दुर्भाग्य नहीं, साहब इसमें बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता है । वहां पर एक लाख आदमी से काम्पीट करना पड़ता है तब जाकर आई.ए.एस. बन सकते हैं मगर यह चीज दूसरी है । यह बात जरूर है ....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, एम.एल ए. आई.ए एस. का बोस बन सकता है ।

श्री रमाकान्त शर्मा : नहीं, यह बात नहीं है । वहां मनुष्य अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी चतुरता से काम्पीट करके आई.ए.एस. बन सकता है, यहां पर जनता बनाती है । यहां पर सीधी बात है, आप चाहे रात-दिन कितनी ही मेहनत करें, कुछ भी करें, एम.एल.ए. नहीं बन सकते । यदि आपकी जनता आपको एम.एल.ए. बनाना चाहती है तो आपको एम.एल.ए. बना सकती है । अब जनता ने मुझे एम.एल ए. बनाया है तो राधेश्यामजी को पता नहीं क्या परेशानी आ रही है । तो मैं पहले चाहे आई ए.एस. था या कुछ भी था.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सिफारिश से आये हैं ये । आई ए.एस. पास करके नहीं आये ।

श्री परसराम मदेरणा : डायरेक्ट रिक्रूटमेण्ट से सलेक्ट हुए हैं या प्रमोशन कोटा में ?

श्री रमाकान्त शर्मा : जिससे भी मैं सलेक्ट हुआ उस सलेक्शन के अन्दर भी काम्पीटिशन है। मैं उस कोटे में सलेक्ट हुआ हूं जो बहुत ही स्पेशल है, जिसके अन्दर बहुत ही ब्रिलियण्ट आफिसर्स सिविल सर्विसेज के है। उस सलेक्शन के अन्दर सलेक्ट हुआ हूं। ....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : काम्पीटिशन बहुत बढ़िया रहा है। ....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह(महुआ): Competition, with the mercy of the boss.

श्री रमाकान्त शर्मा : यस । आपको जिस चीज का पता ही नहीं है, आप काहे को इस चक्कर में पड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दल बदल की ओर यह सब बातें बेकार एक तरह से कहने की बातें हैं। आप खुद देखें कि आज अजीत सिंहजी से दल बदलवा करके भारत सरकार के अन्दर; पार्लियामेण्ट में क्या हुआ। बहुत स्पष्ट बात है।

अन्त में मैं वही बात निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर बहुमत है, प्रजातांत्रिक तरीके से है और माननीय भैरोंसिंहजी के पुराने जितने कार्यकाल हैं उनके अन्दर बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जनता सारी की सारी प्रसन्न है, जनता ने सब को बहुमत से यहां भेजा है इसलिए इनको विश्वास का मत मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब थोड़ा सा अन्य मुद्दा है। आप भाषणों से अघाह गये हैं, थोड़ा अब विषयान्तर कर लें। कार्य संचालन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन(मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत(वल्लभ नगर): केवल रखने के लिए प्रस्ताव किया है, प्रतिवेदन तो प्रस्तुत ही नहीं किया। पहले प्रतिवेदन तो पढ़ कर सुनायें। ....(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : हां, पढ़ कर सुना देते हैं। प्रतिवेदन सुनाइये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह प्रतिवेदन तो पढ़ कर सुनायें।

श्री अध्यक्ष : यह मान कर चलते हैं कि आपको पता है सब को। ....(व्यवधान)..

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो कागजी प्रक्रिया है वह तो पूरी करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : हां, आप पढ़िये। पढ़िये पूरा।

श्री महावीर प्रसाद जैन(मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं, कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 को मध्याह्न पूर्व 11.50 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 7 जनवरी, 1994 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :–

शनिवार, दिनांक 1 जनवरी, 1994
रविवार, दिनांक 2 जनवरी, 1994
सोमवार, दिनांक 3 जनवरी, 1994

बैठक नहीं होगी।

मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी, 1994
बुधवार, दिनांक 5 जनवरी, 1994
गुरूवार, दिनांक 6 जनवरी, 1994

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्य वाद–विवाद

शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी, 1994

1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समान्य वाद-विवाद एवं उस पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर

2.(क) राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (सशोधन) विधेयक, 1994;

(ख) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994, एवं

(ग) राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994,

—पर विचार एवं पारण।

3.(क) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1993-94 (प्रथम संकलन) एवं

(ख) वर्ष 1985–86 के लिए अतिरिक्त मांगें,

—तत्संबंधी विनियोग विधेयकों पर विचार एवं पारण

4. संविधान (77 वां संशोधन) विधेयक, 1992 का अनुसमर्थन

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री फतेहसिंहजी, आप बोलिये।

विश्वास प्रस्ताव
नियम 132 का के तहत मंत्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए स्वयं सरकार ने प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर कई तरह की पक्ष–विपक्ष में चर्चाएं हुईं, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगे। मैं किसी के विरोध में या पक्ष में नहीं बोल रहा हूं।

(श्री फतेहसिंह)

में विरोधी हूं, जनता दल की ओर से मैं विपक्ष के नाते बोल रहा हूं कि राजस्थान विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला यह बात तो सच है लेकिन ऐसी कई प्रक्रियाएं और कई अड़चनें हैं कि उतने बहुमत से वह सरकार को नहीं चला सकती और अगर चलाती है तो कई तरह के बिल आयेंगे, वह गिर जायेगी। सरकार गिरेगी, यानि आज की कोई नयी बात नहीं है। मैं कांग्रेस की तरफ ना बोलकर इनकी तरफ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बीच में बोल रहा हूं कि यह परम्पराएं रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप खड़े भी बिलकुल बीच में है।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : और जनता दल पिसा हुआ है, यह भी आप जानते हैं। पिछली बार की कई परम्पराएं रही हैं, एक बार मोहनलाल सुखाड़िया एक मत से सरकार नहीं बना रहे थे उस मौके पर गोलियां चली थीं और उस समय भी सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। तो यह कह देना कि आज बी. जे. पी. ने सरकार गलत तरीके से बना ली या पिछली सरकारों ने अपनी ईमानदारी के साथ सरकारें बनायी यह कोई बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस देश या इस प्रान्त की जनता ने स्पष्ट बहुमत अब तक किसी को दिया नहीं है। इमरजेंसी के बाद में जब यह पार्टियां बनी, पार्टियां बनने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी यानि लोक दल और जितने भी घटक थे, जनता पार्टी के रूप में उभरे। उस समय जनता ने एक तरफा फैसला दिया था। लेकिन उसके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि उस समय भी यह घटकवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई की सरकार को तोड़ा, यह बात सही है। जब वह सरकार टूटी है और बाद में कांग्रेस की हुकूमत आयी, उसके बाद में फिर बदलाव आया। अचानक उस समय यह जनता दल के नाम से एक पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर के पिछला चुनाव लड़ा और अपनी एक पॉलिसी, नीति निर्धारित की थी कि हम इन-इन मुद्दों के ऊपर सरकार में सम्मिलित होंगे और सरकार को चलायेंगे। लेकिन चक्कर यह पड़ा, जब वी. पी. सिंह की सरकार ने केन्द्र में मंडल कमीशन लागू करने की बात कही, कई तरह के पुराने कर्जे खारिज किये, आरक्षण की बात सामने आयी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो समर्थन दे रखा था, उसने यह सोचा कि अगर वी. पी. सिंह की सरकार चलती रही तो अगले चुनाव में सारा श्रेय उनको मिलेगा, जनता उनकी तरफ जायेगी, यह मानते हुए उसने एक रथ यात्रा शुरू की और फिर अडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया इसलिए कि उनकी सुरक्षा की जाय, तो अडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद उसने समर्थन दिल्ली में वापस लिया।

एक माननीय सदस्य : अडवाणी जी बोलें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री फतेहसिंह : जो भी मैं कह रहा हूं, उसने समर्थन वापस लिया। वापस लेने के बाद वी. पी. सिंह की सरकार अल्पमत

(श्री फतेहसिंह)

में आयी। बीच में आप बता गये कि कांग्रेस की साठ-गांठ से चन्द्रशेखर ने भी सरकार बनायी। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जनता दल की सरकार का, जनता पार्टी की सरकार, का कांग्रेस और बी. जे. पी., दोनों ने अपना षड्‌यन्त्र रचकर खात्मा किया। जनता यह जानती है कि सारे नेताओं को उधर-उधर भटका दिया। एक-दूसरे के लालच में आकर वह इधर-उधर फंस गये और दुबारा जब चुनाव मैदान में आये, जनता के सामने तो जनता ने उनको दिखा दिया। यह भी क्लियर कट नक्शा है। तो हम मानते हैं, जनता के सामने अगर कोई नेता धोखा करता है, या जनता के सामने हमने कोई प्रोग्राम दिया है, कोई नीति निर्धारित करके उनके साथ हमने वोट के लिए वादा किया है उससे हम सरकार में आने के बाद मुकरते हैं, तो अगली बार जनता उनको बख्शेगी नहीं। मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि सरकार तो विश्वास मत प्राप्त कर लेगी, जो विपक्ष में हैं वह अपना विपक्ष में मत देगा पर बाद में सरकार कितने दिन चलेगी यह मैं नहीं कह सकता। यह निर्दलीय जितने भी लोग हैं, निर्दलीय अगर टिककर रहेंगे, आपके साथ, आपकी सरकार के साथ, तो यह सरकार चलेगी। हालांकि सब दुःखी हैं, कांग्रेस भी दुःखी है, निर्दलीय भी दुःखी हैं और बी. जे. पी. की सरकार में जो लोग बैठे हैं, वह भी दुःखी हैं। दुःखी इसलिए हैं कि पांच साल सरकार नहीं चलेगी, जो उम्मीदवार चुनाव जीतकर आया है, जनता के सामने उसने जो वादे किये हैं, उन वादों को पूरा नहीं कर पायेगा। हमारे जैसे गरीब आदिवासी इलाके के लोग आते हैं, उनका खर्चा ही महंगा पड़ता है और वह अपनी मजबूरियों से कहीं न कहीं भटक जाते हैं। हालांकि हम भटकने वालों में से नहीं हैं, हम अपने को अपनी नैतिकता से ऊपर रखेंगे, यह तो मैं कह सकता हूं। अगर यह निर्दलीय पांच साल टिककर रहेंगे, तो यह सरकार चलेगी और कुछ यह लालच लेकर इधर वाले खेमें में बैठेंगे तो यह सरकार टूटेगी। यह भी नहीं चल पायेगी और वह भी नहीं चल पायेगी और दो-ढाई साल में यह चुनाव वापस आयेंगे। बार-बार जनता के ऊपर भार आयेगा। इसलिए मैं तो इस मौके पर किसी का समर्थन नहीं कर सकता....

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : हम सबकी भलाई का काम करेंगे, पांच साल चलाने के लिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री फतेहसिंह : लेकिन मैं तो जो असली बात है वह कहने जा रहा हूं। पिछले टाइम में कांग्रेस की हुकूमत रही है तो भी हमारे इलाके में पक्षपात किया है। हरिदेव जोशी जी मुख्य मन्त्री थे। बांसवाड़ा जिला आदिवासी इलाका है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, गुजरात-मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। यह मैं भैरोंसिंह जी के सामने तारीफ करना चाहता हूं मैं उनके साथ या और वहां पर कालेज खोला है। मैं उसके लिए तो विरोध करना नहीं चाहता। कांग्रेस के जमाने में और आज के जमाने में कुछ विकास हुए हैं लेकिन जो काम गरीबों के हित में होने चाहिये थे, एक सूखे एरिया को जिन्दा करना था,

(श्री फतेहसिंह)

उस इलाके के आदिवासियों की माली हालत को सुदृढ़ करना था वह न तो कांग्रेस हुकूमत ने की है और न आपने की है। लेकिन मैं आगे यह उम्मीद कर सकता हूं और आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस प्रान्त के अन्दर जो विकास करने के लिए आप जा रहे हैं, हम भी उस इलाके के सदस्य हैं और यहां पर उस क्षेत्र की आवाज को बुलन्द करेंगे, और दलों के नेता पूरे प्रदेश की बात को भी आपके सामने रखेंगे परन्तु विशेष तौर पर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस इलाके के अन्दर एक मास्टर प्लान के रूप में कोई विकास के कार्य हाथ में लिये जायें उस सूखी धरती को जिन्दा किया जाय तब जाकर उस इलाके के आदिवासी हरिजन लोग गुजरात और मध्य प्रदेश के अन्दर नहीं जायेंगे और वे अपना पेट भरकर रोटी खायेंगे। मैं समर्थन देने की स्थिति में तो नहीं हूं, मैं विरोध में हूं इसलिए इस प्रस्ताव का तो मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री जी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो रोल आज तक रहा है, जो इनकी पहले की भूतपूर्व पार्टी थी, जिस जनसंघ में नेता स्वयं शामिल थे। उसकी कथनी और करनी में फर्क है। जो नारा दिया करते थे कि देश धर्म का नाता है गऊ हमारी माता है उन्हीं के राज में पिछले तीन साल में राजस्थान की वह गाय जिसको ये माता कहते थे, जो दूध पिलाती है, जर-जर होकर भूखी मरती रही, आप यहां सरकार में रहे लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं किया।

इसी तरह से मान और मर्यादाओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहती है प्रजातन्त्र है। जिस संविधान की हमने शपथ ली है ने उस संविधान के तोड़ने के कारण माननीय मुख्य मन्त्री जी की सरकार को दिसम्बर में गिराया गया था। वह इसलिए गिराया गया था कि जो हिन्दुस्तान का संविधान है उसकी अवहेलना की। अयोध्या में जो काण्ड हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री ने हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च संसद में जो हलफनामा दिया था उसको उन्होंने तोड़ा। उसके कारण सरकार गिरी है। निश्चित रूप से कथनी और करनी में फर्क है।

मान और मर्यादाओं की बात यह करते हैं, गणित की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जहां 10 निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन भैरोंसिंह जी को दिया उनमें से 8 मन्त्री बनाये जाते हैं, अगर उसी रेश्यों से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मन्त्री बनाया जाय तो इस राजस्थान की सरकार में 84 मन्त्री होते। तो यह हो नहीं सकता। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, के मंत्रिमण्डल के सदस्य खुद यह बात स्वीकार करते हैं कि माननीय सदस्य ने मेरे को एक करोड़ रु देने की बात की तो स्वयं सिद्ध होता है कि इससे बड़ा लालच माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उनको दिया है इसी

(श्री अमराराम)

के कारण से उन्होंने समर्थन किया है। यह बात स्वयं सिद्ध है।

मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता, सरकार बनाने के अन्दर जिन नीतियों और एकता की बात, राजस्थान के विकास की बात, किसान की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 86 के किसान आन्दोलन में राजस्थान के उन किसानों के साथ कोई सबसे बड़ी गद्दारी करने वाली पार्टी थी तो वह भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस के राज में नाजायज वृद्धि के खिलाफ राजस्थान का किसान लड़ रहा था और इनके नेतृत्व में जेल गया या उन्होंने जेल नहीं छोड़ी उसके बावजूद इन्होंने जगह-जगह जाकर जेलों से लोगों को निकलवाया।

जो हामी भरते थे कि बिजली का बिल राजस्थान के किसानों का गलत बढ़ाया गया है, पिछली सरकार में इन्होने एक दफा नहीं, ढाई साल में तीन दफा बिजली का टैक्स बढ़ाकर राजस्थान के किसान को तबाह किया और अपशगुन तो यह है कि ज्यों ही राजस्थान की सरकार ने शपथ ली है, पूरा राजस्थान का वह ग्रामीण इलाका पूरे अंधेरे में डूब गया और आज पूरे राजस्थान के किसानों को एक घन्टे भी बिजली नहीं मिलती। यह किसान की बात करते हैं। राजस्थान के उद्योगों को 24 घन्टे बिजली मिले और किसान को 8 घन्टे के आदेश की बजाय सरकार बनते ही 5 घन्टे का आदेश देते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि वह किसान के पक्ष में है या जिसको 24 घंटे देती है उसके पक्ष में है। 1983 से लेकर आज 93 तक जो पैंडिंग में हैं, स्वयं मुख्य मन्त्री मानते हैं कि लाखों की संख्या में किसान बिजली चाहते हैं। किसने बिजली नहीं दी ? जो सरकारें चलाते हैं। मैं 28 तारीख से यहां हूं, मैंने पांच मिनट भी इस जयपुर राजधानी के अन्दर बिजली गयी हुई नहीं देखी और गांव के अन्दर 24 घन्टे में कभी बिजली आयी हुई नहीं देखी। अगर उन किसानों के पक्ष में यह सरकार है तो क्या कारण है कि आज तक विकास नहीं हुआ।

जो साम्प्रदायिक नीति थी जिसके कारण राजस्थान में भाईचारा था इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ चाहे वह जयपुर हो, चाहे वह कोटा हो, चाहे कोई और हो। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उद्धृत किया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ट ट्राइब्स हमारे साथ हैं। इनके राज में कुम्हेर जैसे काण्ड हों जहां गरीबों को जिन्दा जलाया जाये और मुख्य मन्त्री महोदय यह सरकार चलाते रहें, नाथद्वारा जैसे काण्ड हों जहां आज भी गरीबों को गांव के सार्वजनिक कुंए से पानी नहीं भरने दिया जाये वहां यह कहें कि हमारे साथ वे लोग हैं। सबसे ज्यादा कोई मारने वाले लोग हैं तो यह हैं। जो साम्प्रायिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही हैं। उससे देश और प्रदेश के भाईचारे को नुकसान पहुंचा है इसके कारण मैं चाहता हूं और मेरा दल चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास का मत है वह गिरना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने मुझ पर जो आरोप लगाया है....

श्री अध्यक्ष : यहां कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री रोहिताश्व : मैं यह कहना चाहता हूं कि वे भी कहीं न कहीं मिले हुए हैं जिसके कारण वे विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी मासूमियत से एक आधी लाईन का प्रस्ताव पेश कर दिया और सदन से कहा, याचना की कि मेरे मंत्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करो।

अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पाया कि किस दल का मंत्रिमण्डल है। मैं मानता हूं कि नौ दलों का यह मंत्रिमण्डल है। अभी माननीय सदस्या कह रही थी कि हम निर्दलीय अपने बलबूते पर जीतकर आये हैं। सही कह रही थीं वहां हर केन्डीडेट ने, जो यहां जीतकर आया है, अपने अपने वादे, अपनी अपनी व्याख्याएं और अपना अपना चुनाव घोषणा पत्र लोगों को दिया है। तो आठ दल तो उनके हो गये और एक दल बी.जे.पी का हो गया इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दल में विश्वास व्यक्त करें।

अध्यक्ष जी, विश्वास व्यक्त करने की बात जब आती हैं, सोचते भी हैं, सोचना चाहिए भी, लेकिन राजस्थान की जनता का चेहरा हमारे सामने आता है। राजस्थान की जनता ने बी.जे.पी. को बिलकुल सही रूप से और टोटली रिजेक्ट कर दिया। इस राजस्थान का राज करने के योग्य उन्होंने उसको नहीं माना। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि कितना पर्सेण्ट मिला लेकिन स्पष्ट है इस राजस्थान की जनता बी.जे.पी. को राज करने का अधिकारी मानती तो 95 पर इनको स्टॉप नहीं कर देती, 101 देती। लेकिन यह समझा राजस्थान की जनता ने कि यदि बी.जे.पी. के हाथ में राज जाता है तो राजस्थान का सत्यानाश हो जायेगा। और यह राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं की बात कह रहा हूं। यदि आज इस सरकार को विश्वास मत दिया जाये तो मेरी मान्यता है कि राजस्थान की जनता और समूचे भारत की जनता की भावनाओं का अपमान होगा।

आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश की बात ज्यादा करते हैं, कांग्रेस की भी बात करते हैं, मैं यह कहना चाहता हू, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने प्रचण्ड बहुमत से पिछली बार राज किया था, सदस्य आये थे, वहां आपको क्या औकात नहीं दिखा दी आपको ? हिमाचल में क्या हुआ और मध्य प्रदेश में आपकी क्या गत हुई ? राजस्थान में थोड़ा बच इसलिए गये कि आपको स्वच्छन्द रूप से यहां काम करने का पूरा अवसर नहीं मिला था क्योंकि देवीलालजी की पार्टी, जनता दल, आधे पाप की भागीदार बनी हुई थी। पूरे पाप के भागीदार आप नहीं बने थे, इसलिए थोड़ा बहुत बच गये आप और आज भी खैरियत है आपकी, गनीमत है, दूसरों को अपने अपने पाप का भागीदार

(श्री शिवनाथसिंह)

बनाने के लिए साथ में रख छोड़ा है। मैं, अध्यक्षजी निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वास की बात नहीं है यदि मुख्य मंत्रीजी यह कहते कि मुझे थोड़ा समय और काम करने के लिए दिया जाये तो सोच सकते थे। विश्वास तो किसी भी सूरत में हम आपके मन्त्रिमण्डल में व्यक्त नहीं कर सकते। थोड़ा समय जरूर मिल जायेगा आपको, और मिलने के बाद में कब यह सरकार आपकी गिरे, यह आपके ऊपर निर्भर है। आपके ऊपर ही नहीं हैं, आप सदन का विश्वास बाद में लीजिए, अपनी पार्टी का विश्वास पहले लीजिए। आपकी पार्टी में इतनी उथल-पुथल मची हुई है, इतनी पीड़ा मची हुई है उनका विश्वास आप लीजिए उसके बाद में सदन के सामने आप आइए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, उथल-पुथल नहीं, कोहराम मचा हुआ है। यह हमारे खेतसिंह जी कह रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है। मैं, अध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहूंगा इस राजस्थान को अच्छा शासन चाहिए, विकास की गति आगे बढ़े यह चाहिए। पिछला जो शासन भारतीय जनता पार्टी का यहां रहा है उसकी गत उलटी हुई है। ये जनतंत्र की दुहाई देने वाले, आज जैसे पंचायत राज के लिए कहा गया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का एक दुर्व्यवहार, जिस प्रकार का एक दण्ड इस राजस्थान की ग्रामीण जनता को माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार ने दिया है, ऐसा दण्ड, ऐसा अपमान राजस्थान की ग्रामीण जनता का कभी नहीं हुआ है आप कहते हैं 13 साल से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, 17 साल तक नहीं हुए। मैं मानता हूं इस बात को, नहीं हुए। लेकिन हमने उन चुनी हुई संस्थाओं को भंग नहीं किया उन चुनी हुई संस्थाओं को काम करने दिया आपने क्या किया? एक ग्राम सेवक था आपने उस ग्राम सेवक को तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच गांवों का मालिक बना दिया और उसके माध्यम से आप कहते हो कि विकास के काम होंगे यह सम्भव नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में जो निर्दलीय माननीय सदस्य आये हैं उनकी काफी चर्चा रही दिन भर। किसी ने किसी रूप में तो किसी ने किसी रूप में कहा। मैं सदन के दोनों ही पक्षों से निवेदन करना चाहूंगा, आंधी चली है इससे आंख मत मीचिए। आपके राजस्थान में 200 में से 21 निर्दलीय सदस्य चुनकर आये हैं यदि हम भारत के पूर्वी हिस्सों में जायें, पूर्वांचल के जो चुनाव परिणाम आये हैं, 25 प्रतिशत निर्दलीय सदस्य वहां आये हैं। तो इस हिन्दुस्तान की राजनीति, हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र एक नयी करवट ले रहा है, आप इससे अनभिज्ञ मत रहिये और उनका इस प्रकार से मजाक मत उड़ाइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम भी बिल्कुल चुने हुए और आपकी हैसियत के, आपके बराबर के साथी यहां आये हैं। आज कोई बी.जे.पी. का साथ देता है, कोई कांग्रेस का साथ देता है तो मेरे ख्याल से हम पूरे कांग्रेसी हैं, और वो पूरे बी.जे.पी. के हैं। आज इस निर्दलीय के नाम से जिस प्रकार के लांछन लगाये जाते हैं, एक भाई तो स्वीकार करते हैं कि मुझे एक करोड़ रुपये देने की बात कही, मैं डॉक्टर साहब से कहना

(श्री शिवनाथसिंह)

चाहूंगा कि इस प्रकार की बात आपके नेता से पूछकर आपने कही है या अपने हिसाब से कही है या किस तरह से कही है, यह आपका भी अपमान मानता हूं और हमारा सबका अपमान मानता हूं। इस प्रकार की बात हमें यहां सदन में नहीं कहनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ...

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात): सच्ची बात कहने में आपको बुरा लगा जब आपने पूछा तो मैंने कह दी। वो स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अन्त में इतना ही निवेदन करना करना चाहूंगा, माननीय भैरोंसिह जी, आपके मन्त्रिमण्डल में विश्वास तो व्यक्त नहीं हो सकता किन्तु यह सदन उदार होकर आपको कुछ काल, कुछ समय काम करने का और दे सकता है उसको आप उसी रूप में लीजिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन के नेता महोदय का वक्तव्य समाप्त होने तक के लिए सदन की आज की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आज की कार्यवाही समाप्त होने तक का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है। क्या सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

विश्वास प्रस्ताव
नियम 132 का के तहत मंत्री परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले विपक्ष के नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में हमारा बहुमत स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने भाषण का प्रारम्भ यह कहकर किया कि हमारा फारमिडेबल अपोजिशन है अपोजिशन की स्थिति उन्होंने स्वीकार कर ली। मैं समझता हूं कि सही बात को स्वीकार करने के पश्चात् इस विश्वास के प्रस्ताव पर अधिक भाषण की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे अफसोस हुआ इस बात को सुनकर कि उन्होंने नैतिकता का प्रश्न उठाया विपक्ष के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि राजस्थान में लार्जेस्ट सिंगल मैजोरिटी पार्टी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाये। यह सिद्धान्त भी इस आधार पर था कि आज के पहले सन् 1967 में उस समय के राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्दजी ने इस बात की व्यवस्था स्वीकार की थी कि मैं केवल उसी पार्टी को सरकार बनाने के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिए आमन्त्रित करूंगा जिस सरकार के पास अपने दल का बहुमत है और उस दल का लार्जेस्ट सिंगल मैजोरिटी पार्टी के अनुसार बहुमत है। वह एक सिद्धान्त था हालांकि उस समय विपक्ष का बहुमत था, उसमें कई निर्दलीय सदस्य शामिल थे और यदि बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का प्रश्न आता तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को निमन्त्रित नहीं किया जाता, विपक्ष को सरकार बनाने के लिए कहा जाता। (व्यवधान).

श्री खेतसिंह राठौड़ : डेथ हो गयी थी उस रात। आपने दिल्ली जाकर फोटो उतरवायी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह बाद में हुई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रात को आप वहां विराजे उसी रात को उनका स्वर्गवास हो गया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की जानकारी है कि यहां पर सरकार बनाने का निमन्त्रण देने के पश्चात् सारे विपक्ष के सदस्य गृह मन्त्री श्री यशवन्तराव चव्हाण से मिले और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से मिले और मिलकर उनको यह बताया कि संख्या हमारे पास ज्यादा है और जहां ज्यादा संख्या है, उनको सरकार बनाने का निमन्त्रण मिलना चाहिए। उसके पहले ही सरकार बना दी गयी थी। (व्यवधान) उसके पहले ही सरकार बनाली उसके विरोध में हम दिल्ली गये। खेतसिंहजी, उम्र तो मेरी भी बढ़ रही है लेकिन कुछ याददाश्त का सम्बन्ध उम्र से जुड़ा हुआ है।....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बराबर ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बराबर है लेकिन आपने तो अभी यह प्रमाणित कर दिया कि आपकी उम्र में धीरे धीरे भूल आती जा रही है। कुछ सत्ता से बाहर रहने के बाद वह भी थोड़ी परेशानी है और विधान सभा में नौ वर्ष के बाद में आये हैं तो नौ वर्ष के बाद में भी थोड़ी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है इसलिये उस कमजोर स्थिति में कोई बीच में हस्तक्षेप करें तो पहले गुलाबसिंहजी से पूछ लिया जाय, वह आपकी उम्र से कम हैं उनकी स्मरण शक्ति आप जितनी अधिक खराब नहीं हुई है।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय का सिद्धान्त लागू करने की बात थी। उसके बाद में किन्हीं माननीय सदस्य ने यहां जिक्र किया था कि इन राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच में किस प्रकार के सम्बन्ध रहें, संविधान का इंटरप्रिटेशन कई मामलों में किस प्रकार से किया जाय उस दृष्टि से भारत सरकार ने सरकारिया कमीशन नियुक्त किया। सरकारिया कमीशन ने अपना प्रतिवेदन दिया। इस प्रतिवेदन में एक जगह यह उल्लेख आया है कि इस प्रकार की स्थिति बने तो बहुमत वाली जो पार्टी है उसके साथ यदि बाकी के लोगों का समर्थन है तो उस समर्थन को वेरिफाई करने के बाद और बहुमत सिद्ध होने के बाद उस पार्टी को आमंत्रित किया जाय कि वह पार्टी सरकार बनाये। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि नैतिकता का प्रश्न

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

इसमें कहां से आया? हमने जब 95 सदस्यों की सूची राज्यपाल महोदय को दी, मैं, वाजपेयीजी और जसवंतसिहजी, तीनों मिलने के लिये गये तो गवर्नर साहब ने यह कहा कि मेरे पास कांग्रेस के 102 सदस्यों का क्लेम आया है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस जीती तो है 76 सीटों पर, यह 102 कहां से आ गये? और 102 में ज्यादा वो ही थे जो निर्दलीय सदस्य हैं बाकी के दलों के भी नाम दे दिये। तो इसका मतलब यह है कि जिन निर्दलीय सदस्यों की आज आप आलोचना कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर आप सरकार बनाना चाहते थे। आज जब उनके आधार पर सरकार बनाना चाहते थे यदि उन लोगों ने मेरी सरकार को समर्थन दे दिया तो आपको आपत्ति किस बात की है? किस बात की आपत्ति है?

एक माननीय सदस्य: आदमी तो हमारे ही थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत: यह और भी खुशी की बात है कि जो आपके आदमी थे उन्होंने आप में विश्वास नहीं किया, मुझमें विश्वास किया। इसलिये आज कोई नैतिकता का प्रश्न इस सम्बन्ध में उठाना चाहे तो उसकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये। आपने पूरी तरह से प्रयत्न किया पूरी तरह से प्रयत्न करके जब आप परास्त हो गये तब आपके सामने किसी प्रकार की स्थिति नहीं रही। आपने देखा कि इनके साथ तो बहुमत हो गया। अब बहुमत होने के बाद में आप कहते हैं, और कोई माननीय सदस्य बोलता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन विपक्ष के नेता कहते हैं खरीद-फरोख्त की। किसी के आचरण के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना आपको शोभा नहीं देता। खरीद फरोख्त की गयी तो आपको हाउस में कहना चाहिये, किस मैम्बर को कितने में खरीदा, किस आधार पर खरीदा....

एक माननीय सदस्य: मंत्री बना दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत: देखिये, आप इसको सीरियसली लीजिये। खरीदा, खरीद फरोख्त की मैं तो उस समय भी आपत्ति करने वाला था लेकिन मैंने कहा विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, एक बात को मैं सुधार देऊंगा तो वह आगे गलतियां नहीं करेंगे। इसलिये मैंने चाहा कि वह लगातार इस प्रकार की गलतियां करते रहें। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त के आधार पर सरकार बनायी गयी। आपने 102 सदस्यों की जो सूची दी थी उस समय आपने क्या विचार किया था.. (व्यवधान).... मेरी सुन लीजिये। 102 सदस्यों की सूची दी और मैं आज आपको कहूं कि आपने भी खरीद फरोख्त के आधार पर यह सूची बनायी थी तो मेरे लिये उचित नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य, जैसे आखिरी वक्ता शिवनाथ सिंह जी ने कहा है, निर्दलीय जीते हों, चाहे किसी दल से जीते हों, आखिर जनता के समर्थन से यहां आये हैं और उनके ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना कि वह खरीद फरोख्त के आधार पर सरकार में शामिल हुए हैं, यह विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं, अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहना चाहूंगा, आज कहा कि जनादेश नहीं है। अब यह जनादेश की क्या रूपरेखा है? कांग्रेस पार्टी को 76 सीटें मिलीं, हमको 95 सीटें मिलीं। यह सही है कि पूरा बहुमत नहीं है। मैं मानता हूं कि 100 से ऊपर जब सीटें आतीं तो यह कहा जा सकता था कि पूरा बहुमत आ गया। लेकिन 95 सीटें आयीं। तो आप यह मान कर चलें कि जिस पार्टी के अन्दर 95 सीटें आयी हैं और कांग्रेस की केवल 76 सीटें रह गयीं, उस पार्टी के ऊपर यह भी उत्तरदायित्व आता है कि जिस प्रकार का जनादेश मिला है उस जनादेश के आधार पर 95 सीटें प्राप्त करने वाली सरकार शासन चलाये और उस आधार पर शासन चलाने की बात आयी।

अब मेरे सामने सब से मोटा प्रश्न है, खेतसिंह जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। आप ही से, विद्वान है। मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार मैं नहीं बनाता और निर्दलीय मेरे साथ नहीं आते तो राजस्थान में दुबारा चुनाव होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था और यदि राजस्थान की जनता पर इस समय चुनाव थोपे जाते तो 22 करोड़ के लगभग चुनाव पर खर्चा सरकार का हुआ है, करोड़ों रुपया जनता का खर्च हुआ है वह सरकार इस चुनाव के चक्रव्यूह में फंसी रहती, जनता इस चुनाव के चक्रव्यूह में फंसी रहती और हिन्दुस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं आती, राष्ट्रपति का शासन फिर लागू होता। फिर 6 महीने, 8 महीने निकलते, लोकतन्त्र की हत्या होती और हत्या होने के बाद में पुन: चुनाव होते और फिर कई माननीय सदस्य जो बुढ़ापे में चुनाव लड़ कर आये हैं वह मतदाताओं के सामने यह कह कर आये हैं कि दुबारा वोट लेने के लिये नहीं आयेंगे। अब, अध्यक्ष महोदय, मैंने उन लोगों को बचा लिया तो कोई अन्याय नहीं किया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सारी इस व्यवस्था में एक बात का विचार करना पड़ेगा कि चुनाव कराने के लिये न राजस्थान की जनता तैयार है, न चुने हुए विधायक तैयार हैं और उन सारी बातों से बचने के लिये सरकार बनाने का दायित्व जनता ने मेरे ऊपर डाला। मुझे इस बात का अभिमान है और उस अभिमान के साथ मैं कह सकता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने मेरा समर्थन दिया वह भी जनता को इस भावना को समझते थे और भावनाओं को समझ कर इस सरकार के बनाने में योगदान किया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर कई मामलों की चर्चा उठायी गयी। यहां बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, विकास नहीं हो रहा है, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आपने अपने सारे चुनाव अभियान में 5 बातें कहीं। एक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, विकास के काम ठप्प हो गये, एक किलोवाट बिजली का जनरेशन नहीं हुआ। यह सब बातें कहते-कहते आपने कहा और हमने भी हमारी सरकार ने क्या परफारमेंस दी है उस परफारमेंस को जनता के सामने रखा। आपने उसमें यह भी कहा था कि स्कूल बन्द हुए। आज जो आप भाषण दे रहे हैं कोई नया भाषण नहीं है। भाषण वही दे रहे हैं जो लगातार एक महीने आपने जनता के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अन्दर दिये। और उन भाषणों का परिणाम क्या निकला ? आप 76 पर आ गये और हम 95 पर आ गये। आपने जो जनता में बात कही कि इस सरकार ने कोई परफारमेंस नहीं दिखायी, इस सरकार ने कोई विकास के काम नहीं किये, इस सरकार ने पंचायत के चुनाव नहीं कराये, इस सरकार ने खुले हुए स्कूल बन्द कर दिये, इस सरकार ने एक किलोवाट बिजली पैदा नहीं की, जनता ने आपके इस घोषणा पत्र को अस्वीकार किया और अस्वीकार करने के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी की परफारमेंस को स्वीकार करते हुए 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं समझता हूं कि सरकार बन गई इससे आपको बड़ा दर्द है। दर्द होना स्वाभाविक है और मैं आपके प्रति सहानुभूति भी प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता जो कांग्रेस के माननीय सदस्य आपस में कहते हैं। जैसे कमला जी अभी कह गयीं कि हम हमारी गलतियों से हार गये।। मोदीजी भी यह बात कह गये। लेकिन आप स्पष्ट बात नहीं कह रहे। मैं आपकी बात का थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहता हूं। आप यह कहना चाहते थे कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को चुनाव में खड़ा किया। आपने भाषणों में बाहर तो कहा लेकिन सदन में भी विष्णु मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने साहस किया और धनखड़जी ने भी कहा, मैं इनकी भी तारीफ करना चाहूंगा। आखिर यह सदन है जहां पर कभी-कभी मौका मिलता है बोलने का और उस समय भी आप किसी चीज को छिपा लें, यह उचित नहीं है।

यहां पर आपने मंत्रियों का जिक्र किया कि राजस्थान में कई मंत्री हार गये। कई मंत्री हार गये, मैं मानता हूं कि जनता ने उनको हराया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बूटासिंह जी के लड़के जीत गये ? क्या राजेश पायलट की पत्नी....

एक माननीय सदस्य : हमारी सरकार नहीं बनी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या राजेश पायलट की पत्नी जीत गयी ? क्या बलराम जी के रिश्तेदार जीत गये ? क्या अबरार अहमद की पत्नी जीत गयी ? क्या देवपुरा जी और पहाड़िया जी जीत गये ? क्या जोशीजी के पुत्र जीत गये ? तो आप थोड़ा-सा इस बात पर विचार करें।

श्री शिवनाथ सिंह : दामादों का मौसम था, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप किसी को बना मत लेना अभी।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की चर्चा करने से पहले हम अपने दल के विषय में और अपने विषय में विचार कर लें तो ज्यादा उचित होगा। आखिर जनमत है, यह मंत्री के पक्ष में भी जा सकता है, मंत्री के विरोध में भी जा सकता है लेकिन इस आधार के ऊपर आप सारी इस बात को कहना चाहें वह उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां दल-बदल की बात कही गयी। मैं जिक्र नहीं करना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता; नरसिंह रावजी की सरकार बहुमत में नहीं थी, यह देश अच्छी तरह से जानता है कि सिंगल लार्जेस्ट मैजोरिटी पार्टी के नाते उनको सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया गया और इस निमन्त्रण देने के बाद में वह सरकार टिकी काहे पर है, किस बात पर टिकी है ? एण्टी डिफेक्शन लॉ की हत्या कर किस प्रकार से समर्थन लोगों का लिया जाये, समर्थन लिया। आज ही के दिन जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, इस सारी दल-बदल की प्रक्रिया में कौन किसका समर्थन कर रहा है, अजीत सिंहजी दस व्यक्तियों सहित कांग्रेस पार्टी में गये हैं। उससे पहले 6 माननीय सदस्यों को साथ लेकर उन्होंने अपनी सरकार को बचाया। (व्यवधान) डाक्टर साहब, आप दल-बदल की बात मत कहिये। आपके और मेरे बहुत पुराने सम्बन्ध हैं। मैं उन सम्बन्धों को उखेलना नहीं चाहता।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मैंने दल-बदल कभी नहीं किया, मैंने जनता पार्टी को तोड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है बिल्कुल, आप तो जहां जाते हैं तोड़ने का काम करते हैं।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : तोड़ कर मैं कांग्रेस में नहीं गया। चुनाव जब खत्म हो गया, नया चुनाव लड़ा तब कांग्रेस में गया। एक बात मेरी एक सैकण्ड सुन लो, मुख्य मन्त्रीजी, आप भी नहीं चाहते थे कि बी.जे. पी. की 101 सीट आये। यह सत्य है। आप भी 95 के आस-पास रखना चाहते थे नहीं तो आपको भी खतरा था। यह आपके ही लोग कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब से एक ही बात कहना चाहता हूं कि वे कम से कम इस परम्परा को, जो उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन में चालू की है, बनाये रखें, जहां जायें, तोड़-फोड़ की कार्यवाही करें। अब हमें तो तोड़-फोड़ कर आप निकल गये लेकिन कांग्रेस को तोड़ा नहीं तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि यह तोड़-फोड़ के लायक ही नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : कांग्रेस जोड़ने के लायक है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : इसलिये तोड़ा कि तोड़ने के लायक है। जोड़ने के लायक अपन हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, अब आप जोड़ो भी तो ऐसी जोड़ो इस कांग्रेस पार्टी को....

एक माननीय सदस्य : आपको खतरा होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं खतरा पैदा हो, मुझे कोई चिन्ता की बात नहीं है लेकिन आप इस प्रकार से जोड़ो इस कांग्रेस को कि उस जोड़ में भी यह टुकड़े-टुकड़े होती जाये, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आज यह सिद्धान्त बताना कि लोग दल-बदल करके आते हैं और सरकार का पक्ष लेकर सरकार को बनाया, मैं ऐसा समझता हूं कि विपक्ष के नेता को कम से कम आज के अखबार पढ़ लेने चाहिये थे और उस दिन की याद कर लेनी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहिये थी जिस दिन दिल्ली के अन्दर लोक सभा में आपके केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया और 6 संसद सदस्यों का समर्थन लेकर अपना बहुमत दिखाया। आज उस प्रकार की कार्यवाही करने वाली पार्टी दल-बदल की बात को यहां एक सिद्धान्त के रूप में रखना चाहे उसका किसी प्रकार का औचित्य नहीं है, न किसी प्रकार की नैतिकता है।

श्री जगदीप धनखड़ : दिल्ली में एक को भी मन्त्री नहीं बनाया। आपने 8 को बना रखा है।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मन्त्री, कृषि) : हम दल-बदल कर नहीं आये।

श्री रोहिताश्व : भैरोंसिंह जी की सरकार में कोई दल-बदल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठहर जाओ, ठहर जाओ मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हू, धनखड़ जी, सदन में नहीं कहना चाहता लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि किस प्रकार से समर्थन मिला है। उस चीज को कोई नकार भी नहीं सकता। आप इसलिये उस चैप्टर को यहीं बन्द कर दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि उस आधार पर इस प्रकार की चर्चा करने के पीछे कोई कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां जिक्र किया गया और जिक्र में यह कहा गया कि बाड़ाबंदी और घेराबन्दी की गयी। मेरी समझ में नहीं आता कि बाड़ाबंदी और घेराबंदी कहते किसको हैं ?

एक माननीय सदस्य : इसको स्वीकार कर लो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई चुनाव का बूथ नहीं है जिसमें घेराबंदी और बाड़ाबंदी हो जाये, जिसके लिये कई लोग अभ्यस्त हैं।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : सुजानसिंहजी कैसे कहते हैं कि हमने नमक खा लिया अब तो हम वहीं रहेंगे। यह बाड़ाबंदी नहीं हुई क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल सही है। हरिसिंह जी साहब इतना ही कह सकता हूं कि इन लोगों ने इतनी बात तो रखी कि नकम खा लिया। आप तो नमक भी खा गये, सब कुछ खा गये फिर भी कुछ नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : उसके बाद पूछा होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, न नमक का असर है। मैं समझता हूं उन्होंने अच्छा किया, राजस्थान की जनता को दूसरी बार चुनाव न हो, इस प्रकार की चुनाव कराने की स्थिति में नहीं धकेला वरना कई लोग मुझे मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता था, बूढ़े-बूढ़े सदस्य मुझे कहने लग गये अब की तो राम राम करके जीते हैं, अब कहीं चुनाव हो गया तो हमारी गिनती और नामलेवा ही कोई नहीं मिलेगा। उनकी सहानुभूति मुझे जरूर मिली हुई है उस सहानुभूति के आधार पर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि बाहर गांवों के सदस्य जीत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर नहीं आये, यह सारे शहरी तत्व जीत कर आये हैं। यहां से आप गिनती शुरू कर दीजिए और आखिर तक गिनती करते हुए आ जाइये। यहां शिड्यूल्ड कास्ट के लोग भी 33 में से 24 जीते हैं, कोई शहरी सीट नहीं हैं। गांवों की सीट हैं। यदि आप यह मानते हैं कि हमारी तरफ जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग जीतकर आ गये वह गांव के नहीं हैं, मैं समझता हूं, यह तो उचित नहीं है। उसी प्रकार से एस. टी. के जितने जीतकर आये वे भी यहां बैठे हैं। गांव से जीतकर आये हैं वह भी बैठे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के पढ़े-लिखे वर्ग ने, जो शहरों में आबाद है, कांग्रेस पार्टी को एक-दो जगहों को छोड़कर कहीं जीतने के अवसर ही नहीं दिया वह लोग जानते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में बहका सकते हैं लेकिन शहरी क्षेत्रों को आप नहीं बहका सकते। वहां लोग अखबार भी पढ़ते हैं, वहा टी. वी. भी देखते हैं वहां रेडियो भी सुनते हैं इसलिये आपके बारे में उनको पूरी जानकारी रहती है। (व्यवधान) मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अब यहां पर यह जिक्र किया जाय कि किसान....

डा. हरिसिंह : आप यह सब कह रहे हो।

श्री जगदीप धनखड़ : यील्ड कर दिया नेता ने।

डा. हरिसिंह : आपने राजस्थान की पब्लिक के प्रति बड़ा आभार व्यक्त किया है कि आपके दल को इतना समर्थन दिया। मै सोचता हूं कि यह भी एप्रोप्रियेट होगा कि आप कांग्रेस के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त कर दें ताकि यह काम हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के नेताओं के प्रति बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आपस में लड़कर कांग्रेस का सर्वनाश कर दिया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह स्थिति इसी प्रकार की बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं इतना ही कह सकता हूं, वैसे आज अवसर नहीं है कि इस अवसर पर मैं उन बातों का उल्लेख करूं जो अप्रासांगिक हैं लेकिन जिस प्रकार की बात कही गयीं, लोगों में भ्रांति नहीं रहे इस कारण मुझे स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। मैंने वादा किया था, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में किया था और सदन के बाहर किया था कि मैं किसानों का दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ करूंगा। कोई आज के दिन कांग्रेस के नेता इतनी सी बात खड़ा होकर कह दें, राज तो पिछले 40 वर्षों में आपने भी किया है, आज भी कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां, और आज तक के 40 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने एक नये पैसे का भी किसान का कर्जा माफ किया हो तो बता दें। हमने 340 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब यह डिबेट तो नहीं हो रही है।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : गांवों में जाकर देखो तो मालूम हो आपको....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। डिबेट नहीं हो रही है। वह बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बोल लेना कभी।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : वह पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : जनता दल वालों ने यह घोषणा की है....

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से इंट्रप्ट करेंगे तो लम्बा चलेगा भाषण। शान्ति से सुनिये। (व्यवधान) वह उनके हक में है ....(व्यवधान) हां तो उनको समय मिल जाता है सोचने के लिए। आप बोलते जाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज आप बता दीजिये राजस्थान के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य में बारानी जमीन का लगान माफ किया है क्या ? यह हमारी सरकार थी जिसने बारानी जमीन का लगान माफ किया है। मैं आपको इतना और कहना चाहूंगा, कई माननीय सदस्य कह रहे थे गंगानगर में बड़े आन्दोलन हुए। यह सही है, आन्दोलन में मैं भी शामिल था, किसानों की समस्याओं को लेकर हमने संघर्ष किया था। उस समय कुछ मांगें मंजूर हुई, कुछ मांगें मंजूर नहीं हुई। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में किसी जिले में कोई जमीन की बिक्री हो जाये तो रजिस्ट्री के ऊपर कही पाबन्दी नहीं है। आपकी सरकार ने केवल इसलिये पाबन्दी लगायी कि गंगानगर जिले में कोई जमीन बेचे तो रजिस्ट्री नहीं होगी और रजिस्ट्री नहीं होने के पीछे कारण एक था कि यह सिख जमीन नहीं खरीदें। आज हमको साम्प्रदायिकता और जातीयता के आधार पर निर्णय करने वाली पार्टी बताते हैं आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सिख और गैर सिख के बीच में भेदभाव कैसे किया ? किस आधार के ऊपर आप चाहते थे कि इनकी रजिस्ट्री हो तो पुलिस से जांच हो। जब मेरे सामने यह प्रश्न आया तो मैंने रजिस्ट्री के ऊपर सारी पाबन्दी हटा दी। हटा दी तो आप यह समझते हैं कि किसानों के लिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट है, विपक्ष के माननीय नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि आज आबादी बढ़ रही है। बढ़ती आबादी में एक पिता की सम्पत्ति का बंटवारा होगा, पिता की सम्पत्ति मकान हो तो रजिस्ट्री हो जाय और किसी प्रकार सम्पत्ति में हो तो उसकी रजिस्ट्री हो जाये लेकिन जमीन हो तो उसके बंटवारे को फ्रेगमेण्ट के नाम पर, कानूनी रूप नहीं दिया जाये। परेशान लोग हो रहे थे। मैंने फ्रेगमेण्टेशन की बात आती हो तो कानून में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी कि उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाये। अब उस आधार पर आप यह कहें, मैं आज उन सारी बातों को गिनाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो गांवों के अन्दर विकास की गंगा बहायी है, किसानों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिये हैं, उतने निर्णय कोई नहीं ले सकता। मैं यह समझता हूं कि मैं ...

श्रीमती कमला : सिर्फ एक मुद्दे

(श्रीमती कमला)

पर मैं... (व्यवधान)....आपको स्पष्ट करना चाहती हूं....

एक माननीय सदस्य : धौलपुर के लोग गुजरात में काम कर रहे हैं, साहब।

श्रीमती कमला : मुझे पता नहीं आपको यह कैसे इम्प्रेशन है लेकिन जो मेरे वक्त की बात है वह यह है कि जमीनों की रजिस्ट्री पर पाबन्दी इसलिए लगायी थी कि सरकार इतनी कीमती जमीनें भूमिहीनों को नामिनल प्राइस पर या फ्री आफ कास्ट भी बहुत सी कैटेगिरीज को देती रही है और वह जमीनें अगर वह बेच देते हैं तो फिर भूमिहीन हो जाते थे इसलिए फिर उनको नयी तरह से जमीन दो, इस कारण से सरकार ने उसके ऊपर पाबन्दी लगायी थी। सिर्फ पाबन्दी यह लगायी थी कि प्रायर अप्रूवल लेने के बाद में वह बेचान करे, उसके टोटली बेचान पर पाबन्दी नहीं थी। और जो गंगा आपने बहायी है विकास की, और तो मुझे पता नहीं पर मेरे यहां तो उलटी गंगा बही है उजाड़ने की उसको तो सही करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आपने विकास की....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज भी पाबन्दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां विकास की बात कही गयी। मैं समझता था कि मैं विकास की बात करूंगा तो विपक्ष वाले तालियां भी बजायेंगे, मजाक भी उड़ायेंगे। यह आप करिये, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं, मैं 4 मार्च, सन् 1990 को मुख्य मंत्री बना था, सारा ग्रामीण विकास का काम जवाहर रोजगार योजना और ऐसी अन्य योजनाओं के आधार पर आंका जाता है और किया जाता है, राजस्थान को गर्व होना चाहिये कि 1990-91 में राजस्थान जे.आर.वाई. में हिन्दुस्तान में सबसे पहले नम्बर पर आया। आपको इस बात के लिए भी गर्व करना चाहिये कि 1992....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, सिट डाउन। प्लीज, विराजिये आप।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : आपने कभी गांवों में....

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1992-93 में राजस्थान पहले नम्बर पर आया है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सम्पत्ति बनी है जिस समय आगे मुझे बोलने का मौका मिलेगा उस समय आपको विवरण देऊंगा। इसीलिए जनता ने आपकी इन बातों को स्वीकार नहीं किया। यहां यह कहा गया कि बिजली की एक यूनिट भी पैदा नहीं हुई।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, सम्पत्ति बनी है ग्राम सेवकों की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि जो उनके कहने के बाद में हमने शांति दिखाई, क्या अपने दल को कण्ट्रोल कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकते हैं ? तो कम से कम मेरे भाषण में वह हस्तक्षेप नहीं करें, इतना ही अच्छा होगा।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, यहां चार्ज लगाया गया कि मेरे शासनकाल में बिजली की एक यूनिट पैदा नहीं हुई। बिजली की जो योजनाएं थीं वह स्वीकार नहीं करायीं। अब मैं पूछूं किससे ? परसरामजी ने खुद ने जवाब दे दिया कि अगर बिजली का कोई कारखाना आज लागू होता है तो उसका जेस्टेशन पीरियड पांच वर्ष होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 मार्च, 1990 को जिस समय मैं मुख्य मंत्री बना था उस समय किसी योजना पर काम हो रहा था क्या ? जब काम नहीं हो रहा था तो मैं भाटे भिड़ा कर बिजली पैदा कर देऊं यह मेरी क्षमता नहीं है। आपने कोई योजना छोड़ी नहीं, कोई योजना बनायी नहीं, कोई योजना आपने चालू नहीं की और आप कहते हैं मैं बिजली पैदा कर देता। बिजली पैदा यूं ही नहीं होती। इन्हीं के शब्दों में पांच वर्ष का जेस्टेशन पीरियड होता है। लेकिन जब मैं मुख्य मंत्री बना उस समय मैंने चार योजनाओं की स्वीकृति लेने की कोशिश की। पहला सूरतगढ़ थर्मल प्लान्ट जो पूरा अपनी क्षमता में साढ़े सात सौ मेगावाट का बनेगा उसका प्लानिंग कमीशन से अप्रूवल लिया। उसके बाद में एनवायर्नमैण्ट मिनिस्ट्री से उसका क्लेरीफिकेशन कराया और क्लेरीफिकेशन करा कर उसके लिए काम चालू किया। काम चालू होने के बाद में अभी चार महीने पहले एनवायर्नमैण्टल क्लियरेंस वापस ले लिया। वापस लेने के बाद में अभी 24 तारीख को मैं दिल्ली गया उसके पहले मैंने प्रधान मंत्रीजी से निवेदन किया और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने तत्काल उसका क्लियरेंस कैसे हो सके, उस सम्बन्ध में अपने विभाग के मंत्री को निर्देश दिये और जिस दिन मैं गया उसके चार घंटे बाद में उसका क्लियरेंस हो गया। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा मैंने प्रयत्न किया धौलपुर के लिए। मैंने जिस समय 4 मार्च, 1990 को यहां चार्ज लिया था उस दिन....

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। यह बरसिंगसर की योजना स्वीकार थी उसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप, प्लीज बैठिये। आपके नेता ने भी आपको निवेदन कर दिया था और अब यह मेरी जिम्मेदारी है। आप इंट्रप्शन मत करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय धौलपुर की पावर प्रोजेक्ट भारत सरकार की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन के बाद में मैंने उस मामले को उठाया। उठाने के बाद में तीन बार उस मामले पर मैंने एन.डी.सी. में चर्चा की। एन.डी.सी. में चर्चा की जिसका नतीजा निकला, प्रधान मंत्रीजी के पत्र आप चाहें तो मैं सदन की मेज पर रख सकता हूं, प्रधान मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि मैं 15 दिन में इसका क्लियरेंस करा दूंगा। 15 दिन में नहीं हुआ। दुबारा मैंने चिट्ठी लिखी और मिला। उसके बाद में कहा कि जल्दी से जल्दी मैं इसका क्लियरेंस करा दूंगा। वह क्लियरेंस नहीं हो पाया। और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभी मैं फिर 24 तारीख को धौलपुर के मामले में मिला हूं और माननीय सदस्यों को जानकारी होगी और खुशी होगी कि एनवायनंमैण्ट मिनिस्ट्री ने एनवायरमैण्ट के लिए जो एक नयी टैक्नीक दूसरे देशों में पैदा हुई है, उस टैक्नीक को लागू कर वहां पर धौलपुर पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात उन्होंने स्वीकार की है। हम अपनी तरफ से उस नयी टैक्नीक का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी दी है उस नयी टैक्नीक के आधार पर प्रोजेक्ट कास्ट 20 प्रतिशत बढ़ती है। तो हम यह चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कास्ट बढ़े नहीं, किसी प्रकार से कम हो और यदि इसी प्रकार की टैक्नीक से एनवायनंमैण्ट को कण्ट्रोल किया जा सकता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ेगी तो भी राजस्थान में बिजली का उत्पादन होगा और लोगों को बिजली मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह जिक्र करना चाहूंगा कि रामगढ़ की गैस का मामला था। यह आज रामगढ़ की गैस का मामला नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान में, आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि 12 हजार करोड़ रुपये की गैस जलती है। आज इस सारी गैस को बिजली पैदा करने के कारखानों में दे दें तो हिन्दुस्तान में पावर की कोई कमी नहीं रहेगी। हमने गैस मांगी, हमने कहा कि रामगढ़ में जो गैस पैदा हुई है वह पूरी की पूरी राजस्थान को अलाट कर दी जाय। अलाट करा तो मैं लेऊंगा लेकिन गैस की कीमत आज तक भारत सरकार तय नहीं कर पा रही है इसके कारण से समस्या है। मैं जब पहले मुख्य मंत्री था तो इस बात पर विवाद चला कि इस गैस की कीमत निर्धारित करने में ओ.एन.जी.सी. का जितना भी आज तक खर्चा हुआ है उसको कैपीटल कास्ट मानकर उसके आधार पर गैस की कीमत कितनी होगी। अगर उस कीमत का यह मूल्यांकन किया जाय कि ओ.एन.जी.सी. का जितना खर्चा हुआ है वह इस गैस की कीमत में वसूल किया गया तो इस गैस के आधार पर कोई कारखाना नहीं लिया जा सकता। मैं भी कोशिश करूंगा और मेरा विश्वास है जैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैंने विपक्ष का सहयोग मांगा है, मैं सहयोग खास तौर से इन चीजों पर मांग रहा हू कि राजस्थान के जितने भी बिजली के कारखाने हैं उनका केन्द्रीय स्तर पर क्लियरेंस हो जाय और उस क्लियरेंस आधार पर राजस्थान की बिजली की समस्या का समाधान हो। लेकिन यहां मैं विरोधी दल के नेता महोदय से कहना चाहूंगा कि कम से कम वह जो बात कहें वह गम्भीरता से सोच समझकर कहें। अगर उस समय कोई भी बिजली का कारखाना चालू होता तो मैं उस बिजली के कारखाने के आधार पर काम कर लेता।

कोटा की जो पांचवीं यूनिट है, मैं आज आपको कहता हूं बिजली की कमी कैसे पूरी होगी, मार्च, 94 में उस यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू हो जायेगी। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि रामगढ़ का गैस प्लाण्ट भी जल्दी से जल्दी काम करेगा।

मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में बिजली उत्पादन करने में राजस्थान ने एक नया कीतिमान कायम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया है। प्लाण्ट लोड फैक्टर में राजस्थान सबसे आगे है। आज हिन्दुस्तान की कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं है, चाहे एन.टी.पी.सी. हो, चाहे एन.एच.पी.सी. हो, प्लाण्ट लोड फैक्टर में राजस्थान का मुकाबला कर सके। आज पूरी क्षमता के साथ हम उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि बिजली की कमी है तो जो अपरिहार्य कारण राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आये हैं, यह कोई बिजली में नहीं खा गया, भारतीय जनता पार्टी नहीं खा गयी या निर्दलीय उम्मीदवार नहीं खा गये, बिजली के लिये अपरिहार्य कारण थे जिससे परेशानी आपको भी हुई, राजस्थान की जनता को भी हुई।

श्री परसराम मदेरणा : आने वाले दस सालों तक होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके लिए आप भी दोषी हैं, मैं भी दोषी हूं।

श्री परसराम मदेरणा : दोषी मैं नहीं कह रहा। अगर जनरेशन नहीं होगा और टाइमली नहीं होगा और उसमें जनरेशन एड नहीं होगा तो राजस्थान की प्रगति को धक्का लगेगा। अब आप कोई भी योजना, कोई भी प्रोजेक्ट करायेंगे तो पांच साल का समय लगेगा तब तक डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में डिस्टार्शन चलता रहेगा। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी, बात यह है कि मैं इन्टरफियरेन्स नहीं करना चाहता था लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब बोलते हैं, तो अभी अध्यक्ष महोदय, आप भी कह रहे थे कि बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, यह डायरेक्टली पाइण्टेड मैं यह पूछता हूं, पूछता हूं का मतलब हम चुप बैठे रहें, क्वेश्चन का जवाब दें या बाद में आपसे सवाल पूछें? आपने बहुत सी बात कही हैं, वह कितनी सत्य हैं या नहीं हैं, मुझे कोई दूसरा अवसर लेना पड़ेगा गवर्नर एड्रेस पर कर्ज माफी के मामले में भी कई बैंक दिवालिया हो गये हैं शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कई बातें आप जो कह रहे हैं लेकिन आप पाइटेड उठा करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब नहीं कहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : 'मैं क्वेश्चन प्रश्न पूछता हू आप क्वेश्चन करें और हम मुनि महाराज की तरह यहां बैठे रहें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : अपनी-अपनी स्टाइल होती है।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने मुझे भी एक नेक सलाह दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय परसरामजी, यह प्रश्न आप दोनों के बीच का नहीं है। इसमें मैं बीच में बैठा हूं। हाउस की परम्परा के अनुसार काम होगा। आज जो वक्तव्य मुख्य मंत्री दे रहे हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, न क्वेरीज होने की जरूरत है। यह परम्परा नहीं है जो उनको कहना है वह कहेंगे उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। मैं समझता हूं इसमें यह परम्परा है नहीं। इसलिए इसमें चर्चा करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। वह जो

(श्री अध्यक्ष)

सवाल करते हैं उनकी स्टाइल है, आप सुनते रहिये, किसी को पाइण्टेड क्वेश्चन तो पूछते नहीं जनरल बात है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइण्टेड पूछता हूं या नहीं पूछता हूं लेकिन इनको दर्द होता है उस दर्द का अनुभव करते हुए नहीं पूछूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं । कोई दर्द की बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे बोलने की भी वह जानते हैं । जैसे आप कई बार आंख दिखा कर कहते हैं, अब मैं यह कहूं कि आप आंख मत दिखाओ तो आप तो दिखाए बिना रह ही नहीं सकते और मेरा कहना व्यर्थ जायेगा, मैं उस असलियत को जानता हूं और फिर अंगुली करते हैं यूं । वह तो जो बोलने का स्वभाव है उस स्वभाव के कारण से किसी की अंगुली उठती है, किसी की आंख उठती है, किसी की वाणी चलती है, किसी की जुबान हिलती है, किसी के होठ हिलते हैं, किसी का कुछ नहीं हिलता ।

मैं इतना ही निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य या विपक्ष में जो बैठे हैं उन से एक बात का सहयोग चाहूंगा यह बिजली कोई मेरे अकेले की समस्या नहीं है, राजस्थान की समस्या है। यह ऐसा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर है कि यदि इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने कोई व्यवस्था नहीं की तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास रुकेगा । मैं चाहूंगा कि विपक्ष के नेता और विपक्ष के प्रभावशाली सदस्य जिनका दिल्ली में थोड़ा-बहुत प्रभाव है, वह और हम सब दिल्ली चलें, इन पावर प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में भारत सरकार से मिलें और मिल कर जल्दी से जल्दी इन पावर प्रोजेक्ट्स को क्लियर कराने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूं कि इसके बाद में इस समस्या के ऊपर कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी । यहां, अध्यक्ष महोदय, बरसिंगसर....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : खेतसिंह जी तो कह रहे हैं कि हम तो आप को हटाने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो इस कोशिश में लगे हैं कि आप जल्दी जाओ और आप कह रहे हो कि आप हमारे साथ आओ और अपन दिल्ली चलते हैं और प्रोजेक्ट पास कराओ ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि खेतसिंह जी की यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं । कभी आपने देखा है कि लोमड़ी के कहने से अंगूर टूट कर नीचे आ जायें ? नहीं देखा होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : आंधी का झोंका आ जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : झोंका तो ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें लोमड़ी भी उड़ जाय ।

मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, बरसिंगसर में यह बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सही है कि हमारे पास जितने लिग्नाइट के डिपोजिट्स हैं, बड़े रिच डिपोजिट्स हैं। बिजली भी पैदा हो सकती है, उसका फ्यूल के रूप काम भी लिया जा सकता है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैंने मुख्य मन्त्री के रूप में, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक समझौता किया था एन. एल. सी. से, उस समय उन्होंने समझौता किया था, सब्जेक्ट टू करेक्शन, एक रुपया 92 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। मैंने वह सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी और देखने के बाद में मैंने विचार किया कि एक रुपया 92 पैसा ज्यादा है। दुबारा एन. एल. सी. से बात की और बात करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि एक रुपया 44 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से इसकी सही कास्ट आती है। दुबारा मैंने एम. ओ. यू. उनसे ड्राफ्ट किया, 1.92 से 1.44 रु. पर मैं ले आया। लाने के बाद जमीन एक्वायर की। सरकार ने करोड़ों रुपया जमीन एक्वीजिशन के अवार्ड के रूप में दिया और देने के बाद फिर कुछ ऐसे कारण आये जिनका जिक्र मैं इस सदन में नहीं करना चाहूंगा लेकिन एन.एल.सी. ने अपने आपको विथड्रा कर लिया। विथड्रा करने के बाद में मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मैंने बाहर से, लिग्नाइट के मामले में एक्सपर्टाइज जिन देशों ने हासिल कर रखा है उन सारे देशों से सम्पर्क स्थापित किये और आखिर आस्ट्रेलिया की एक कोलमेन एण्ड कम्पनी से हमारी बातचीत चली। बातचीत के आधार पर हम निर्णय करने वाले थे, आप सारी फाइल उठा कर देख सकते है, कोलमेन एण्ड कम्पनी के लोग यहां आये हुए थे, बातचीत चल रही थी, चलने के बीच में ही 15 दिसम्बर, 92 आ गयी, हम को तो रवाना कर दिया और कोलमेन एण्ड कम्पनी अपने आप वापस रवाना हो गयी। अगर उस समय समझौता हो जाता तो आज उस प्रोजेक्ट के ऊपर केवल वह कम्पनी ही काम नहीं करती, हिन्दुस्तान के और एण्टरप्रिन्योर्स जो फ्यूल के मामले को लेकर लिग्नाइट का उपयोग कर सकते थे, जो बिजली उत्पादन करने के मामले को लेकर सहभागी बन सकते थे वह लोग निराश हो गये। मैं सदन को विश्वास से कहना चाहता हूं कि मैंने परसों फिर कोलमेन एण्ड कम्पनी से कान्ट्रेक्ट किया है, कल उसके प्रतिनिधि आने वाले हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का भी किसी न किसी प्रकार से समाधान करा लेऊंगा। मैं ऐसी स्थिति में सदन को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से कोई प्रयत्न में कसर नहीं छोड़ी जायेगी कि राजस्थान में बिजली के कारखाने स्थापित हों, बिजली के उत्पादन की सुविधा मिले और उस सुविधा के आधार पर राजस्थान के किसानों को सुविधा मिले, राजस्थान का इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हो।

अध्यक्ष महोदय, यहां विपक्ष के नेता ने एक बात और कही, गवर्नर साहब के भाषण में शायद उन्होंने यह सुन लिया कि इस साल के प्लाण्ड रिसोर्सेज में 57 करोड़ रुपये का गैप रहेगा। उस पर उन्होंने चिन्ता व्यक्त की और एक मुझे क्वेश्चन किया कि 57 करोड़ रुपये का गैप तो रह रहा है लेकिन मुख्य मन्त्री ने जब 8वीं पंचवर्षीय योजना साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की मंजूर करायी उस समय भारत सरकार से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उन्होंने क्या-क्या कमिटमेण्ट किये हैं। मैं आपको इतना ही बता दूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ रुपये की मंजूर हुई थी और तीन हजार करोड़ रुपये में उस समय की सरकार ने प्लानिंग कमीशन को यह आश्वासन दिया था कि हम एक हजार करोड़ रुपये के एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे। तीन हजार करोड़ रुपये की योजना में एक हजार करोड़ रुपये के एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की आपने बात कही और मुझे खुशी है कि एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के रिसोर्सेज आपने मोबिलाइज किये। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कहां तीन हजार और कहां साढ़े ग्यारह हजार। साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की योजना मंजूर करायी तो मैंने केवल कमिटमेण्ट यह दिया है कि पांच वर्षों में राजस्थान मे दो हजार करोड़ रुपए के एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे। अब आप देखिये, तीन हजार में एक हजार और साढ़े ग्यारह हजार में दो हजार। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारत सरकार से जितना मुझे लेना था, लेने की मैंने कोशिश की, उसमें काफी कामयाब भी हुआ। जिन क्षेत्रों में हमको पैसा नहीं मिलता था उन क्षेत्रों से भी मैंने पैसा लिया और पैसा लेकर राजस्थान का विकास किस प्रकार से हो सके उन विकास के कामों की ओर डाइवर्ट किया। मैं इतना ही कह सकता हूं, ज्यादा आलोचना करना नहीं चाहता कि एक वर्ष तक राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन नहीं रहता तो राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना का पैसा और भारत सरकार और विदेशों से योजनाएं बना कर राजस्थान में लागू कर देता तो राजस्थान में विकास की एक ऐसी गंगा बहती कि राजस्थान का पिछड़ापन अपने आप खत्म हो जाता। आज चाहे आप खुश हो जायें कि 15 दिसम्बर को हमारी सरकार को खत्म कर दिया। यह सही है कि 15 दिसम्बर को हमारी सरकार को भंग किया गया लेकिन भंग करने से लेकर 4 दिसम्बर, 1993 तक लोकतान्त्रिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। हमें भंग किया तो किया लेकिन चाहिए था सरकार को कि उसके दो महीने बाद चुनाव करा देते, तीन महीने बाद चुनाव करा देते, छह महीने के बाद चुनाव करा देते। आज आप पंचायतों के चुनाव के बारे में तो कई बातें कहते हैं लेकिन आपमें से किसी ने यह मांग नहीं की कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायें। यह कभी नहीं की। आपने तो बल्कि यह कहा कि राजस्थान में चुनाव नहीं होने चाहिए, वातावरण अभी तक नहीं बना है। वातावरण का मतलब कांग्रेस पार्टी के जीतने का वातावरण कैसे बने। अगर इस प्रकार के वातावरण के इन्तजार में आपने जनता के लोकतान्त्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है तो मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि इस प्रकार के बड़े दल को यह चीज शोभा नहीं देती। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, आप लोकतन्त्र की बात करें, आप और बात करें, इस एक वर्ष के अन्दर राजस्थान के विकास की गति, विकास की घड़ी की सुई पीछे चली गयी। उसको लाने में दिक्कत आयेगी। यह आसान बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के सहयोग से और आपके आशीर्वाद से इस घड़ी को ठीक करने की मैं निश्चित रूप से कोशिश

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करूंगा । घड़ी आगे बढ़े उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर राम और अयोध्या की बात कही गयी । मैं इस प्रसंग में जाना नहीं चाहता और मुझे कहना भी नहीं चाहिए । लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो ढांचा टूटा है उस ढांचे की जिम्मेदारी यदि किसी पर आती है तो भारत सरकार पर आती है । मैंने नेगोशियेशंस में काम किया है और वहां पर एक नतीजा निकला । बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिन्दू परिषद, इन दोनों ने कह दिया कि यहां पर अगर किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति या निष्पक्ष संस्थान से यह फैसला करवा दिया जाये कि मस्जिद की जगह पहले कोई मन्दिर था या धर्मस्थल था और उसको तोड़ कर मस्जिद बनायी है तो, रिकार्ड पर है, कमेटी के सामने रिकार्ड पर है, पार्लियामेंट में रिकार्ड पर है, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इस मस्जिद का दावा विथड्रा कर लेंगे । कर्तव्य यह था कि वहां पर निश्चित रूप से कोई न कोई एक ऐसी व्यवस्था की जाती । मुझे मालूम है चन्द्रशेखर जी जब प्रधान मन्त्री थे, इसी प्रकार का प्रसंग आया । जब यह प्रसंग आया उस समय इस बात की व्यवस्था हो रही थी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के एक जज को राष्ट्रपति के माध्यम से रैफर करा दिया जाये । चन्द्रशेखर जी चले गये, उसके बाद में यह सरकार आपकी कई महीनों तक रही । इस सरकार में कई लोगों को मैंने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को रैफर कर दो । सुप्रीम कोर्ट को रैफर नहीं किया । आखिर जनता का विश्वास है, जनता की एक आस्था है उस आस्था को आप कानून के जरिये, उस आस्था को अदालत में किसी तरह कुचलने की नीयत से कोई काम करेंगे तो जनता रीएक्ट करेगी । आज इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट को रैफर कर दिया जाता तो यह ढांचा नहीं टूटता । लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, आज की नहीं पुरानी नीति है उस नीति के आधार पर वे चाहते हैं कि हिन्दू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी रहे । वे यह समझते हैं कि दीवार खड़ी करने के लिए इस ढांचे को सुरक्षित रखना चाहिए । वरना अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ईमानदार होते तो हिन्दू और मुसलमान में किसी प्रकार का तनाव पैदा नहीं होता । आप तो तनाव की कमाई खाते हैं, आप तो तनाव के कारण से वोट लेते हैं और उन वोटों के आधार पर सरकार बना कर आते हैं । आप कभी भी तनाव खत्म नहीं कर सकते । मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अब भी मैंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा है । आज के इस विवाद में निश्चित रूप से हस्तक्षेप करके ऐसी व्यवस्था करूंगा कि हिन्दू और मुसलमान में एकता कायम हो, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम हो । लेकिन मेरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी अपना मन और मस्तिष्क बदले और हिन्दुस्तान की इस समस्या का समाधान करने में वह किसी प्रकार के रोड़े नहीं अटकाए । रोड़े अटकाने वाले आज मुझे कहते हैं कि हम साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं । हम साम्प्रदायिक तनाव पैदा नहीं करना चाहते हैं । मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, अगर मेरी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साम्प्रदायिकता की सोच होती तो आप चले जाइये अजमेर, अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह में देख लीजिए। 40 वर्ष तक आपने राज किया है, एक पैसा विकास के लिए दरगाह में नहीं लगाया, मैंने साढ़े चार करोड़ रुपये विकास के लिए वहां लगाये हैं। आपको दूसरा उदाहरण देखना हो तो जौहरी बाजार में चले जाइये। जिस समय मैं पढ़ता था उस समय इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय गोलियां चली थीं, कई मुसलमान मारे गये थे और मुसलमानों ने जयपुर छोड़ना तय किया था। मैं 1977 में पहली बार मुख्य मंत्री बना तो लोग मेरे पास आये कि इस मस्जिद को आप पूरी करवा सकते हैं क्या। मैंने कहा, लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। मैं जौहरी बाजार में आया, लोगों को विश्वास में लिया और लेने के बाद जौहरी बाजार में यह मस्जिद खड़ी है। इसको खड़ी कराने का श्रेय यदि किसी को मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार को मिल सकता है। आज आप यह कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं यह टोंक के अन्दर....... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, मैंने कहा था अपने भाषण में कि आप जादूगर हैं, यह जादू विकास के लिए चलाइये। यह जादू आप हम पर चला रहे हैं और हमें ऐसी बात बता रहे हैं कि गांवों के अन्दर गंगा बह रही है। लोग बड़े परेशान हैं, दुःखी हैं। हैण्डपम्प नहीं चल रहे हैं, बिजली नहीं चल रही है, पानी नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन के समय का ध्यान रखें। अनलिमिटेड समय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब सही बात कहने में दर्द होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। होना ही चाहिए। और आप जैसे व्यक्ति को जो अभी-अभी किशनगढ़ से पहली बार जीतकर आये हैं। अजमेर में क्या हुआ? (व्यवधान) आज की बात नहीं, मोटवानीजी, ढाई वर्ष पहले की बात याद दिला रहा हूं।

डा. हरिसिंह : आपकी पार्टी में माइनारिटी के एक भी आदमी को जिताकर लाये क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति सदन में नहीं लायी जाये।

आज आपने कहा कि यूपी के अन्दर भारतीय जनता पार्टी हार गयी। वहां कल्याण सिंह जी ने यह वादा किया था, कल्याण सिंह जी ने यह वचन सुप्रीम कोर्ट को दिया था। लेकिन कोई आदमी यह सोचे कि भारतीय जनता पार्टी हार गयी उसकी तो इनको चिन्ता हो रही है और यह कांग्रेस, जहां जवाहर लाल जी चुनाव लड़ा करते थे, जहां इन्दिरा गांधी चुनाव लड़ती थीं, जहां राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे, जहां सम्पूर्णानन्द चुनाव लड़े, जहां से चन्द्रभान गुप्ता चुनाव लड़े, जिस कांग्रेस के दिग्गजों को उत्तर प्रदेश ने पैदा किया उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति 425 सीटों में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, केवल 28 सीट। मैं समझता हूं कोई ईमानदार कांग्रेसी होता तो निश्चित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रूप से ढकने में नाक डुबोकर मर जाता कि यूपी में क्या हालत हुई। यह शब्द मैं प्रयोग नहीं कर रहा, इन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं उधर से किया है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ये शब्द अच्छे नहीं हैं। लेकिन आज यह कहें कि भारतीय जनता पार्टी हार गयी, तो भारतीय जनता पार्टी को तो 38 प्रतिशत वोट मिले जितने कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले। यह चनाव की प्रक्रिया है जैसा राजपाल सिंह जी ने कहा, मैं उसको दुहराना नहीं चाहता, कई बार पर्सेण्टेज ज्यादा मिलता है सीटें कम हो जाती हैं और कई बार पर्सेण्टेज कम होता है सीटें ज्यादा मिल जाती हैं इसलिए उसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता ने भ्रष्टाचार की बात कही। आपकी पार्टी नहीं बोलती तो ज्यादा अच्छा था। पानी का विषय ले लेते मेरी समझ में आ जाता, बिजली का विषय ले लेते मेरी समझ में आ जाता लेकिन आपकी पार्टी और भ्रष्टाचार के विषय में बोले। क्यों खेतसिंहजी, नहीं बोलना चाहिए?

डा. हरिसिंह : मैं पोल खोल दूंगा, अब आगे नहीं बढ़ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। मैं इतना ही कह रहा था कि नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रतिभूति घोटाले की रिपोर्ट है, आज हिन्दुस्तान की जनता के घर-घर में उसकी जानकारी मिली हुई है। जिस प्रतिभूति घोटाले में कई मन्त्री लिप्त हैं, कई अधिकारी लिप्त हैं, कितना जनता का पैसा उसमें बर्बाद हुआ है, एक करोड़ नहीं, दो करोड़ नहीं, साढ़े तीन हजार करोड़ नहीं, साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये जनता के, लोग खा गये उस पर आपको चिन्ता नहीं है और यहां पर श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र जैन की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजेन्द्र जैन को जो कुछ सुविधाएं मिली हैं वह मेरे शासनकाल में नहीं मिली हैं वह सुविधाएं राज्यपाल महोदय के शासनकाल में मिली हैं। अब आप सब मिलो ना और मिलकर जाओ प्रतिभूति घोटाले में जो रुपया खा गये उनको सजा दिलवाने के लिये। और आज जिस जोर-शोर से बोल रहे थे, मैं तो दीपेन्द्र सिंहजी, आपसे यह उम्मीद करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आज ही विधान सभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाओ कि साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये जिसने खाये हैं पहले वे रुपये उनसे निकलवाये जायें तब जाकर बात होगी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : शुरूआत ही करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलो तो आप और शुरूआत मैं करूं। इतना भोला नहीं हूं। वह तो भतीजा है, मैं काका हूं, काका में अक्ल ज्यादा ही होगी।

तो यह ऐसी स्थिति में इस प्रश्न पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने ईमानदारी से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की है। मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता, जिन लोगों का मैंने चालान किया, जिन लोगों को मैं सजा दे रहा था उनकी बहाली मैंने नहीं की, राष्ट्रपति के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शासन में उनकी बहाली हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का मामला कोई अकेला मैं खतम कर जाउ उसका मैं दंभ नहीं भरता लेकिन मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को ...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : पाइण्ट आफ आर्डर, जरा अध्यक्ष महोदय, 294 (2) के तहत अर्ज कर रहा हूं। मौका मिलता तो मैं भी बोलता। मैं टोकने वाला नहीं था। बार-बार मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, 1977 में ओसियां में पधारे थे और वहां राष्ट्रपतिजी की प्रजेन्स में भाषण दिया था। (व्यवधान) वहां पर, अध्यक्ष महोदय, फरमाया था कि इस दस हजार की जनता में एक भी आदमी हाथ खड़ा करके कह दे कि मेरा कोई भी मन्त्री भ्रष्ट है तो मैं आज रिजाइन देता हूं। मैं इनको चेलेंज करता हूं कि ये और इनके मित्र ओसियां में पधारें और यह का यही भाषण मुख्य मन्त्री के रूप में वापस दें और उस 10 हजार की जनता में उनके ही पूर्व मन्त्री के बारे में कितने हाथ खड़े होते हैं वह देखें। भ्रष्टाचार की बातें, मुख्य मंत्रीजी, यहां पर न करें।

श्री अध्यक्ष : This is no point of order. Rejected.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैसा पढ़ा-लिखा आदमी अगर रूल्स को बिना पढ़े ही पाइण्ट आफ आर्डर रेज कर दे उसी में मुझे खेद है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बहस नहीं करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन इन्होंने मेरे को सम्बोधित करके ...

श्री अध्यक्ष : मैं किसलिए बैठा हूं, यदि आप आपस में बहस करोगे तो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तो मुख्य मंत्रीजी को फरमाइये, मुझे क्यों ?

श्री अध्यक्ष : वह तो बोल रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उन्होंने कह दिया कि रूल्स पढ़कर बताइये।

श्री अध्यक्ष : देखिये, बिराजिये। आप बहुत सीनियर हैं (व्यवधान) प्लीज एक मीनट। मैं समझता हूं यदि हम व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर जिस तरह की क्वेरी आपने की है या जो भी कहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Now you will please permit me for the sake of the House. आप मुझे सिर्फ एक वाक्य पढ़ने दें।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये, पढ़ने के लिए मना नहीं कर हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपने निर्णय दे दिया, मैं कोई मूर्खता से नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आप पढ़िये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी

Page No.103

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात स्वीकार करता हूं। आप मुझे इनवाइट करिये, मैं चलता हूं। झगड़ा खत्म हुआ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपके मित्रों के साथ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे निमन्त्रण दीजिये, मीटिंग का अरेंजमेंट कीजिये, मैं आता हूं।

मैं इतना ही निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया, मैंने तो मेरे पर आरोप लगाया था उसका जवाब दिया। आप कहो तो जवाब नहीं देऊं। विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो बात उठायी गयी थी उसका जवाब हैं। मैंने अपनी तरफ से बात नहीं उठायी है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : मैं सरदारशहर के लिए इनवाइट करता हूं आपको। मैं आपकी मीटिंग भी करवाऊंगा और पब्लिक को भी इकट्ठा करूंगा और यह सरदारशहर में कह देना बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, आप कर लेना दूसरे लोग भी तैयार है। (व्यवधान) मैं कर लूंगा, लेकिन इस बात की सावधानी रखें कि लोकतन्त्र में यदि आप मीटिंग करायेंगे तो दूसरे लोग भी मीटिंग कराने के लिए तैयार रहेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस विश्वास के प्रस्ताव पर मन से तो सब मेरा समर्थन करना चाहते हैं। निश्चित रूप से करना चाहते हैं। अब मन का मापदण्ड कोई हो नहीं सकता लेकिन आपकी सहानुभूति सब की मेरे साथ है कि राज चले। मैं आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि राज चलेगा और आपको वोटर्स के पास 5 वर्ष के बाद ही भेजूंगा, पहले नहीं भेजूंगा। और इस आधार पर....

श्री चन्दनमल बैद : यह तो आपकी आदत ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आदत है या नहीं है वह तो आप प्रत्यक्ष में देखेंगे तो पता लगेगा लेकिन मेरी आदत खराब है तो दुःखी आप भी होंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की दो तस्वीर बता कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। एक तरफ है नरसिंह रावजी और दूसरी तरफ है परसरामजी। इन दोनों की तस्वीर के साथ छपे हुए घोषणा पत्र को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। अब यह रिजेक्शन, परसरामजी तो पहले फोटो में ही बहुत चिन्तित हैं, चेहरा ऐसा है कि जैसे इनको आभास हो रहा है कि मैं हारूंगा। और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 95 सीटें मिली हैं। निर्दलीय और कई उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : और सब जगह रिजेक्ट हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विश्वास यहां ले रहा हूं। मैं यू. पी. का विश्वास

Page No.104

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं ले रहा। मैं मध्य प्रदेश का विश्वास नहीं ले रहा हूं। मैं राजस्थान की विधान सभा में विश्वास प्राप्त कर रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप अपना मेनीफेस्टो देखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा मेनीफेस्टो तो देख लिया, 95 बैठे हैं। (व्यवधान) धनखड़ साहब, कई बार अपने राजनीति में माल परमानेंटली रिजेक्ट नहीं होता। एक बार किसी को लोक सभा में रिजेक्ट कर दिया तो परमानेंट रिजेक्शन नहीं हुआ। उसी माल को जनता विधान सभा में विक-अप कर लेती है। और विधान सभा में भी यदि रिजेक्ट कर दिया तो पंचायत समिति में जा सकते हैं। और पंचायत समिति में भी रिजेक्ट कर दिया तो सरपंच की पोस्ट पर तो जा ही सकते हैं. कोई उसको रोकने वाला नहीं है। इसलिए राजनीति में माल रिजेक्ट नहीं होता। राजनीति में माल रिजेक्ट होने के बाद में भी फिर वापस इम्प्रूव हो जाता है और इम्प्रूव हुआ माल जब आता है तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए कौनसा माल रिजेक्ट होता है और कौनसा माल सलेक्ट होता है यह जनता पर छोड़ देओ, वह जनता ही इसका फैसला करती है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, सदन के माननीय सदस्य जो कांग्रेस में बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को गिराने की कोशिश की, सरकार को विश्वास व्यक्त करने में कोई कजूसी को और कहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने की कोशिश की तो जनता के ऊपर चुनाव का भार पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन फिर लागू होगा और लागू होने के पश्चात राजस्थान के विकास की गंगा अवरुद्ध हो जायेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दें और मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, एक सैकेण्ड मेरी बात सुन लें.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइण्ट आफ आर्डर। मुख्य मन्त्री जी, आपने नैतिकता की बात कही.. (व्यवधान) एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे नहीं बोलने देंगे, आप ही पूछ लेंगे। आप अपना पाइण्ट आफ आर्डर बताइये, क्या है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं यह अर्ज कर रहा हूं। मुख्य मन्त्रीजी, मैं आपसे यह सहयोग चाहूंगा एज एन एम.एल.ए. .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोलते हैं। Let him speak, बोलने दो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एज एन एम. एल. ए., अध्यक्ष महोदय, आपसे और मुख्य मन्त्रीजी से मैं सहयोग चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हुआ। यह प्रकरण यहां हो चुका है, मुख्य मन्त्रीजी के भाषण हो चुके हैं और देवीसिंहजी साक्षी हैं इस बात के और खेतसिंह साहब भी हैं। जो एक तस्वीर आपके आब्जर्वर और आप लोगों ने एम. एल. ए. की लिवाई भले ही कहीं लिवाई हो और वह जो आपने मग शाट लिवाया बोर्ड लगवा-लगवाकर, मैं सोचता हूं, आप

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

अगर सब सदस्य हैं तो उससे ज्यादा अपमान आपका नहीं हो सकता। मैं कहता हूं आप को कि यह दुनिया की किसी असेम्बली में नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाटीजी, आप पाइण्ट आफ आर्डर बताइये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। प्लीज सिट डाउन। आप बैठिये ना।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिये भविष्य में नहीं होने दें।

श्री अध्यक्ष : मुझे पहले इनका जवाब देने दीजिये ना। (व्यवधान) I have to dispose the point of order. प्लीज सिट डाउन। आप कुछ व्यवस्था तो समझिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कल से नया वर्ष है। मैं आपको, राजस्थान की जनता को नव वर्ष की बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर। 294 पढ़िये इसमें। (4) No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.

(5) A point of order is not a point of privilege.

(6) A Member shall not raise a point of order :

(a) to ask for information; or

(b) to explain his position, or

(c) when a question on any motion is being put to the House, or

(d) which may be hypothetical; or

(e) that Division bells did not ring or were not heard.

You have got no right under the name of point of order to ask any information or give any information,

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप मेहरबानी करके 294 (2) पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष : मैं 294 ही पढ़ रहा हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 294 (2) की दो लाइन पढ़ लें। May I read it, Sir ?

"Points of order. – A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment."

श्री अध्यक्ष : वह है व्यवस्था के सम्बन्ध में। If there is any irregularity. आप सुनिये। इर्रेगूलरिटी हो तो आप पाइण्ट आफ आर्डर रेज कर सकेंगे। लेकिन चूंकि यह जो बाद के प्रोविजन हैं, यह राइडर है उसमें। This point of order is subject to sub-clause 5 & 6.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Yes.

श्री अध्यक्ष : इसलिए you have got no right whatever to ask information.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Whatever information I have given अध्यक्ष महोदय, वह इन राइडर्स में नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष : Neither you have got right to ask any information nor you can give your position under 294. That is why there is no point of order. I reject it.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : I beg to disagree.

श्री अध्यक्ष : You have got no right to dis-agree with me. You will have to agree with me.

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपको इस हाउस का रिकार्ड स्ट्रेट करने के लिए कि रामगढ़ और बेरसिंगसर में जो मुख्य मन्त्रीजी ने बात कही है....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। अंकित मत करिये।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करता है? जो पक्ष में हों हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खड़े होओ, खड़े होओ।

श्री परसराम मदेरणा : आप कौन हो हमको खड़ा करने वाले? आप हो कौन?

श्री अध्यक्ष : मैं फिर बोल लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आसन की तरफ देख रहा हूं। (व्यवधान) आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यह कोई भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है जो बाड़ाबंदी करो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करता है? जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ना।

श्री अध्यक्ष : I want division. Yes, I want division. Clear the lobbies.

श्री परसराम मदेरणा : No, We are not asking for the division.

श्री शिवनाथ सिंह : यह चेयर अपने आप कोई डिवीजन के लिए आर्डर नहीं कर

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

सकती। यदि मैम्बर कोई चाहे, डिवीजन मांगे तो आप डिवीजन के लिए कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यदि आप ना नहीं कहते तो मैं नहीं कहता डिवीजन। (व्यवधान) आप सुन लीजिये। यदि आप ना नहीं कहते तो मैं ... (व्यवधान)....एक मिनट। यह मेरे डिस्क्रिशन पर है कि हां और ना में से मैं किसको मानूं कि यह सही है या गलत है। इसलिए आप ना नहीं बोलते, आप ना नहीं कहते तो मैं नहीं कहता। लेकिन जब आप ना कह रहे हैं I cannot decide. ....(व्यवधान) ....मैं वोइस वोट पर डिसाइड नहीं कर सकता इसलिए डिवीजन के लिए कह रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको तीन बार पूछना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हम डिवीजन चाहते हैं। आप डिवीजन कराओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Clear the lobbies.

श्री दलजीत सिंह : आपको तीन बार पूछना चाहिये था, अध्यक्ष महोदय........ (व्यवधान)

(मत-विभाजन घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हमने नोज हैव का डिवीजन क्लेम नहीं किया है, इसलिए आपने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के ऊपर हम वाक आउट करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस व्यवस्था के ऊपर वाक आउट करो। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : + + + यह नियम विरुद्ध होने के कारण हम सदन से वाक आउट करते हैं। (व्यवधान)

(विपक्ष द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन मन्त्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करता है ?

(मत-विभाजन)

(मत-विभाजन के पश्चात्)

मेरे पास जो काउण्टिग आयी है उसमें हां पक्ष में 108 मत और ना पक्ष लाबी में कोई उपस्थित नहीं था।

(स्वीकृत)

श्री भंवरलाल शर्मा : इस में आपका वोट नहीं हैं साहब।

श्री अध्यक्ष : इसलिए सदन द्वारा मन्त्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

मत-विभाजन सूची

हां पक्ष

क्र.सं. 1	सदस्य का नाम 2	क्र.सं. 1	सदस्य का नाम 2
1.	श्री अचला राम	26.	श्री घनश्याम तिवाड़ी
2.	श्री अनंग कुमार	27.	श्री चुन्नीलाल गरासिया
3.	श्री अमरचन्द मिढ्ढा	28.	श्री चुन्नीलाल धाकड़
4.	श्री अरुण सिंह	29.	श्री जगदीश चन्द वरक
5.	श्री अर्जुनदास मदान	30.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा
6.	श्री अर्जुनलाल जीनगर	31.	श्री जगन्नाथ
7.	श्री अर्जुन सिंह	32.	श्री जयन्ति लाल कोली
8.	श्री उगम राज मेहता	33.	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई
9.	श्रीमती उजला अरोड़ा	34.	श्री जिया लाल बंशीवाल
10.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	35.	श्री जीतराम
11.	श्री कन्हैयालाल पाटीदार	36.	श्री जोगेश्वर गर्ग
12.	श्री कन्हैया लाल मीणा	37.	श्री ज्ञान सिंह
13.	श्री कमल	38.	श्री टीकम चन्द कान्त
14.	श्री कालीचरण सराफ	39.	श्रीमती तारा भण्डारी
15.	श्री कालूलाल गुजर	40.	श्री देवी सिंह भाटी
16.	श्री किशन गोपाल कोगटा	41.	श्री नन्द लाल मीणा
17.	श्री किशनाराम नाई	42.	श्री नन्दलाल व्यास
18.	श्री कैलाश मेघवाल	43.	श्री नरपत सिंह राजवी
19.	श्री खंगार सिंह चौधरी	44.	श्रीमती नरेन्द्र कंवर
20.	श्री गंगाराम चौधरी	45.	श्री नसरू
21.	श्री गुरजन्ट सिंह	46.	श्री नाथू सिंह
22.	श्री गुलाबचन्द कटारिया	47.	श्री नारायण लाल
23.	श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर)	48.	श्री पराक्रम सिंह
24.	श्री गोपी चन्द	49.	श्री पूरा राम चौधरी
25.	श्री गोपीराम जाट	50.	श्री प्रताप सिंह सिंघवी

Page No.109

1	2	1	2
51.	श्री प्रभूराम ग्रासिया	78.	श्री राजेन्द्र राठौड़
52.	श्री फूल चन्द	79.	श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़)
53.	श्री बद्री प्रसाद गुरूजी	80.	श्री रामप्रताप कासनियां
54.	श्री बनवारी लाल भिण्डा	81.	डा. रामराय शर्मा
55.	श्री बाबूलाल (दूदू)	82.	श्री रामेश्वर भारद्वाज (मूर्तिकार)
56.	श्री बाबू लाल वर्मा	83.	श्री रामेश्वरलाल भाटी
57.	श्री बृजराज सिंह	84.	श्री रूपाराम
58.	श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)	85.	श्री रेवतराम पंवार
59.	श्री भंवर सिंह चौधरी	86.	श्री रेवतीप्रसाद कोली
60.	श्री भगवान दास	87.	श्री रोहिताश्व
61.	श्री भीमराज मीणा (ग्रासपुर)	88.	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा
62.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	89.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
63.	श्री मंगल	90.	श्री विजय सिंह
64.	श्री मदन दिलावर	91.	श्री विजयेन्द्रपाल सिंह
65.	श्री मदन मोहन (खैरथल)	92.	डा. शंकरलाल (कपासन)
66.	श्री महावीर प्रसाद जैन	93.	श्री शम्भूदयाल बड़गूजर
67.	श्री महावीर भगोरा	94.	श्रीमती शशी दत्ता
68.	श्री मांगीलाल मेघवाल	95.	श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)
69.	श्रीमती मीना अग्रवाल	96.	श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)
70.	श्री मोती लाल	97.	श्री शिवकिशोर सनाढ्य
71.	श्री मोहन मेघवाल	98.	श्री शिवदान सिंह चौहान
72.	श्री रंगजी	99.	श्री श्रीकिशन सोनगरा
73.	श्री रघुवीर सिंह कौशल	100.	श्री समर्थलाल मीणा
74.	श्री रमाकान्त	101.	श्री सांवर लाल
75.	श्री राकेश मेघवाल	102.	श्री सुजानसिंह यादव
76.	श्री राजपाल सिंह शेखावत	103.	श्री सुरेन्द्र गोयल
77.	श्री राजेन्द्र गहलोत	104.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़

1	2
105.	श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
106.	श्री हंसराम
107.	श्री हरिनारायण
108.	श्री हरिसिंह सोढ़ा (शिव)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूं....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे बोलने दीजिए, आप बैठिये। माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि डिवीजन के सम्बन्ध में जो स्थिति आज आयी है उसके लिए नियमों में यह प्रावधान है कि किसी मोशन को रखने के बाद हां पक्ष और ना पक्ष का वोइस वोट लिया जाता है। यदि इस वोइस वोट को कोई भी चैलेंज कर दे जिसके लिए कोई यह नहीं है कि अमुक पक्ष ही करे, कोई भी इसको चैलेंज कर सकता है, उस हालत में डिवीजन लेना लाजिमी होता है। पार्लियामेंट में वी. पी. सिंह की सरकार ने जब वोट आफ कान्फीडेंस सीक किया था तो यही स्थिति वहां आयी थी। वोइस वोट हुआ तो मधु दण्डवते ने, जो कि उस समय जनता दल के साथ थे, मांग की थी, वित्त मन्त्री भी थे– let us have a division. उस पर स्पीकर ने कहा – let the lobbies be cleared. इसको पूरी मैं पढ़ देता हूं आपको—

"Mr. Speaker : I shall now put the Motion moved by Shri Vishwanath Pratap Singh to the vote of the House.

The question is : "That this House expresses its confidence in the Council of Ministers."

Those in favour will please say 'Aye.'

Some Hon. Members : 'Aye.'

Mr. Speaker : Those against will please say 'No.'

Several Hon. Members : 'No.'

Mr. Speaker : I think the 'Noes' have it. The 'Noes' have it.

Prof. Madhu Dandavate : The 'Ayes' have it. Let us have a division."

इसलिए आज भी जब वोइस वोट हुआ उसके बाद मुख्य मन्त्रीजी ने डिवीजन की मांग की। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिवीजन की मांग कोई भी माननीय सदस्य कर सकता है। इसलिए डिवीजन की मांग करने के बाद फिर डिवीजन लेना स्पीकर का कानूनी दायित्व है। इसीलिए आज जिन परिस्थितियों में डिवीजन हुआ है वह पूरी तौर से परम्पराओं और नियमों के अन्तर्गत है।

दलीय स्थिति

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के सचेतक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना

(श्री अध्यक्ष)

है कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री परसराम मदेरणा ने श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को राजस्थान विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल का सचेतक मनोनीत किया है।

अब आपको कुछ बोलना है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे यह निवेदन करना था कि जब डिवीजन की क्लेम माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने की, कांग्रेस के दस से अधिक सदस्य अनुपस्थित थे और कुछ निर्दलीय सदस्यों ने मतदान में भाग न लेने का तय किया था और दो माननीय निर्दलीय सदस्यों ने और अधिक सरकार के पक्ष में, हंसरामजी और रूपारामजी ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। यह आज प्राप्त भारतीय जनता पार्टी के 108 और आपके सहित 109 वोट हुए और कुछ लोगों ने एबसेन्ट रहने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है कि हमारी पोल खुल जायेगी और सारे राजस्थान की जनता के सामने वास्तविक स्थिति आ जायेगी कि गवर्नर के सामने जो क्लेम किया था वह कितना असत्य था। इसलिए उन्होंने आज वाक आउट किया और इसीलिए डिवीजन का उन्होंने विरोध किया। यह मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 4 जनवरी, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.16 बजे, मंगलवार, 4 जनवरी, 1994 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

राजस्थान की नवगठित 10वीं विधान सभा के प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं।

15 दिसम्बर सन् 1992 को चुनी हुई सरकार को बरखास्त कर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस आदेश की वैधता का विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा परन्तु हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में जनता ने जनादेश देकर इस व्यवस्था को बदलकर पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को पुन: बहाल कर दिया है। वर्तमान सरकार के प्रति प्रदेशवासियों ने जो विश्वास व्यक्त किया है वह प्रदेश का तेजी से विकास करने, स्वच्छ प्रशासन देने एवं आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता व संकल्प के प्रति विश्वास है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं ने विधान सभा के 57 आरक्षित क्षेत्रों में से वर्तमान सरकार में अपने 33 विधायक भेज कर जिस प्रकार से सरकार को सम्बल प्रदान किया है हम उसके लिए उनके विशेष रूप से कृतज्ञ हैं; इस विश्वास और आस्था के कारण सरकार का विशेष दायित्व बनता है कि इन वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है, इस सरकार का यह सतत प्रयास रहेगा कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भविष्य में उनकी किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं हो और वे सारे विकास के कार्यक्रमों की मुख्य धारा से जुड़ें।

उपलब्ध शासन प्रणालियों में चुनी हुई सरकार को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना गया है। वह पूर्णत: जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती है। संवेदनशीलता चुनी हुई सरकार की मुख्य पहचान होती है। जन-प्रतिनिधि जन साधारण की आशा-निराशा और सुख-दु:ख की भावनाओं को शासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। वे ही सरकार व जनता के बीच संप्रेषण सूत्र होते हैं। जन-कल्याण के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था की निरन्तरता वांछनीय है। जनसाधारण व सरकार के बीच का यह महत्वपूर्ण माध्यम अब पुन: स्थापित हो गया है। अत: मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने पिछली बार जिन नीतियों और योजनाओं को प्रारम्भ किया था और जो अपूर्ण रह गई थीं, उन्हे पूरा किया जाएगा और विभिन्न समस्याओं के समाधान के मार्ग निकाले जाएंगे तथा नई नीतियां और कार्यक्रम बनाकर जनता के हित में उनको लागू किया जाएगा।

15 दिसम्बर, 1992 से 4 दिसम्बर, 1993 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन

लागू रहा। इतनी लम्बी अवधि तक राजस्थान में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं रहा। अगर चुनाव शीघ्र करवाये जाते तो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन स्थापित होता।

सदन इस बात से भलीभांति परिचित है कि विकास के मापदण्डों के अनुसार राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रह गया। बिजली, पानी, सिंचाई व अन्य आधारभूत समस्याओं के कारण राजस्थान में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। साधनों का अभाव भी इसका एक मुख्य कारण रहा है।

4 मार्च, 1990 को श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में गठित सरकार ने वित्तीय अनुशासन स्थापित किया, अपव्यय को रोका और राजस्व में होने वाली चोरी पर अंकुश लगाया जिससे वित्तीय व्यवस्था में सुधार हुआ। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की 3,000 करोड़ रुपये की 7वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 11,500 करोड़ रुपये की 8वीं पंचवर्षीय योजना स्वीकृत कराई गई। देश के अन्य राज्यों की तुलना में योजना के आकार में 283 प्रतिशत की यह वृद्धि सर्वाधिक हुई। योजना आयोग ने भी राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सराहना की।

पूर्व सरकार ने वित्तीय वर्ष 1992–93 के आय-व्ययक अनुमान में 186.13 करोड़ रुपये के अधिशेष का प्रस्ताव किया था लेकिन वास्तविक आंकड़ों के अनुसार यह अधिशेष 1 अप्रेल, 1993 को 5.60 करोड़ रुपये के घाटे में बदल गया। सन् 1993-94 की वार्षिक योजना 1704.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति कराई गई। राष्ट्रपति शासन काल में अतिरिक्त साधन जुटाने की व्यवस्था नहीं हो पाई और सरकार का घाटा बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप इस वार्षिक योजना के लिए 57 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त संसाधनों की कमी रहने की सम्भावना है। मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार इस कमी को पूरा करने का भरपूर प्रयत्न करेगी जिससे योजना का आकार छोटा नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, 1993 तक योजना राशि में से केवल 46 प्रतिशत धन राशि का ही व्यय हुआ है। सरकार का प्रयास होगा कि 31 मार्च, 1994 तक इस योजना की पूर्ण क्रियान्विति हो सके।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 14वें पावर सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 1993-94 में बिजली की 41.7 प्रतिशत तथा ऊर्जा में 35.8 प्रतिशत की कमी आंकी गई है। बिजली की मांग में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यद्यपि वर्तमान में बिजली की उपलब्धि पिछले वर्ष की खपत के बराबर ही है परन्तु 10 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के कारण कमी अनुभव की जा रही है। इस कमी के सम्बन्ध में विद्युत मण्डल ने राज्य सरकार को अगस्त, 1993 में ही सूचित कर दिया था।

रबी फसल के लिए बिजली की मांग 10 नवम्बर से बढ़ जाती है तथा यह प्रतिदिन की खपत का लगभग 40 से 50 प्रतिशत होती है। इस बढ़ी हुई मांग को विद्युत मण्डल प्रतिदिन पंजाब तथा ग्रिड

स्रोतों से प्रोवरड्रा करके यथासम्भव पूरी कर रहा है।

12 दिसम्बर तक राज्य में विद्युत उपलब्धि की स्थिति लगभग सामान्य थी परन्तु 13-12-93 को बिजली की उपलब्धि में अचानक कमी आई जिसके प्रमुख कारण यह हैं:--

1. बम्बई हाई में गैस कन्ट्रोल में कुछ खराबी होने से भारत गैस प्राधिकरण द्वारा गैस आपूर्ति में दिनांक 12-12-93 से कमी कर दी गई जिससे अन्ता, ओरेया तथा दादरी गैस स्टेशनों में विद्युत उत्पादनों में भारी कमी हो गई। इसमें दिनांक 22-12-93 से कुछ सुधार आरम्भ हुआ लेकिन अभी तक पूरी गैस नहीं मिलने के कारण ओरेया तथा दादरी में क्षमता के अनुकूल विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है।

2. पंजाब से सहायता के रूप में 40 से 60 लाख यूनिट प्रतिदिन मिलने वाली विद्युत रोपड़ तथा भटिण्डा थर्मल इकाइयों के बन्द होने से दिनांक 13-12-93 से बन्द हो गई।

3. एन. टी. पी. सी. की रिहन्द पर 500 मेगावाट की इकाई 13 दिसम्बर से 17 दिसम्बर तक बन्द रहने के कारण बिजली उपलब्धि में और कमी हो गई।

4. कोटा तापीय परियोजना की चौथी इकाई में वाईब्रेशन व हाईड्रोजन लीक होने के कारण इस इकाई को 18 दिसम्बर, 93 से 20 दिसम्बर, 93 तक आवश्यक मरम्मत के लिए बन्द करना पड़ा। इससे प्रतिदिन 45 लाख यूनिट की उपलब्धि कम हो गई।

5. एन.टी.पी.सी. की रिहन्द दादरी को 500 के. वी. की दो पोल की लाइन में से एक पोल का तार टूट गया जिसके कारण पश्चिमी अचल की उपलब्ध बिजली लिया जाना बन्द हो गया। इस लाईन की मरम्मत करने के लिए 24 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक दोनों पोल बन्द करने पड़े। परिणामस्वरूप सिंगरोली एवं रिहन्द में लगभग 800 मेगावाट का विद्युत उत्पादन कम करना पड़ा। साथ ही पश्चिमी अचल की 300 से 400 मेगावाट उपलब्ध होने वाली बिजली भी शटडाउन के कारण नहीं ली जा सकी। इससे राजस्थान को लगभग 100 से 150 मेगावाट प्रतिदिन की विद्युत की कमी हो गई।

विद्युत मण्डल की मांग व आपूर्ति में सामन्जस्य स्थापित करने हेतु अब निम्नांकित कदम उठाये गये हैं:--

1. कोटा तापीय विद्युत परियोजना की चौथी इकाई को पुन: 21 दिसम्बर की मध्य रात्रि से चालू किया गया। इससे 45 लाख यूनिट प्रतिदिन की उपलब्धि हो रही है।

2. राजस्थान में स्थित सभी थर्मल इकाइयां तथा पनबिजली घर अपनी पूर्ण क्षमता से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं।

3. इस अवधि में मध्य प्रदेश से रात्रि में 50 से 100 मेगावाट बिजली ली जा रही है।

4. इस समय 40 से 60 लाख यूनिट बिजली उत्तर क्षेत्रीय तन्त्र से ओवरड्रा की गई है।

5. भारत सरकार से बात करके अन्ता, ओरेया तथा दादरी गैस स्टेशनों पर गैस आपूर्ति बढ़वाकर अधिक उत्पादन कराया गया है।

6. एन.टी.पी.सी. की रिहन्द-दादरी लाईन दिनांक 26 दिसम्बर को ठीक कर चालू कर दी गई है जिससे सिंगरोली व रिहन्द में विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और पश्चिमी अंचल से भी उपलब्ध बिजली लिया जाना सम्भव हो सका है।

यद्यपि कोटा तापीय बिजली घर की सभी इकाइयां पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही हैं इसी प्रकार राजस्थान के सभी पन बिजली घर पूरी क्षमता से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और बिजली का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है फिर भी मांग और आपूर्ति में अन्तर होने के कारण बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति राजस्थान के बाहर से महंगी दर पर विद्युत उपलब्धि पर ही निर्भर रहेगी। जब कभी कोटा तापीय परियोजना या राजस्थान अणु बिजली गृह की इकाइयां बन्द होती हैं तो बिजली की आपूर्ति में अस्थायी तौर पर कमी आ सकती है। वर्तमान स्थिति में विद्युत आपूर्ति में पंजाब से सहायता के रूप में बिजली मिलने से ही सुधार हो सकेगा। ऐसी आशा की जाती है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में पंजाब से 40 से 50 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली प्राप्त होगी। इससे स्थिति सामान्य होने की आशा है, परन्तु जिस दिन भी यह सहायता उपलब्ध नहीं होगी राजस्थान में उद्योगों पर कटौती करनी होगी तथा अन्य उपभोक्ताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

भारत सरकार से यह मांग की जा रही है कि एन.टी.पी.सी. के ओरेया तथा दादरी स्टेशनों के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जाय ताकि राजस्थान को अधिक बिजली उपलब्ध हो सके।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि चारणवाला हैड से 1.2 मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य 23 दिसम्बर से प्रारम्भ हो गया है। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति, जिसको भारत सरकार ने वापस ले लिया था दिनांक 24 दिसम्बर, 1993 को पुनः प्राप्त कर ली गई है। रामगढ़ गैस आधारित विद्युत परियोजना पर काम हो रहा है और 1994 में इससे बिजली उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। कोटा तापीय बिजली घर की पांचवीं यूनिट भी मार्च, 1994 तक चालू हो जाएगी इससे भी बिजली की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

इस अप्रत्याशित संकट के प्रसंग में मैं

जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार किसी प्रकार से भी, चाहे महंगी बिजली बाहर से खरीदनी पड़े, बिजली उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगी। बिजली के वितरण के सम्बन्ध में काफी सुधार किये गये हैं, मोनीटरिंग के काम को चालू किया गया है और जहां ट्रांसफार्मर जल गये हैं या खराब हो गए हैं, दूसरे ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस बारे में जनता का सहयोग चाहिये जिससे इस स्थिति से उबरा जा सके।

सरकार पेयजल समस्या की गम्भीरता से पूर्णतया परिचित है और अधिकाधिक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत-संकल्प है। जोधपुर जलोत्थान योजना को पूर्ण करवाने के लिए श्री शेखावत की पूर्व सरकार ने वर्ष 1991-92 में 3386 लाख रुपये और 1992-93 में 4182 लाख रुपये का व्यय करवाया था। ज्ञातव्य है कि इस परियोजना में वर्ष 1983-84 से 1989-90 तक कुल 3156 लाख रुपये ही व्यय किया गया था। कुछ अपरिहार्य कारणों से इस योजना में थोड़ा व्यवधान आ गया है। इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि इस लघु योजना से वांछित लाभ मिल सके। जोधपुर वृहद् जलोत्थान योजना को पूर्ण करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाये जाएंगे। बीसलपुर जल परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने की दिशा में कार्यरत रहेगी। बीकानेर में बीछवाल जलाशय का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवा लिया जाएगा। चूरू एवं गंगानगर जिले के 325 गांवों और दो शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए जर्मन सरकार से वित्तीय संसाधन मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी वित्तीय वर्ष में 2195 राजस्व ग्राम, 500 ढाणियां तथा 2000 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। हैण्डपम्प संधारण की दोहरी व्यवस्था को निकट भविष्य में समाप्त कर दिया जाएगा।

राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। राज्य के अधिकांश भागों में, चम्बल के अतिरिक्त कोई सतत् प्रवाहित होने वाली नदी नहीं होने के कारण अधिकांशतः कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। चालू वर्ष में राज्य में 8 मध्यम एवं 66 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 12 लघु सिंचाई परियोजनाएं जर्मनी द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा और नई लघु सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए जर्मन सरकार से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान में औसत वर्षा बहुत कम होने के कारण सिंचाई के पानी के लिए राजस्थान को अन्तर्राज्यीय नदियों से उपलब्ध होने वाले पानी के हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्तर्राज्यीय स्तर पर समझौते होने के बावजूद भी राजस्थान को उसके हिस्से का आवंटित पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास होगा कि सभी लम्बित अन्तर्राज्यीय जल-विवादों को शीघ्रता से सुलझाया जाये एवं राजस्थान के हिस्से का

रावी-व्यास, यमुना एवं माही नदियों का पानी प्राप्त किया जाये।

इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण भाखड़ा एवं पौंग बांध में बहुत कम पानी आया है। राजस्थान को सामान्य वर्ष की तुलना में करीब 60 प्रतिशत पानी उपलब्ध होगा। मेरी सरकार का प्रयास होगा कि राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी राज्य को मिले। यदि आवश्यकता हुई तो पूरा पानी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर भी प्रयास किये जाएंगे जिसमें इस सदन के सभी पक्षों का सहयोग लिया जाएगा। मेरी सरकार यह भी प्रयत्न करेगी कि हैडवर्क्स का नियन्त्रण भाखड़ा-व्यास प्रबन्धक मण्डल को जल्द से जल्द स्थानान्तरित हो।

राज्य के सूखा ग्रस्त उत्तरी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर ई. ई. सी. से सिद्ध मुख-नोहर नहर परियोजना के निर्माण हेतु रुपये 135 करोड़ की आर्थिक सहायता का एक अनुबन्ध किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया है जिससे इस पिछड़े क्षेत्र को अकाल की त्रासदी से मुक्त कराया जा सकेगा।

सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु जल वितरण समितियां गठित की हुई हैं। ये समितियां वर्तमान में प्रायः निष्प्रभावी हैं। इन समितियों को और अधिकार देकर एवं इनमें काश्तकारों की प्रभावी भागीदारी बढ़ाकर अधिक सक्षम बनाया जाएगा।

दुर्भाग्यवश इस वर्ष अनियमित वर्षा के कारण राजस्थान में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस अभाव की वास्तविक जानकारी गिरदावरी की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मिलती है। 14 जिलों की गिरदावरी की अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को अक्टूबर माह में प्राप्त हुई थी और शेष 16 जिलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है। हालांकि सन् 1985-86 को छोड़कर गत 10 वर्षों में अकाल राहत कार्य कभी भी जनवरी माह से पूर्व नहीं किये गये, परन्तु राष्ट्रपति शासन में एक नवम्बर से ही अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा कर दी गई। विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के कारण इस घोषणा पर अमल नहीं किया जा सका, परन्तु मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जनवरी माह में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये जावेंगे और अन्य प्रकार की राहत भी उपलब्ध कराई जावेगी।

आवासीय समस्या के समाधान के विशेष प्रयत्न किये जाएंगे। खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग तथा अन्त्योदय परिवारों के आवास की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस हेतु पूरे राजस्थान का समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण कराया जाएगा और जिन लोगों के पास आवासीय भू-खण्ड नहीं हैं उनको भू-खण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे तथा हुडको की सहायता से भवनों के निर्माण की योजना बनाकर उसको लागू किया जाएगा, आवश्यकता हुई तो इसके लिए "रूरल हाउसिंग बोर्ड" का गठन भी किया जाएगा।

जयपुर तथा अन्य बड़े नगरों में भूमि

रूपान्तरण की समस्या वर्षों से लम्बित थी। इस समस्या के निराकरण के लिए करीब एक वर्ष पूर्व व्यापक पैमाने पर जनता को राहत देने के लिए नियमन की योजना, पक्ष और विपक्ष के विभिन्न राजनेताओं के परामर्श पर बनाई गई थी और आदेश भी जारी किये गये थे किन्तु दुर्भाग्य से सरकार भंग हो गई और कुछ समय बाद इस आदेश पर रोक लगा दी गई। अब यह सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कर राज्य में हजारों भूखण्डधारियों को लाभान्वित करेगी।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जून-जुलाई सन् 1988 में हुए थे। जनता की मांग पर राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया। पुनर्गठन की प्रक्रिया किसी प्रकार से प्रभावित न हो इस दृष्टि से पंचायतों का कार्यकाल जून-जुलाई 1991 में समाप्त होने पर इन संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किये गए। पुनर्गठन की कार्यवाही के फलस्वरूप पंचायतों की संख्या 7358 से बढ़ कर 9173 हो गई। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पंचायतों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए पंचायत अधिनियम, 1953 में अक्टूबर, 1992 में संशोधन भी किए गए परन्तु दिसम्बर, 1992 में चुनी हुई सरकार को भंग कर दिये जाने के कारण इनके चुनाव नहीं हो सके।

अप्रेल, 1993 में भारत के संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए नये प्रावधान किए गए जिसके कारण पंचायती राज से सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक हो गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 एवं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 में संविधान में हुए संशोधन के अनुरूप संशोधन करना होगा। इसके लिए एक नये संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसको अन्तिम रूप देने से पहले सरकार विपक्ष से भी विमर्श करना चाहेगी। संविधान में हुए संशोधन के कारण पंचायती राज संस्थाओं के लिए नये सिरे से चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना पड़ेगा और उसके पश्चात् ही चुनाव सम्भव हो सकेंगे। हमारी सरकार यह चाहेगी कि यह प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो।

पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासकों के स्थान पर जनप्रतिनिधि नियुक्त करने के बारे में भी राष्ट्रपति शासन में विचार-विमर्श हुआ था परन्तु विधान सभा के प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण यह व्यवस्था नहीं हो सकी। यह सरकार इस सम्बन्ध में इस सदन का विचार जानना चाहेगी कि इन संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति यदि उपयुक्त हो, तो इनका मनोनयन किस आधार पर किया जाए।

राजस्थान में 182 नगरपालिका/परिषद्/निगम हैं, जिनमें से 138 नगरपालिकाओं के चुनाव 1990 में सम्पन्न कराये गये, शेष 44 नगरपालिकाओं में से अधिकांश के चुनाव वर्ष 1970, 1974,

1976 व 1982 में हुए थे। उनके चुनाव की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गई परन्तु उच्च न्यायालय ने भिन्न-भिन्न कारणों से चुनाव रोकने के निर्देश दिये जिससे चुनाव समय पर सम्पन्न नही कराये जा सके। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दिनांक 31-10-93 से पूर्व चुनाव प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन में भी इस विषय पर विचार हुआ परन्तु विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण यह चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके। इस स्थिति में भी इन 44 नगरपालिकाओं के चुनाव कराने हेतु चुनाव विभाग द्वारा प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई, जिसके अनुसार 6 अप्रेल, 1994 को मतदान का दिन निश्चित कर दिया गया। इस बीच भारत सरकार ने उनके पत्र दिनांक 22.12.93 द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया कि यदि इन नगरपालिकाओं के चुनाव वर्तमान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत कराये जाते हैं तो इन नगरपालिकाओं की अवधि केवल 31-11-94 तक ही रहेगी और उसके पूर्व एक बार पुनः इनके चुनाव कराने पड़ेंगे। केन्द्रीय सरकार की इस सलाह को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन बची हुई 44 नगरपालिकाओं के चुनाव कराने से पूर्व राजस्थान नगर परिषद्/नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों को संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार संशोधित किया जाए और उसके पश्चात् ही चुनाव कराये जाएं। अतः अब इससे सम्बन्धित विधेयक शीघ्र ही विधान सभा में लाया जाएगा और इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् ही चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ होगी।

सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव व अमन-चैन कायम रखने को उच्च प्राथमिकता देगी। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आम नागरिक में सुरक्षा की भावना बनी रहे और समाज कटकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो। सरकार राज्य में अपराधों और बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगायेगी और सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में सभी सम्प्रदायों के बीच सद्भावना बनी रहे और वे आपस में मिल-जुल कर शान्ति से रहें। इसी क्रम में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर से तस्करी की रोकथाम के लिए भी पुख्ता इन्तजाम किये जायेंगे।

भारतीय संविधान में प्रशासनिक सेवाओं की संरचना राज्य के एक स्थाई अंग के रूप में इस प्रकार परिकल्पित की गई है, कि वह जनता द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति उत्तरदायी भी हो एवं उसके मार्गदर्शन में संवैधानिक मर्यादाओं तथा विधि व्यवस्था के अन्तर्गत निष्पक्ष रूप से कार्य करें। राजस्थान इस दृष्टि से अपेक्षाकृत सौभाग्यशाली राज्य रहा है कि वहां की राज्य सेवाओं में निष्पक्षता, कार्यक्षमता और सन्तुलित दृष्टिकोण की सराहनीय परम्पराएं रही हैं। किन्हीं कारणों से इन परम्पराओं में विगत अर्से में जो विसंगतियां आ गई थीं उनके निराकरण हेतु वर्तमान सरकार जहां एक ओर सुयोग्य एवं ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी वहां दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करेगी कि जन-आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य न कर

निजी स्वार्थ में लिप्त रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का मुख्य काम नीति निर्धारण करना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी हैं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष के प्रारम्भ में ही हर प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पूरे वर्ष के लक्ष्य दे दिये जाएं और उसके बाद उनके कार्य का मूल्यांकन उन लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित हो।

यद्यपि आज भी राजस्थान में जिला एवं उपखण्ड स्तर पर सतर्कता समितियां बनी हुई हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से देखा गया है कि ये समितियां प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रही हैं। इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इनके माध्यम से जनसाधारण की समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सके। इसलिए हर माह उन समितियों द्वारा किये गये कार्यों का उच्च स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण व सुधार हेतु श्री जी. के. भनोत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अब तक 4 अन्तरिम रिपोर्ट दी हैं। जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने से आम आदमी को लाभ पहुंचेगा। इस मंशा से वर्तमान सरकार इन सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक सिफारिशें बजट प्रस्तावों में प्रस्तुत करेगी।

राजस्थान में पशुओं की नस्ल के सुधार का कार्यक्रम वर्षों से निरन्तर चल रहा है परन्तु इसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इतना ही नहीं यदि सही मूल्यांकन किया जाए तो यह प्रकट होगा कि कुछ नस्लें शनैः शनैः समाप्त हो रही हैं। इन नस्लों का संरक्षण एवं संवर्द्धन राज्य एवं जनता के हित के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि भिन्न-भिन्न नस्लों के लिए ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए कि उस क्षेत्र में उसी नस्ल के संवर्द्धन हेतु विशेष व्यवस्था की जाए।

डंकल प्रस्तावों पर भारत सरकार की स्वीकृति होने के कारण देश के किसानों में चिन्ता उत्पन्न हुई है। वर्तमान सरकार प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि डंकल प्रस्ताव के कुप्रभावों से प्रदेश के किसानों के हितों को सुरक्षित बनाये रखने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाएगा।

वर्तमान सरकार का गठन 4 दिसम्बर, 1993 को श्री भैरोंसिंह शेखावत के द्वारा मुख्य मन्त्री पद की शपथ ग्रहण करने से हुआ। इस सरकार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए एक माह का समय दिया गया। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में ही बजट सैशन आहूत किया जाएगा। यद्यपि यह सरकार अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए हर सम्भव प्रयास करने हेतु कृत संकल्प है, फिर भी उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में नीतियों एवं कार्यक्रमों की व्यापक घोषणाएं मर्यादाओं एवं परम्पराओं के अनुरूप बजट अधिवेशन में ही की जाएंगी।

राजस्थान एक साधन सम्पन्न किन्तु पिछड़ा प्रदेश है। यहां के लोगों की कठिन मेहनत करने तथा जोखिम लेने की क्षमता सारे देश में जानी जाती है। विस्तृत भू-भाग, उन्नत पशुधन, विपुल खनिज सम्पदा, उपजाऊ धरती, प्राकृतिक विविधताओं व मनोहारी हस्तकलाएं राज्य के विकास के आधार स्तम्भ हैं। राज्य के विकास को गति देकर अन्य विकसित राज्यों के बराबर लाने के लिए विकास व्यवस्था व विकास संरचना में आवश्यक परिवर्तन जरूरी है। सरकार की यह कोशिश होगी कि व्यापक सहमति से योजनागत प्राथमिकताओं व कल्याणकारी कार्यक्रमों का पुन: निर्धारण किया जाये ताकि विकास योजनाओं में खर्च की जाने वाली धनराशि का प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिले। स्थानीय प्राथमिकताओं व सम्भावनाओं को देखते हुए जिलेवार विकास योजनाएं तैयार की जायेंगी और सामाजिक तथा आर्थिक लाभ का सामंजस्य बैठाकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे—

1. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994

2. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994

3. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994

सत्र में निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगे :—

1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1993–94 (प्रथम संकलन)

2. वर्ष 1985–86 के लिए अतिरेक मांगें

3. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) संविधान का 77वां (संशोधन) का अनुसमर्थन पारित कराया जाएगा।

जन-आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के सर्वाङ्गीण विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं। इस लक्ष्य पर सभी एकमत हैं। इसलिए इस सरकार का यही प्रयास होगा कि पक्ष-प्रतिपक्ष सभी ओर के सदस्यों का राज्य हित में रचनात्मक सहयोग लिया जाए जिससे इस देश की इस चिरन्तन कामना को हम क्रियान्वित कर सकें—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्
दुःख भाग् भवेत् ।।

(सब सुखी रहें, निरोग रहें, अच्छे से अच्छे दिन देखें, दुःख के दिन न देखें)

आप सबके विचार और प्रयास इस भावना को चरितार्थ करने में सफल हों, यही मेरी कामना है।

जयहिन्द !